लोक-सभा
वाद-विवाद

Chamber Printed 18/XII/54

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.

	स्तम्भ
श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु	१२०५–०६
स्थगन प्रस्ताव —	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	१२०७–१२
राज्य-सभा से सन्देश	—
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	१२१३–१४
याचिका प्राप्त	१२१४
शंकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि .	१२१४–१५
भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति—	
छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत	१२१५–१६
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	१२१६–८६
खंड ६६ से ८०	१२१८–२७
खंड ८१ से ८८	१२२७–५७
खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . .	१२५७–८६

अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.

भा का कार्य—	
सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . .	१२८७–८८
ण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . . .	१२८४–१३८७
खण्ड २२	१२८८–१२९६
खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . .	१२९६–१३७६
संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१३७६–७८

अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण . .	१३७९–८
विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें .	१३८०–८
पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन	१३८
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
याचिका उपस्थापित	१३८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१३८१
तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश . . .	१३८२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित	१३८२–१४३१
श्री एम० ए० अय्यंगार	१३८३–८९
श्री ए० एम० थामस	१३८९–९२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१३९२–९७
श्री एस० एस० मोरे	१३९७–९९
श्री दातार	१३९९–१४०७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४०७–१३
श्री एन० सी० चटर्जी	१४१३–१५
श्री आर० डी० मिश्र	१४१५–२१
डा० काटजू	१४२३–३१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	१४३१–८८
श्री पाटस्कर	१४३१–४०
श्री वी० जी० देशपांडे	१४४०–४८
श्री टेक चन्द	१४४८–५२
श्री बी० सी० दास	१४५२–५६
श्रीमती जयश्री	१४५६–५७
श्री डी० सी० शर्मा	१४५७–५८

अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण . . .	१४५९–६०
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक	१४६०–६१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव .	१४६१–१५१
श्री डी० सी० शर्मा	१४६१–६

	स्तम्भ
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१४६३–६६
श्री एन० सी० चटर्जी	१४६६–७२
श्री बोगावत	१४७२–७६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४७६–६८
श्री पी० सुब्बा राव	१४६२–६७
श्रीमती उमा नेहरू	१४६७–१५००
सरदार इकबाल सिंह	१५००–०२
श्री पाटस्कर	१५०२–१४
निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)—	
विचार प्रस्ताव—असमाप्त	१५१६–४६
डा० काटजू	१५१६–४२
श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी	१५४२–४६

अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखा गया पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . .	१५४७
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५४७–८६
श्री ए० के० गोपालन	१५४८–५७
श्री जी० एच० देशपांडे	१५५७–६१
श्री वीरस्वामी	१५६१–६३
श्री अशोक मेहता	१५६३–६६
श्री एम० पी० मिश्र	१५६६–७६
श्री वी० जी० देशपांडे	१५७६–८५
श्री टेक चन्द	१५८५–८७
श्री एन० एम० लिंगम	१५८७–८६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५८६
सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५६०
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)—	
पुरःस्थापित	१५६१
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित	१५६१
वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	१५६१–१६०४
श्री डाभी	१५६१–६२
डा० पी० एस० देशमुख	१५६२–१६०४

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित	१६०४–१७
श्री यू० सी० पटनायक	१६०४–११
डा० काटजू	१६११–१
श्रीमती इला पालचौधरी	१६१२–१
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१६१३–१
श्री कानावाड़े पाटिल	१६१५–१७
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१६१७–३४
श्रीमती उमा नेहरू	१६१७–१९
श्री पाटस्कर	१६१९–२२
श्रीमती सुषमा सेन	१६२२
श्रीमती जयश्री	१६२२–२३
श्रीमती ए० काले	१६२३
श्रीमती मायदेव	१६२३–२५
श्री केशवैयंगार	१६२५
श्रीमती इला पालचौधरी	१६२५–२६
श्री डी० सी० शर्मा	१६२६–२८
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	१६२८–३०
श्री धुलेकर	१६३१–३३
विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	१६३१

अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१६३५–३८
सभा का कार्य—	
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन	१८३८–३९
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१८३९–१७३
श्री एन० एम० लिंगम	१६३९–४१
श्री एन० सी० चटर्जी	१६४१–४९
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१६४९–५०
श्री केशवैयंगार	१६५०–५२
श्रीमती ए० काले	१६५२–५४

	स्तम्भ
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१६५४–६०
श्री कासलीवाल	१६६०–६२
श्री भागवत झा आज़ाद	१६६२–६६
डा० एन० बी० खरे	१६६६–७६
श्री दातार	१६७७–६०
डा० कृष्णस्वामी	१६६०–६४
श्री चट्टोपाध्याय	१६६४–६७
श्री सी० आर० नरसिंहन	१६६७–६८
श्री मूलचन्द दुबे	१६६८–१७००
पण्डित के० सी० शर्मा	१७००–०२
श्री राघवाचारी	१७०३–०५
कुमारी एनी मैस्करीन	१७०५–०७
श्री आर० सी० शर्मा	१७०७–१४
श्री सारंगधर दास	१७१४–१७
पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१७१७–३२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७३२

अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१७३३–३४
न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना	१७३५–३८
आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड	१७३८–३९
पटल पर रखे गये पत्र—	
विमान निगम नियम	१७३९–४०
औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध	१७४०–४५
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७४५–१८०८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७४५–५०
डा० एस० एन० सिंह	१७५०–५२
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१७५२–५५
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	१७५५–५९
आचार्य कृपालानी	१७५९–६१
डा० काटजू	१७६१–७४
खंड १ तथा २	१७७४–९९

	स्तम्भ
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७९९–१८०८
डा० काटजू	१७९९–१८०८
श्री नन्द लाल शर्मा	१८००–०५
श्री लक्ष्मय्या	१८०५–०६
श्री पुन्नूस	१८०६–१८०८

अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—	
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . .	१८०९–१०
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट .	१८०९–१०
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . .	१८०९–१०
तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि	१८१०
सभा का कार्य—	
सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . .	१८१०–११
चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८११–३०
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३,	१८२७–३०
श्री तुषार चटर्जी	१८१४–१७
श्री एन० एम० लिंगम्	१८१७–१९
श्री बर्मन	१८१९–२०
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८२०–२३
श्री ए० एम० थामस	१८२३–२४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१८२४–२५
श्री दामोदर मेनन	१८२५–२६
श्री के० सी० सोधिया	१८२६–२७
श्री पुन्नूस	१८२७
खण्ड १ और २	१८३०–३२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	१८३२
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . .	१८३२
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८३२–५५
श्री कानूनगो १८३२–३६,	१८४८–५५
श्री वी० पी० नायर	१८३७–४०
श्री तुलसीदास	१८४०–४१
डा० लंकासुन्दरम्	१८४१–४२
श्री झुनझुनवाला	१८४३–४४

	स्तम्भ
श्री ए० एम० थामस	१८४४–४६
श्री कासलीवाल	१८४६–४७
श्री वी० बी० गांधी	१८४७–४८
खण्ड १ और २	१८५५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८५५–६२
श्री कानूनगो	१८५५–५६
डा० लंका सुन्दरम्	१८५६–५७
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी	१८५७–६२
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८६३–७७
श्री के० के० देसाई	१८६३–६४, १८७४–७७
श्री अमजद अली	१८६४–६५
श्री बिमला प्रसाद चालिहा	१८६५–६६
श्री पुन्नूस	१८६६–६८
श्री बी० एस० मूर्ति	
श्री वेलायुधन	१८६९–७०
श्री केशवैयंगार	१८६८–६९
श्री पी० सी० बोस	१८७०–७१
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८७१
श्री एस० वी० रामस्वामी	१८७१–७३
ठाकुर युगल किशोर सिंह	१८७३–७४
खण्ड १ से ३	१८७८
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८७८
श्री के० के० देसाई	१८७८

अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड	१८७९–८३
पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना	१८८३–८५
पटल पर रखे गये पत्र—	
आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम	१८८५–८७
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण	१८८७–८८
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना	१८८७
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	१८८८–८९

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम १८८९-९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१-९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२-१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित १९७४

अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६-७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . १९७७-२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८-६२

अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का
बुलाया जाना २०६३-६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८-९६, २१०८-१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०९६-२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११-१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित
निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत २११२-५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग
के बारे में संकल्प—असमाप्त २१५०-५६

स्तम्भ]

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र २१५७
अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपा गया २१९०–२२२७
श्री पाटस्कर २१९०–२२००
श्री बर्मन २२०१–०६, २२२३–२५
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय २२०८–१३
श्री आर० डी० मिश्र . . . २२०७–०८, २२१३–२३
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२२९–३६
श्री पाटस्कर २२२९–३१, २२३२, २२३६
श्री धुलेकर २२३२–३३
श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव २२३४–३६
पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६
खण्ड १ और २ . . . . . २२३७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८
श्री करमरकर २२३८–३९
श्री ए० एम० थामस २२३८–३९
श्री एन० एम० लिंगम् २२३९
खण्ड १ और २ . . . . . २२३९–४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२
डा० एम० एम० दास २२४०–४२

अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण . २२७९–८२

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य . २२८२–८४

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४ . . . . . २२८४

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित . . . २२८४–८५

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुर:स्थापित . २२८५–८६

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . . २२८६–२३६४

अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.

विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य २३६५–६६

सभा का कार्य २३६६–६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . . २३६८–७१

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . . २३७१–२४५७

राज्य सभा से सन्देश २४५७–५८

अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—

प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . . २४५९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . २४५९

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . . २४६०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित २४६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २४६०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . . २४६१

पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— २४६१

अपूर्ण २५२२, २५२२-५२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२२

राज्य सभा से सन्देश २५५२

अंक ३१—गरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा	२५५३–५७
यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . .	२५५७–६१
पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	२५६१–६२
जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . .	२५६२–६३
न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . .	२५६३
रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—नियम, १९५३ में संशोधन .	२५६३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना	२५६३–६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —स्वीकृत	२५६८–७१
समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . .	२५७२
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	२५७२–२६१६
श्री पाटस्कर २५७२–७८,	२६०७–२६१६
श्री एन० एम० लिंगम् .	२५७९–८
श्री बी० एस० मूर्ति . . .	२५८१–८३
श्री राघवाचारी .	२५८३–८४
श्री साधन गुप्त	२५८४–८६
श्री टी० एन० सिंह	२५८६–८९
श्री भागवत झा आज़ाद	२५८९–९०
श्री जांगड़े	२५९०–९३
श्री एम० एल० अग्रवाल . . .	२५९३–९५
श्री कासलीवाल	२५९५–९६
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . .	२५९६–२६००
श्री कजरोल्कर	२६००–०१
श्री नवल प्रभाकर	२६०१–०४
श्री कक्कन	२६०४–०५
श्री पी० एल० बारुपाल	२६०५–०६

	स्तम्भ
श्री गणपति राम	२६०६–०७
खण्ड १ और २—	
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२६१६–२६२५
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
असमाप्त	२६२५–७२
श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी	२६७२
राज्य-सभा से सन्देश	२६७२–७४

अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती .	२६७५–७७
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन	२६७७
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे	२६७७
भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे .	२६७७
१९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और सन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण	२६७७–७८
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४	२६७८
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण	२६७८
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि	२६७८–७९
प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२६८०
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	२६८०–२७०३
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	२७०३–४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित	२७४३–४८
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	२७४८
भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित	२७४९–५२
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . .	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	२७५३–६३
श्री धुलेकर	२७५३–५७

	स्तम्भ
श्री पाटस्कर . .	२७५७–६३
श्रीमती उमा नेहरू .	२७६३
श्री टेक चन्द . .	२७६३
वाद-विवाद स्थगित	२७६३
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २९४ख का रखा जाना)—	
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . .	२७६४–६७
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . . .	२७६४–६५, २७६४
डा० काटजू	२७६५–६६
वाद-विवाद स्थगित	२७६७
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	२७६७–६९
डा० एन० बी० खरे	२७६७–६८, २७६९
श्री के० के० देसाई	२७६८–६९
वाद-विवाद स्थगित	२७६९
भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक— . . .	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—प्रसमाप्त . .	२७६९–८०
सरदार ए० एस० सहगल . . .	२७६९–७६, २७७७–७८
राजकुमारी अमृत कौर	२७७६–७७, २७७८–७९
वाद-विवाद स्थगित	२७८०
निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . .	२७८०
श्री डी० सी० शर्मा	२७८०–८२, २७८३–८६
श्री के० के० देसाई	२७८२–८३
श्री आर० के० चौधरी	२७८७
राज्य-सभा से सन्देश	२७८८
हिन्दू विवाह विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . .	२७८८

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

१८ दिसम्बर, १९५४

लोक सभा

शनिवार, १८ दिसम्बर, १९५४

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये--भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

श्रीमती विजयलक्ष्मी का त्यागपत्र

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने १७ दिसम्बर, १९५४ से पदत्याग कर दिया है।

अध्यक्ष के पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : यह संकल्प श्री वी० मिश्र द्वारा भेजा गया है। क्या वह यहां हैं?

श्री वी० मिश्र (गया-उत्तर) : खड़े हुए--

उपाध्यक्ष महोदय : पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस संकल्प में लगाये गये आरोप स्पष्ट नहीं हैं और न किसी विशेष घटना से उनका सम्बन्ध है। मैं नहीं समझता कि यह संकल्प कहां तक ग्राह्य है।

श्री रघुरामैया (तेनालि) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को पद से हटाने का अधिकार अनुच्छेद ९४ के अनुसार सभा का एक विशेषाधिकार है। इस के बाद मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियम १९१ की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें दिया गया है कि ऐसे संकल्प में क्या होना चाहिये और क्या नहीं होना चाहिय। इन दोनों अनुच्छेदों को ध्यान में रख कर यदि आप संकल्प को पढ़ें तो आपको ज्ञात होगा कि वह ठीक नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान्, मुझे भी कुछ कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपना औचित्य प्रश्न समझाने दीजिये।

श्री रघुरामैया : संकल्प के प्रथम भाग को देख कर हम कह सकते हैं कि वह सर्वथा अस्पष्ट है। यदि किसी बात का आरोप अध्यक्ष महोदय पर लगाना अपेक्षित था तो उसके लिये किसी घटना विशेष या किसी अनचित व्यवहार विशेष का उल्लेख किया जाना आवश्यक था।

उसके द्वितीय भाग में अध्यक्ष महोदय की मानहानि करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया गया है। यह सारा संकल्प अनुचित और अनियमित है।

पंडित बालकृष्ण शर्मा (जिला कानपुर दक्षिण व जिला इटावा--पूर्व) : श्रीमान्, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : शान्त रहिये। आप क्या फर्माना चाहते हैं?

पंडित बालकृष्ण शर्मा : मुझे अपने मित्र के समर्थन में यह कहना है कि मैं एक दो पूर्व-वादिताओं का उदाहरण देकर सभा को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी अस्पष्ट संकल्प स्वीकृत नहीं किया जा सकता हैं और क्योंकि यह संकल्प अस्पष्ट प्रकार का है इसलिये अग्राह्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उनका सम्बन्ध अध्यक्ष महोदय के पद से हटाये जाने से है ।

पंडित बालकृष्ण शर्मा : हां श्रीमान् । हाउस आफ कामन्स के कैप्टिन वेजबुड बेन ने भी इसी प्रकार एक संकल्प प्रस्तुत किया था । उसमें स्पष्ट रूप से निश्चित आरोप लगाये गय थे तथा तिथियों और घटनाओं का निर्देश किया गया था । परन्तु यह संकल्प बहुत ही अस्पष्ट है इस लिये इसको अनियमित घोषित कर देना चाहिये । जो संकल्प हमारे सामने है उस से हम यह नहीं जान सकते हैं कि दोषारोपण क्या है । इस प्रकार के जितने भी संकल्प हाउस आफ़ कामंस में रखे गये हैं उनमें दोषारोपण के स्पष्ट आधार दिये गये हैं । परन्तु हमारे समक्ष जो संकल्प है वह बिल्कुल ही अस्पष्ट है ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी इस सभा की कुछ प्रथायें बनाई जानी चाहियें । वास्तव में होना यह चाहिये कि यदि इस सभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के व्यवहार से किसी प्रकार का असंतोष हो तो उसका कर्तव्य समझा जाये कि सभानेता के पास जाये और उसको अपनी आपत्तियां बताये । (**अन्तर्बाधायें**) ।

श्री एस० एस० मोरे : आपने मुझ से अपने विचार प्रकट करने के लिये कहा था । माननीय सदस्य बीच में हस्तक्षेप करके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे । परन्तु हस्तक्षेप करके उन्होंने अपना पूरा भाषण ही आरम्भ कर दिया है हालाकि आपने बोलने के लिये मुझ से कहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले यह समझा था वह कोई विशेष बात कहना चाहते हैं जिसके लिये वह एक या दो मिनट का समय लेंगे । उसके बाद जब मैंने देखा कि वह हाउस आफ़ कामन्स की कुछ प्रथाओं का उल्लेख कर रहे हैं तो मैं यह समझा था कि वह अपने कथन की पुष्टि में हैन्सर्ड का कोई हवाला देंगे जिससे हो सकता है कि हमें कुछ सहायता मिले । नियम १९१ (१) के सम्बन्ध में मैं यही जानना चाहता था । मैं सोचता था कि इस सम्बन्ध में यदि कोई जानने योग्य बात हो तो उसे मैं जान लूं जिससे कि श्री मोरे तथा अन्य वक्ता जब बोलें तो उन बातों का भी ध्यान रखें । एक और प्रश्न उन्होंने यह भी उठाया था कि यह संकल्प सभानेता को किसी प्रकार की सूचना दिये बिना ही सभा के समक्ष रखा गया है । इस सम्बन्ध में सभा ही विचार करेगी कि क्या इस विषय पर भी विचार किया जाये ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) चूंकि मेरा नाम लिया गया है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मझे किसी बात से इंकार नहीं है । फिर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर न केवल इस सभा का ही नहीं वरन् समस्त देश का भावी जनतन्त्रात्मक ढांचा निर्भर करता है । इस प्रकार की बहुत सी अनियंत्रित भाषा का उपयोग किया गया है । (**अन्तर्बाधा**) ।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): यदि कोई आपत्ति उठायी जाती है तो भी हम संयत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं । हम यहां जनता के प्रतिनिधियों के रूप में हैं और हम उसी प्रकार का तथा उतना ही सम्मान पाने के अधिकारी हैं जितना कि इस सभा का कोई अन्य

सदस्य हो सकता है। यदि एक ओर से गर्मी दिखाई जायेगी तो दूसरी ओर से भी गर्मी दिखाई जायेगी। इसलिये मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की गर्मागर्मी से काम न लिया जाये।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : क्रमपत्र का यह संकल्प नियम २१८ तथा २१९ के अन्तर्गत लिया जायेगा या नियम १९१ (१) के अन्तर्गत, जिसमें सामान्य रूप से ऐसे संकल्पों का उल्लेख किया गया है?

श्री एस० एस० मोरे : इस सम्बन्ध में एक विशेष प्रक्रिया का उपबन्ध किया गया है और जब किसी कार्य के लिये विशेष प्रक्रिया का उपबन्ध किया गया हो तो जहां तक उस कार्य विशेष का सम्बन्ध हो सामान्य उपबन्ध या सामान्य प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है।

श्री शर्मा तथा अन्य सदस्यों ने इंगलिस्तान के हाउस ऑफ कामंस की प्रथाओं का हवाला दिया है। परन्तु हमें याद रखना चाहिये कि हाउस ऑफ कामंस का संचालन किसी लिखित संविधान के अनुसार नहीं किया जाता है, जब कि हम एक लिखित संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। जिस कार्य के लिये हमारे संविधान में एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित है उस के सम्बन्ध में हाउस ऑफ़ कामंस की प्रथाओं को लागू नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान की रचना करने वालों ने यह बात सोची थी कि यद्यपि अध्यक्ष पद का महत्व बहुत बड़ा है फिर भी हो सकता है कि कोई ऐसा अवसर आ जाये जब सदस्यों को आपत्तियां करने की आवश्यकता का अनुभव हो। इसके लिये हमारे संविधान में अनुच्छेद ९४ रखा गया है जिसके अनुसार उसके अध्यक्ष पद से हटाने के लिये केवल एक संकल्प की सूचना भेजना आवश्यक है। अनुच्छेद ९४ में उस संकल्प के लिये कोई निश्चित रूपरेखा नहीं दी गयी है और चूंकि यह अनुच्छेद मौजूद है इसलिये इस पर प्रक्रिया सम्बन्धी नियम भी लागू नहीं हो सकते हैं। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि ऐसे संकल्प में दोषारोपण के आधारों तथा निश्चित आरोपों का भी उल्लेख किया जाना चाहिये।

जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है इसकी दो स्थितियां हैं। पहले तो ऐसे संकल्प के प्रस्तुत किये जानेकी अनुमति प्रदान की जाती है। उसके लिये एक विशेष प्रक्रिया का उपबन्ध नियम २१८ में किया गया है। क्रमपत्र पर जो संकल्प दिया हुआ है वास्तव में अभी सभा के समक्ष उस समय तक प्रस्तुत ही नहीं है जबतक कि उसकी अनुमति न दे दी जाये। उस समय तक तो अध्यक्ष भी उसे अनियमित नहीं घोषित कर सकता है।

भारत सरकार अधिनियम, १९३५ में अनुच्छेद ९४ जैसा कोई विशेष उपबन्ध नहीं था। प्रक्रिया नियमों तथा स्थायी आदेशों में कुछ उपबन्ध बनाये गये थे। इसलिये अविश्वास प्रस्तावों पर भी वही नियम लागू होते थे जो अन्य प्रस्तावों के लिये बनाये गये थे। एक बार जब सर अबदुर्रहीम अध्यक्ष थे तो एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया था जिसे एक प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव कहा जा सकता था। उस अवसर पर सर अब्दुर्रहीम ने विनिर्णय दिया था कि नियम २४क के अनुसार सभा नेता की अनुमति का होना आवश्यक था। इस उदाहरण का हवाला अध्यक्ष के विनिश्चय १९४१–१९४५ के पृष्ठ ६७ पद ४४२ में दिया गया है।

हमारे लिये अनुच्छेद ९४ के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। इसीलिये हमको अनुच्छेद ९४ के अनुसार ही इस संकल्प की सूचना भेजनी पड़ी।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता में भी जो वाद प्रस्तुत किया जाता है उस में सभी उपलब्ध

[श्री एस० एस० मोरे]

प्रमाणों का उल्लेख नहीं किया जाता है केवल तथ्यों का ही वर्णन किया जाता है। मैं सभा नेता के विचारों से सहमत हूं परन्तु विपक्षी दल के नेताओं की भी कुछ शिकायतें हैं और अपनी शिकायतों की ओर सभा का तथा सभा नेता का ध्यान आकर्षित करने के लिये उनके पास अनुछेद ९४ के अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं।

इसलिये जहां तक इस विषय की वैधानिकता का प्रश्न है हम अनुछेद ९४ तथा प्रक्रिया के विशेष नियमों का आश्रय लेते हैं। जहां तक संसदीय प्रथाओं का संबंध है हमारा संविधान हमारा पथप्रदर्शन करने के लिये पर्याप्त है।

श्री जवाहरलाल नहरू : मेरे माननीय मित्र ने सभा नेता से परामर्श करने के सम्बन्ध में कुछ कहा है परन्तु वास्तव में ऐसा कोई प्रश्न तो उत्पन्न नहीं होता है। वैसे सद्विवेक या सौजन्यता के नाते कोई सभा नेता से भी परामर्श कर ले तो वह और बात है परन्तु मैं ऐसा कोई अधिकार मानने को तय्यार नहीं हूं।

जहां तक इस विषय की वैधानिकता का प्रश्न है, मैं कोई मत प्रकट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह काम श्रीमान् आपका है। परन्तु मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के मामलों में और वह भी जब नौबत यहां तक आ जाये तो उसका निपटारा केवल विधान के ही दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि ऐसा न हो कि केवल विधान के ही दृष्टिकोण से चर्चा चलती रहे और जनता के भ्रम दूर न होने पावें। इसलिये मेरा विचार यह है कि यदि कोई विधानिक रुकावट न हो, जिसका निर्णय आप ही कर सकते हैं, तो जब एक बार यह प्रश्न उठ ही गया है तो सभा का हित इसी में है कि इसका निपटारा कर ही डाला जाये। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि यदि कोई विधि सम्बन्धी अड़चनें हों तो भी वह उन पर आग्रह न करें।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं आपका ध्यान निगम १९२ तथा नियम १९४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन नियमों के अनुसार समझा यही जायेगा कि जब अध्यक्ष महोदय ने इस संकल्प को ग्रहण कर लिया तो ऐसा करने के पूर्व ही वह इसका भी निर्णय कर चुके कि यह संकल्प उस नियम विशेष के अनुकूल है या नहीं। एक बार ग्रहण किये जाने के बाद जब यह क्रमपत्र पर आ गया तो नियम १९४ लागू होना चाहिये और नियम १९४ के अनुसार भी यह संकल्प नियमानुकूल है। अब यह प्रश्न फिर से नहीं उठाया जा सकता है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव) : सभानेता की स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में मैं श्री एस० एस० मोरे के विचारों से सहमत हूं। हमारे पास संविधान है और हम संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे। परन्तु मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि वह उदाहरण बताये जायें या उनके विवरण दिये जायें जिन के आधार पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है अन्यथा हम अनियंत्रित रूप से वादविवाद नहीं कर सकते हैं। अब तक इतने वर्षों में ९०,००० प्रश्न तथा सैकड़ों प्रस्ताव रखे गये हैं, हम उन सभी पर कैसे विचार कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि इस संकल्प के लिये अनुमति न दी जाये। परन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो स्पष्ट उदाहरण हैं या जो विशेष विवरण हैं जिनके आधार पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है वे सभा को बताये जायें। मैं श्री एस० एस० मोरे की इस बात से सहमत नहीं हूं कि विशेष प्रक्रिया का उपबन्ध किया जा चुका है इसलिये इस सभा के जो प्रक्रिया नियम हैं वह लागू

नहीं होंगे । यह तो बहुत ही प्रचलित प्रथा है और दंड प्रक्रिया संहिता का भी नियम है कि जब किसी के विरुद्ध कोई दोषारोपण किया जाये तो उससे सम्बन्धित तिथियों तथा विशिष्ट घटनाओं का बताया जाना बहुत आवश्यक है । यह भी किसी दोषारोपण से कम नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि स्पष्ट आरोप लगाये जायें और अनियंत्रित चर्चा न होने दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प के बारे में यह औचित्य प्रश्न उठाया गया था कि नियम १९१(१) और १९१(३) के अधीन वह ग्राह्य नहीं है । उपनियम (१) के बारे में, वे विस्तार या उदाहरण जिन पर इस संकल्प के समर्थन अथवा अस्वीकृति के तर्क आधारित हो सकते हैं, नहीं दिये गये हैं । प्रश्नों के सम्बन्ध में अध्यक्ष का यह कर्तव्य अथवा अधिकार है कि वह प्रश्न को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे । जब तक उन अस्वीकृत विशिष्ट प्रश्नों की ओर ध्यान आकृष्ट नहीं किया जाता है जिन से सभा को यह अर्थ निकालने के लिए कहा जाय कि पक्षपात के कारण तथा अन्य अनेक कारणों से जो उनके हटाये जाने के लिए आधार बन सकते हैं, ऐसा किया गया है, सभा के लिए उन विषयों पर विचार करना असम्भव है । अतः यह आवश्यक है कि प्रश्नों तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में विशिष्ट उदाहरण दिये जायं जिनसे आपत्तियों का उत्तर दिया जा सके या उनसे यह अर्थ निकाला जा सके कि वह पक्षपात के दोषी हैं ।

यह एक बात है । साथ ही यह तर्क रखा गया था कि अध्यक्ष को पद से हटाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमों में विशिष्ट नियम २१९ और २२० रखे गये हैं और जब विशिष्ट उपबन्ध बनाये गये हैं तब संकल्पों के बारे में साधारण उपबन्ध लागू नहीं किये जाने चाहियें । नियम २१८ से २२० तक उन्हीं नियमों का भाग है जिनमें संकल्पों के लिए उपबन्ध दिया गया है । वास्तव में नियम २१९ और २२० में किसी समय सीमा का निर्देश नहीं है । क्या किसी माननीय सदस्य को संकल्प पर अनिश्चित समय तक बोलने की अनुमति दी जाय ? अतः जहां कहीं उपबन्ध नहीं किया गया है वहां नियमों के अधीन अन्य उपबन्ध, बशर्ते कि वे असंगत न हों, लागू किये जाने चाहियें । प्रत्येक दशा के लिए सभी नियम नहीं बनाये गये हैं । संकल्पों सम्बन्धी नियम प्रत्येक अन्य विषय के लिए जोड़े जायें । अतः मुझे उस तर्क में कोई बल नहीं दिखायी पड़ता ।

संविधान के अनुच्छेद ९४ का यह दिखाने के आशय से निर्देश किया गया है कि कोई आधार प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । मैं सभा से यह पूछना चाहता हूं कि किसी विशिष्ट बात के अनुपेक्ष अध्यक्ष को यहां होना चाहिये या नहीं । जिस प्रकार निर्वाचन के समय कोई तर्क नहीं प्रस्तुत किये जाते हैं उसी प्रकार यह निर्वाचन क्रिया के विपरीत है और ज्यों ही कोई संकल्प रखा जाता है, प्रश्न मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और बहुमत द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है । किन्तु बाद के एक अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि अध्यक्ष चाहें तो वह कार्यवाही में भाग ले सकता है । अतः सभा को यह विचार करना आवश्यक है कि अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जाये । जब तक वह यह न जानें कि उन्हें किन अभियोगों का उत्तर देना है, उनके लिए उत्तर देना असम्भव है । अतः माननीय सदस्य किसी निर्णय पर पहुंचने के पूर्व दोनों ओर ध्यान दें । अतः यह एक महत्वपूर्ण आपत्ति है ।

श्री राघवाचारी ने कहा था कि मैंने पहले ही उसे स्वीकार कर लिया है और अब मैं उस निर्णय को बदल नहीं सकता हूं, किन्तु मैंने उसे अब तक स्वीकार नहीं किया है ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

मैंने केवल उसे क्रमपत्र पर यहां रखा है जिससे कि हम उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय कर सकें। मैं जानना चाहता हूं कि वह किस प्रकार ग्राह्य है।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : किन्तु आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैंने भी उस संकल्प पर हस्ताक्षर किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को अनुमति नहीं दे सकता हूं। जब मैंने श्री वी० मिश्र से बोलने के लिए कहा तब श्री एस० एस० मोरे ने कहा था कि मैं बोलूंगा। अतः मैंने सोचा कि वह सब की ओर से बोलना चाहते हैं। मैंने श्री राघवाचारी को भी इस अवसर पर बोलने की अनुमति दे दी है। अतः यह कहना बिल्कुल गलत है कि जब तक सभी हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के भाषण समाप्त न हो जायं, मुझे कोई निर्णय नहीं देना चाहिये। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

अतः जब तक विशिष्ट अभियोग न लगाये जायं, यह संकल्प स्पष्ट है। नियम बाह्य है। किन्तु जैसा कि सभा नेता ने कहा है कि ऐसे गंभीर मामले के विषय में वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करना चाहते हैं मैं भी केवल प्राविधिक आधार पर इसे अस्वीकार करना नहीं चाहता हूं। यह एक विचार है। अतः मैं इस प्रस्ताव के लिए अनुमति दे रहा हूं। यद्यपि यह भविष्य के लिये पूर्ववाद नहीं होगा, फिर भी मैं यह निर्णय देता हूं कि यह ऐसा संकल्प नहीं है जो नियम २१९ और २२० के अधीन आता हो जिसके लिये संकल्प का विशिष्ट तथा स्पष्ट होना आवश्यक है। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए और इन विशिष्ट बातों की ओर ध्यान दिलाने के लिये इस संकल्प पर बोलने वाले माननीय सदस्य प्रश्नों और स्थगन प्रस्तावों के बारे में निश्चित तथ्य प्रस्तुत कर। मैं केवल उन्हीं विषयों पर चर्चा की अनुमति दूंगा। माननीय सदस्य निश्चित तीन चार प्रश्न या तीन चार स्थगन प्रस्ताव सभा के समक्ष रखें जिनकी ओर वे सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। केवल इसलिए कि "इत्यादि" शब्द का प्रयोग किया गया है, अन्य किसी विषय पर जिसकी विवेचना अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में की हो, चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जायगी। अतः मैं इस संकल्प को स्वीकार करता हूं। अब मैं जानना चाहता हूं कि कितने माननीय सदस्य इसका समर्थन करते हैं।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : आपने कहा कि संकल्प हमारे प्रक्रिया नियमों से अर्थात् नियम १९१ से आगे वाले नियमों से संचालित होना चाहिये। नियमानुसार, प्रत्येक संकल्प को स्वीकार किये जाने के पूर्व कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। किन्तु मेरे मित्र श्री राघवाचारी को उत्तर देते हुए आपने कहा कि यद्यपि मैंने संकल्प की ग्राह्यता के सम्बन्ध में पहले से कोई निर्णय नहीं किया है परन्तु मैं उससे पूर्व सभा का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं। क्या मैं यह समझूं कि भविष्य में सभी संकल्पों के सम्बन्ध में ग्राह्यता के विषय में निर्णय देने के लिये आप इसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे ?

आगे आपने कहा था कि निश्चित तथ्य बताये जाने चाहियें। एक या दो प्रश्नों के सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय हमारे निर्णय से भिन्न हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी विशिष्ट प्रश्न पर मतभेद होने की सम्भावना हो सकती है। किन्तु जब अनेक प्रश्नों पर अनुमति नहीं दी गयी तब हमने यह सोचा कि वह हमेशा ऐसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं जो सदन के हितों के विरुद्ध है। उस दशा में क्या आपका यह निर्णय है कि हम संकल्प में यह उल्लेख करें कि अमुक अमुक प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दी

गयी है ; और इन आधारों पर वह इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं ? यदि इस प्रकार आप निर्णय दें तो मैं उसे अन्य सभी संकल्पों पर लागू करूंगा ; और उस दशा में हम नहीं जानते कि भविष्य में किस प्रकार संकल्प प्रस्तुत किये जायेंगे क्योंकि अन्य संकल्पों अथवा स्थगन प्रस्तावों के बारे में कुछ निश्चित रूप हैं और यह एक नयी प्रक्रिया है। आपने प्राविधिक आधार पर यह संकल्प अस्वीकार नहीं किया है किन्तु आपने जो विचार प्रकट किया है उससे नियमों के निर्वचन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः हम चाहते हैं कि आप सारी स्थिति को स्पष्ट करें।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर—उत्तर-पूर्व) : मेरा यह निवेदन है कि यदि यह संकल्प स्वीकृत हो जाय तो आप दो या तीन दिन के स्थगन की अनुमति दें जिससे कि सारी सभा को वह विशिष्ट तथ्य ज्ञात हो जायं जिन के विषय में आरोप लगाये गये हैं और माननीय सदस्य तैयार होकर आ सकें।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० के० बसु ने दो बातें रखी हैं। संकल्प की ग्राह्यता के विषय में जब मैंने कहा था कि मैंने उसे अभी स्वीकार नहीं किया है, तो मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता था और इसलिए मैंने समर्थक सदस्यों को खड़े होने और सभा का नेतृत्व करने के लिए कहा था। अतः भविष्य में सभी संकल्पों के ग्राह्यता के लिए यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। नियम १९१(१) के अधीन माननीय अध्यक्ष को उनके लिए अनुमति न देने का पूरा पूरा अधिकार है। किन्तु यह संकल्प उस प्रकार का नहीं है, अतः मैं उसे अस्वीकार करना नहीं चाहता था यद्यपि अनेक माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के बाद मेरी यह राय थी कि वह अधिक स्पष्ट और ठीक होना चाहिये था।

इन परिस्थितियों में यह पूर्ववाद नहीं हो सकता है कि प्रत्येक संकल्प को ग्राह्य अथवा अग्राह्य घोषित किये जाने से पूर्व सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। अतः इस संकल्प के सम्बन्ध में, कि उसे स्वीकार किया जाय अथवा न किया जाय, मैं सभा के दोनों ओर के दृष्टिकोण जानना चाहता था। मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि बिना निश्चित अभियोग लगाये किसी मुकदमे को हम चला नहीं सकते हैं। अतः यह कहना नितान्त आवश्यक है कि अमुक अमुक अभियोग हैं। अतः इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि प्रश्नों अथवा स्थगन प्रस्तावों के विषय में तीन या चार विशिष्ट बातें सामने रखी जायं जिन पर कि चर्चा की जा सके और जिनका उत्तर दिया जा सके। सर्व प्रथम बोलने वाले माननीय सदस्य उन बातों को प्रस्तुत करें जिससे कि सभा का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया जा सके।

किसी अन्य दिन के लिये सभा के स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को १४ दिन की अवधि प्राप्त थी और उस बीच उन्हें इन सभी विषयों पर सोच लेना चाहिये था। यदि अनुमति दी गई तो मैं चाहता हूं कि आज सायंकाल इस संकल्प पर चर्चा हो और इसे आज ही समाप्त कर दिया जाय। प्रस्ताव यह है :

> "कि यह सभा, स्थगन प्रस्तावों पर सहमति देने, प्रश्नों को अस्वीकार करने, आदि के बारे में सभा के अध्यक्ष के आचरण पर विचार करने पर यह समझती है कि उन्होंने सभा के सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त करने के लिये आवश्यक निष्पक्ष रवैया बनाये रखना बन्द कर दिया है ; कि अपने पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण वह सभा के सदस्यों के अधिकारों का ध्यान नहीं रखते हैं और न अधिकारों का हनन करने वाली घोषणायें और निर्णय

[उपाध्यक्ष महोदय]

देते हैं ; कि वह सभी विवादग्रस्त मामलों में संसद् के दूसरे सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना के मुक़ाबले में सरकारी प्रवक्ता की बात का खुला समर्थन करते हैं; कि इन सब कार्यों से इस सभा का कार्य उचित रूप से संचालन करने के लिये और जनता की शिकायतों को अच्छी तरह प्रकट करने के लिये खतरा पैदा हो गया है, और इसलिये सभा संकल्प करती है कि उनको उनके पद से हटा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गयी है। सभा इस संकल्प पर ४ बजे चर्चा करेगी।

श्री राघवाचारी : नियमानुसार जब कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो पर्याप्त संख्या होने पर अध्यक्ष महोदय चर्चा के लिये एक दिन निर्धारित करते हैं। इस का यह अर्थ नहीं है कि चर्चा उसी दिन हो। अतः चर्चा के लिये कोई और दिन निर्धारित किया जाय, न कि आज ही का दिन।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आवश्यक नहीं है। मैं उसे आज ३ बजे लूंगा।

श्री एस० एस० मोरे : क्या मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकता हूं कि हमें पहले समय नियत करना होगा। जब तक हमें यह न मालूम हो कि कितना समय हमें दिया जायगा, हमारे लिए इस पर चर्चा करना कठिन है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि आप चाहें, तो हमें डेढ़ घंटा मिल सकता है।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : चर्चा ४ से ६ बजे तक हो।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आप उसे ३—३० पर रख सकते हैं।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : मैं यह बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत गम्भीर विषय है। प्रधान मंत्री ने भी इसे अत्यन्त गम्भीर विषय बताया है। किन्तु मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि वे इसे डेढ़ घंटे में ही निपटाना चाहते हैं। हम पूरे एक दिन की चर्चा चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तक इस संकल्प से हम को इस बात की कोई सूचना नहीं है कि कौन से विषय प्रस्तुत किये जाने वाले हैं। मैं समझता हूं कि प्रश्नों के सम्बन्ध में तीन चार बातें स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में तीन चार बातें कही जायेंगी। मैं इस संकल्प पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। अतः प्रत्येक दल के सदस्यों की संख्या के अनुसार समय दिया जाएगा। अतः यदि एक घण्टा प्रस्तावक के लिए और उत्तर के लिए पर्याप्त न हो और यदि अन्य सदस्य भी उसमें भाग लेना चाहें तो डेढ़ घंटा पर्याप्त हो सकता है। सभा इस संकल्प पर ३—३० पर चर्चा प्रारम्भ करेगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि चर्चा किसी अन्य दिन होनी चाहिये। यह एक गम्भीर विषय है और १४ दिन की सूचना दी जा चुकी है।

श्री पुन्नूस : आपके निर्णय देने के पूर्व क्या मैं यह बता सकता हूं कि स्थगन प्रस्ताव के लिए भी हमें ढ़ाई घंटे मिलते हैं ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम उसे डेढ़ घंटे में कैसे निपटा सकते हैं ?

श्री एस० एस० मोरे : मैं आपका ध्यान नियम ८१ की ओर आकर्षित करता हूं। यद्यपि यह संकल्प इस विशिष्ट रूप मे रखा गया है, फिर भी यह एक प्रकार का स्थगन

प्रस्ताव-निंदा का प्रस्ताव ही है । यदि हम उसे स्थगन प्रस्ताव के जैसा ही समझें तब भी नियम ८१ के अन्तर्गत कम से कम ढाई घंटे तो नियत किये जाने चाहिये थे । किन्तु यह संकल्प स्थगन प्रस्ताव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं चर्चा को सीमित नहीं करना चाहता हूं । जहां तक मेरा सम्बन्ध है आप एक सप्ताह तक चर्चा कर सकते हैं । (**अन्तर्बाधा**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा इस संकल्प पर चर्चा ३-३० पर प्रारम्भ करेगी और ५-३० पर समाप्त करेगी । जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है दो घंटे पर्याप्त हैं । अब प्रारम्भ में बोलने वाले माननीय सदस्य को विरोधी दल में किसी प्रवक्ता को या सभा के नेता को २० या २५ मिनट मिलेंगे और बाकी प्रत्येक माननीय सदस्य को १५ मिनट मिलेंगे । मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि ये चर्चा में बहुत शान्त और विचारवान् रहें । (**अन्तर्बाधाएं**) ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : मेरे विचार से दो घंटों का समय पर्याप्त नहीं है क्योंकि संकल्प पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों में प्रत्येक दल के कम से कम कुछ सदस्य हैं और दूसरी ओर के भी कुछ सदस्य बोलना चाहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : दलों के नेताओं के अतिरिक्त अन्य सदस्य न बोलें ।

श्री राघवाचारी : नियमों में यह निश्चित रूप से कल्पना की गयी है कि दस दिन के भीतर कोई दूसरा दिन निर्धारित किया जा सकता है । अतः आप उसे आज ही निपटाने के बजाय नियम की मूल कल्पनाओं को लें । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आप इसका तुरन्त ही निपटारा करना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस के लिए १४ दिन की सूचना दी गयी है और उसके बाद यह रखा गया है । मुझे विश्वास है कि जिन सदस्यों ने सूचना दी है उन्होंने पूरा पूरा निश्चय कर लिया होगा, अन्यथा उत्तरदायी व्यक्तियों ने हस्ताक्षर न किये होते । फिर सभा को और दूसरे कार्य भी करने हैं, जिनके लिए समय निकालना है, अब समय नहीं है कि प्रस्तावक यह कहें कि आपको अधिक समय देना चाहिये क्योंकि हम तैयार नहीं हैं । अन्य सदस्यों ने इसकी मांग नहीं की है । इन परिस्थितियों में इसके एक गम्भीर विषय होने के कारण इस पर आज ही ३-३० से ५-३० के बीच चर्चा की जायेगी ।

श्री राघवाचारी : मैंने अपने लिए यह नहीं कहा कि मैं तैयार नहीं हूं बल्कि इसलिए कि सबके के लिए पर्याप्त समय होना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : समय निर्धारित करने में साधारण प्रथा यह होती है कि सभापति सभा के नेता से औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से परामर्श करना है । सभा के नेता ने यह स्पष्ट कहा है कि वह इस पर एक सप्ताह तक चर्चा करने के लिए तैयार हैं । अतः मेरा निवेदन है उसे दृष्टि में रखते हुए आप अपने निर्णय में कुछ सुधार कर के कुछ अधिक समय हमें दें ।

१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें---आंध्र

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा आन्ध्र राज्य से सम्बन्धित अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार करेगा । इसके पश्चात्, सभा परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर चर्चा करेगा ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं केवल दो बातों की ओर निर्देश करना चाहता हूं । मन्त्रालय ने आन्ध्र निवासियों का समर्थन प्राप्त करने के लिये जल्दी में करोड़ों रुपये की

[श्री राघवाचारी]

लागत की इतनी परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपने आप को बाग्वद्ध कर दिया है जिनको वह एक तो क्या दो कार्यकालों में भी कार्यान्वित नहीं कर सकता है। इस हड़बड़ी तथा जल्दी में मंत्रालय ने छोटी सिंचाई योजनाओं को बिल्कुल भुला दिया है। छोटी सिंचाई योजनाओं की आवश्यकता तथा उपयोगिता के सम्बन्ध में अधिक तर्क करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक तो उन पर लागत अधिक नहीं आयेगी और दूसरे उनके परिणाम भी शीघ्र ही हमारे सामने आ जायेंगे।

आन्ध्र देश के उन भागों में जहां वर्षा का औसत २० इंच है प्राचीन राजाओं ने तालाब बनवाने की नीति अपनाई थी। उनमें वर्षा का जल इकट्ठा होता था और बेकार नहीं बहने दिया जाता था। सरकार को सर्वप्रथम इन छोटी योजनाओं की, जिनकी लागत १००० रुपये से अधिक नहीं होगी, सम्भावनाओं पर विचार करना चाहिये, ऐसा करने से सिंचाई कार्य को बहुत प्रश्रय मिलेगा। ऐसा नहीं किया गया है। इसके विपरीत १०० करोड़ या १५० करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं के प्रारम्भ किये जाने की घोषणायें की गई हैं। यह घोषणा अधिकतर विज्ञापन के लिये ही हैं कोई शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिये नहीं हैं।

दूसरी बात मैं विद्युत् शक्ति के सम्बन्ध में कहना चाहता था। मैं सरकार की इस नीति की कि विद्युत् शक्ति गांवों और देहातों तक में उपलब्ध हो, सराहना करता हूं। इन योजनाओं को वास्तविक रूप देने में दो कठिनाइयां सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि जितनी विद्युत् शक्ति हमारे राज्य में काम म आती है उसका अधिकांश भाग हमें समीपवर्ती मसूर राज्य से क्रय करना पड़ता है। मैसूर राज्य हमें दो प्रकार की विद्युत् शक्ति देता है। देहातों में विद्युत् शक्ति का विस्तार करने का कार्यक्रम बनाने से पूर्व सरकार को इस कठिनाई का हल सोचना चाहिये था और एक ही प्रकार की शक्ति के दिये जाने की व्यवस्था करनी चाहिये थी। हमारे राज्य की जनता और विशेष कर किसान निर्धन हैं और उनके लिये बार बार अपनी मोटरों, पम्पों आदि को बदलना प्रायः असम्भव है। इसलिये मेरा निवेदन है कि समूचे राज्य में एक ही प्रकार की अर्थात् ५० साईकिल्स वाली विद्युत् शक्ति ही प्रदाय की जाये। इससे मैं विद्युत् शक्ति-विस्तार के कार्यक्रम को रोक देने का आग्रह नहीं कर रहा हूं अपितु मैं तो चाहता हूं कि यह कार्य और भी शीघ्रता से किया जाये।

दूसरी बात मैं सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मद्रास से विभिन्न मुख्य कार्यालयों का अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण करते समय अनन्तपुर की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी गई है। वहां केवल एक पुलिस ट्रेनिंग कालिज है, अन्यथा उसकी सर्वथा उपेक्षा कर दी गई है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

अब मैं नव-निर्मित आन्ध्र उच्च न्यायालय की बात लेता हूं। जब आन्ध्र विधेयक इस सभा में विचाराधीन था, मैं ने इस बात का प्रयत्न किया था कि विधेयक में एक खंड ऐसा रखा जाये जिसके अनुसार सरकार तथा उच्च न्यायालय को आन्ध्र राज्य में किसी भी स्थान पर डिवीजन बैंच स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो। मेरा उद्देश्य यह था कि लोगों को काफ़ी व्यय करके एक ही स्थान पर न आना पड़े। मैं जिस बात का निर्देश कर रहा हूं उसकी ओर मैं माननीय गृह-कार्य उपमंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। यह मामला उच्च न्यायालय के विशेष अधिकार के अन्तर्गत

आता है। गंतूर जैसे अधिक जनसंख्या वाले नगर में लाखों रुपये खर्च करके उच्च न्यायालय के भवन तथा न्यायाधीशों के निवास स्थान बनाने की अपेक्षा अनन्तपुर में उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बैंच क्यों न स्थापित की जाये। यह नगर रायलसीमा का केन्द्र है और इससे यहा की जनता को भी काफी सुविधा रहेगी। यह सिद्धान्त संघ सरकार द्वारा माना जा चुका है और त्रावनकोर-कोचीन उच्च-न्यायालय से सम्बन्धित विधेयक में किसी अन्य स्थान पर उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के स्थापित किए जाने का उपबन्ध किया गया था। अतः मेरा निवेदन है कि आन्ध्र उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बैंच अनन्तपुर में स्थापित की जाये। इस के लिए विधान सभा की स्वीकृति नहीं है और न इसके लिए कोई जन आन्दोलन करने की ही आवश्यकता है। यह तो केवल उस सिद्धान्त का, जो सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार किया जा चुका है, विस्तार मात्र है। आन्ध्र सरकार तथा आन्ध्र उच्च न्यायालय द्वारा यह कार्य बड़ी सरलता से किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : आंध्र राज्य के लिए अनुदान की मांग का समर्थन करते हुए मैं विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं अतः मैं आंध्र के प्रशासन और वहां सम्पन्न हुए सिंचाई के साधनों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। विपक्षीय दल के कुछ सदस्यों ने आंध्र राज्य के प्रशासन की निन्दा की है और कहा है कि सिंचाई के साधनों के बारे में कर्नूल जिले की उपेक्षा की गई है। यह सब आलोचना निराधार और अनुचित है।

अनुदानों की अनपूरक मांगों सम्बन्धी पुस्तिका से पता चलता है कि आंध्र सरकार ने २७ ऐसे काम हा लिए जिन की लागत अनुमानतः ६ करोड़ रुपये होगी। तुंगभद्रा परियोजना से कुर्नूल को सबसे अधिक लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त राजधानी बनाए जाने के कारण भी वहां बहुत उन्नित हुई है। भवनों, सड़कों, बिजली पानी इत्यादि पर लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं। आज कुर्नूल एक अतीव सुन्दर नगर का रूप धारण किए हुए है।

एक सदस्य ने कहा है कि सरकार रय्यतो को ऋण नहीं दे रही है किन्तु हमें पता चलता है कि इसमें दोष सरकार का नहीं है वरन् एसे लोगों का है जो ऋण सम्बन्धी योजना के विरोध में है।

कुप्पूस्वामी समिति के प्रतिवेदन की कार्यान्विति हो जानी थी किन्तु दुर्भाग्यवश विधान सभा भंग हो जाने के कारण ऐसा न हो सका। सरकार आलस्य अथवा उपेक्षा से काम नहीं ले रही है और उन्हें आंध्र राज्य के हितों का पूरा ध्यान रहता है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जा रहा है। इस नहर के बनने से वहां के लोगों का एक पुराना स्वप्न पूरा होगा। गत चालीस वर्ष से रायलसीमा के लोग इसके लिए आन्दोलन करते रहे हैं। इस समय यह क्षेत्र सिंचाई के लिए एकमात्र वर्षा पर ही निर्भर है। यदि वहां सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था हो सके तो वहां की भूमि बहुत उपजाऊ है और उसमें बहुत अच्छी उपज हो सकती है। इस नहर के खुदने से कई क्षेत्रों में पीने के पानी सम्बन्धी वर्तमान तंगी भी दूर हो जाएगी।

रायल सीमा में बिजली की व्यवस्था करने के लिए आंध्र सरकार बधाई की पात्र है। उन्होंने इसके लिए कई एक ताप-विद्युत् केन्द्र स्थापित कर दिए हुए हैं, विशेषकर कादिरी और धर्मवरम् में तो क्रमशः ३० और ४० दिनों में ही स्थापित हो गए थे।

[श्री लक्ष्मय्या]

मुझे खेद है कि मेरे अपने ताल्लुक कल्याण-दुग में और मेरे ज़िले के एक और ताल्लुक मडागू सराय में अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। यह दोनों ताल्लुक निर्धनावस्था में हैं, और सम्भवत: इसी लिए इनकी इस प्रकार उपेक्षा की गई है।

आंध्र में ५ लाख कुएं और १२ लाख तालाब हैं और आंध्र सरकार ने अनेक तालाबों की मुरम्मत का काम आरम्भ कर रखा है। इसी प्रकार उन्होंने बहुत सी लघु सिंचाई योजनाएं भी चालू की हैं।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री राघवाचारी ने कहा है अनन्तपुर में उच्च न्यायालय का एक डिवीज़न बैंच होना आवश्यक है। चित्तूर में विश्वविद्यालय है और कर्नूल को राजधानी बना दिया गया है किन्तु कुडप्पा और अनन्तपुर के लिए अभी कुछ नहीं किया गया।

तिरुपति में वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना करके आंध्र सरकार ने एक अत्यन्त प्रशंसनीय काम किया है, किन्तु वहां कुछ विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिएं जो वाल्टेयर से भिन्न हों।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मैं अपना ध्यान उन दो कटौती प्रस्तावों के विषय पर ही केन्द्रित करना चाहता हूं जिनकी सूचना मैंने दी है। किन्तु सिंचाई मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि यहां उपस्थित नहीं है। अनुपूरक मांगों के समय मंत्रियों का यहां रहना आवश्यक है।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : ये आंध्र के लिए अनुपूरक मांगें हैं, और उसके लिए हम उपस्थित हैं।

रामचन्द्र रेड्डी : माननीय वित्त मंत्री, कुछेक विशेष सिंचाई-सुविधाओं के सम्बन्ध में आंध्र-प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण को उचित प्रकार से समझ नहीं सकेंगे।

श्री एम० सी० शाह : सिंचाई और विद्युत मंत्रालय भी इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ न कह सकेगा। हम इस चर्चा के नोट लेकर आंध्र सरकार को भेज देंगे।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मांग संख्या ३४ के पृष्ठ ७ पर हीन क्षेत्रों को सुधारने के विषय में कई योजनाएं दी गयी हैं। वैसे तो, मैं इन योजनाओं का स्वागत करता हूं क्योंकि ये उन क्षेत्रों का पर्याप्त सीमा तक सुधार करेंगी, तथापि, इनमें से कुछेक योजनाओं के बारे में मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं। कालंगी जलाशय के निर्माण के लिए लगभग १४,६६,००० पये के खर्चे का अनुमान लगाया गया है। यह ज़िले में ३,००० या ४,००० एकड़ भूमि का जल-सिंचन करेगा। तो इसका अर्थ यह है कि आन्ध्र सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था वाली पंजीबद्ध १०,००० एकड़ भूमि तथा २,००० एकड़ टी० जे० भूमि की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस के विषय में अच्छी प्रकार से जांच करे। सम्भव है कि प्राक्कलन तैयार करते समय ठेकेदारों के हितों को ही दृष्टि में रखा गया हो। अत: मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अपने पदाधिकारी नियुक्त करे और आंध्र सिंचाई विभाग के सहयोग से ऐसी जांच करने का प्रयत्न करे, जिससे केन्द्रीय सरकार के इस धन का अधिकतम उचित लाभ उठाया जा सके और कार्य भी शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जा सके।

के० सी० नहर के नवीकरण के लिए ३,००,००० रुपये की राशि रखी गयी है। खोसला समिति ने यह सुझाव दिया है कि तीन करोड़ रुपया लगा कर नेल्लोर ज़िले के लिए दो नई नहरों को भी पानी दिया जा सकता है। मुख्य इंजीनियर का यह विचार है कि

नवीकरण के उपरान्त भी यह नहर ६००० क्यूसेक से अधिक जल नहीं दे सकती, परन्तु केन्द्रीय सरकार व्यर्थ में ही इस की क्षमता ६००० क्यूसेक से अधिक बढ़ाने की आशा कर रही है। अतः मेरा सुझाव है, कि इस पर ६ करोड़ रुपये की राशि जो कि संभवतः ८ करोड़ तक पहुंच सकती है व्यर्थ में व्यय करने के स्थान पर, पेनार नदी की सीमा पर जलाशय बनाया जाए। आन्ध्र के राज्यपाल, श्री त्रिवेदी ने भी इस सोभासिला परियोजना की स्थिति का निरीक्षण किया है और वे उससे प्रभावित हुए हैं। अतः के० सी० नहर पर लगाए जाने वाली राशि इसी परियोजना में प्रयुक्त की जा सकती है और इस पर दस करोड़ से अधिक व्यय नहीं आएगा। अतः मेरा सुझाव है कि लगभग दस लाख एकड़ भूमि को जल देने की दृष्टि से इस परियोजना को अवश्य ही कार्य रूप में परिणित करना चाहिए।

नेलूर ज़िले में दो नहरों को पानी देने के हेतु के० सी० नहर के सुधार के बारे में, मेरा यह विचार है कि जब तक ऊपर से किसी विशेष प्रकार से पानी का संभरण न हो तब तक इन दो नहरों का कोई लाभ न होगा।

इसके अतिरिक्त मैं आन्ध्र की पुलिस के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। आन्ध्र में मद्य-निषेध असफल सिद्ध हुआ है। इस मद्य-निषेध का वहां की पुलिस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वहां के पुलिस-निरीक्षकों तथा उप-निरीक्षकों को, नियमित रूप से और खुले ढंग से, एक निश्चित मामूल भेंट किया जाता है। अतः इस प्रकार के नैतिक पतन की रोकथाम के लिए शीघ्रातिशीघ्र कोई कार्यवाही करना आवश्यक है।

कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक् करने का भी पुलिस की कार्यपटुता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। न्यायपालिक दण्डाधिकारियों के निर्णय पुलिस के मामले के विरुद्ध जा रहे हैं, और पुलिस ऐसा अनुभव करती है कि अब मामले चलाने का कोई लाभ न होगा, अतः अनेकों शिकायतों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। यह एक चिन्ता-जनक स्थिति है। अतः नये पुलिस पदाधिकारियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये कि वे बिना किसी प्रकार के लोभ लालच के ठीक प्रकार से अपना कर्तव्य निभा सकें। अतः यह अत्यावश्यक है कि केन्द्रीय सरकार इसकी ओर ध्यान दे और वहां पर ऐसे ढंग अपनाए जिससे वहां का प्रशासन सुधर सके और शान्ति की व्यवस्था स्थिर हो सके।

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, इसके बारे में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। मैंने समझा था कि अनुदानों की ये अनुपूरक मांगें केवल एक विशेष खर्च के सम्बन्ध में हैं जिस के लिए कुछ धन संचित निधि से प्राप्त करना है। परन्तु राष्ट्रपति के नियम के अनुसार हमें ये मांगें संसद् के सम्मुख रखनी पड़ी हैं, और मैंने समझा था कि इन सभी मांगों के व्याख्यात्मक नोट इतने विस्तृत हैं कि और अधिक जानकारी देने की कोई विशेष आवश्यकता न होगी।

नीति के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाए गए हैं, और हमने यही उचित समझा है कि आन्ध्र सरकार का एक उच्चाधिकारी इसमें लिया जाय, इस सभा में उठाए गए सभी प्रश्नों को नोट किया जाय और उन्हें राज्यपाल तथा शीघ्र ही बनने वाले भावी मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाय।

पुलिस तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में मेरे साथी, गृह-कार्य उप-मंत्री उत्तर देंगे। आन्ध्र राज्य में विद्युत शक्ति के विकास के विषय में एक प्रश्न उठाया गया था। मेरे पास एक संक्षिप्त नोट है और उसका निर्देश मैं केवल उतना ही

[श्री एम० सी० शाह]

करूंगा जितना संगत होगा। ऐसा कहा गया है कि आन्ध्र राज्य में विद्युत शक्ति को विकसित करने की आवश्यकता है। आंकड़े बताते हैं कि १९५६ के अन्त तक ४७,७०० किलोवाट विद्युत का उत्पादन होगा। इस प्रकार से ५,००० किलोवाट अतिरिक्त विद्युत् उत्पन्न होगी। इस समय माचकुंड क्षेत्र में उत्पादन-क्षमता १७,३०० है तुंगभद्रा क्षेत्र में ६,५०० है, नैल्लोर क्षेत्र में २५,००० है और चितूर क्षेत्र में ३,८०० है। कुल मांग में भी वृद्धि होगी, जिसका अनुमान ४२,००० है जबकि कुल उत्पादन ४७,००० किलोवाट है। इस प्रकार से ५,००० किलोवाट विद्यत का अतिरिक्त उत्पादन होगा।

फिर भी यह जान लिया गया है कि आन्ध्र में विद्युत-शक्ति के विकास तथा उसके उपयोग की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं और इन शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए राज्य सरकार विद्युत विभाग के पास निर्माण-कार्य का एक सक्रिय कार्यक्रम है, और यह कार्यक्रम ना ही केवल प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए, अपितु आगामी सभी योजनाओं की अवधि के लिए है। इस समय निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है माचकुंड योजना (प्रथम अवस्था ५,१०० किलोवाट) तथा तुगभद्रा योजना (प्रथम अवस्था ३,६०० किलोवाट)। माचकुंड योजना उत्तर में श्रीककुलम जिले तथा दक्षिण में गंटूर जिले में आन्ध्र राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों को पानी प्रदान करेगी। तुंगभद्रा योजना मुख्य रूप से निकटवर्ती जिला-क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगी। माचकुंड योजना १९५५ के अन्त में, और तुंगभद्रा विद्युत संयत्र १९५७ तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।

इन क्षेत्रों में विद्युत की भावी मांगों को पूर्ण करने के हेतु, अनेको नई विद्युत परियोजनाओं को, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए, प्रस्तावनाएं प्रस्तुत की गई हैं, और यह सभी योजना आयोग के विचाराधीन हैं। इसमें माचकुंड विद्युत गृह (५१,००० किलोवाट की द्वितीय अवस्था, तुंगभद्रा जल-विद्युत योजना (लगभग ३०,००० किलोवाट) की द्वितीय अवस्था, नन्दीकोंडा जल-विद्युत योजना (प्रथम अवस्था ७५,००० किलोवाट) सिलेरू जल-विद्युत योजना (प्रथम अवस्था ७५,००० किलोवाट), नेल्लोर ताप, विद्युत गृह योजना, (३०,००० किलोवाट) और समुचित जल-परिवहन तथा जल वितरण योजनाएं सम्मिलित हैं।

उक्त बातों से स्पष्ट हो गया होगा कि आन्ध्र राज्य में विद्युत-विकास के कार्यक्रम सक्रियता से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। सिंचाई के विषय में मुझे इतना ही कहना था मेरे माननीय मित्र, श्री दातार भी इस विषय में कहेंगे। इसके विषय में हमारे पास एक लम्बा चौड़ा नोट है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि इस वाद-विवाद की सारी कार्यवाही आन्ध्र सरकार को भेजी जायगी, और यहां पर उठाये गए सभी प्रश्नों पर उचित विचार किया जाएगा।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : इन अनुपूरक मांगों के विषय में अनेक बातें कही गई हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ये अनुपूरक मांगें हैं और आंन्ध्र की स्थितियों सम्बन्धी नीति के सामान्य प्रश्न की यहां चर्चा नहीं की जा सकती; दूसरे, आन्ध्र में

राष्ट्रपति का शासन न्यूनाधिक काम चलाऊ शासन है । यह सभा चाहती है कि वहां यथाशीघ्र सामान्य निर्वाचन हों और करनूल में लोकप्रिय सरकार शासन चलाये इन बातों का विचार करते हुए राष्ट्रपति का शासन चलाना होगा और इसलिए इस मामले में सामान्य नीति यह है कि पिछली सरकार ने जो नीति अपनाई थी, उसे यथासम्भव अपनाया जाय, और व्यापक नीति के मामलों में न पड़ते हुए अथवा बड़ी भारी योजनाओं को आरम्भ न करते हुए, शासन व्यवस्था चलाई जाय । इन व्यापक विचारों या सीमाओं के अनुसार, मैं सभा को बताऊंगा कि सरकार वहां क्या कर रही है और जो आलोचना यहां की गई है तथा सुझाव दिये गये हैं, उनका उत्तर भी दूंगा ।

पहली बात यह कही गई है कि तुंगभद्रा परियोजना क्षेत्र के विकास में कुछ विलम्ब हुआ है, अर्थात तकावी ऋण देने में विलम्ब हुआ है और दूसरे भूमि को सुधारने के लिये पर्याप्त सुविधायें नहीं दी गई हैं । इन दोनों बातों के विषय में मैं बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में भूमि को सुधारने के लिए सरकार ने ट्रैक्टर दिये हैं । दूसरे, सरकार ने कुछ अधिक ट्रैक्टर खरीदने की पहले से मंजूरी दे रखी है सरकार पहले से ही तकावी ऋण दे रही है और आन्ध्र सरकार ने इस क्षेत्र में ऋण देने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता की प्रार्थना की है । इस के अतिरिक्त आन्ध्र सरकार सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक भी तुंगभद्रा परियोजना के क्षेत्र में सहल शर्तों पर ऋण देने की सुविधायें प्रदान करने का विचार कर रही है ।

कल करनूल कडप्पा नहर के विषय में कुछ कहा गया था । इसे विषय में वस्तु स्थिति यह है कि आन्ध्र सरकार ने इस नहर को नये ढंग से बनाने की मंजूरी दे दी है, और जिन कामों के लिये यह अनुपूरक मांग की गई है, उनमें यह काम भी सम्मिलित है । मंजूर की गई योजना के अनुसार नहर में ३,००० क्यूसक पानी चलेगा । इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इसमें अधिक अर्थात् ६,००० क्यूसक तक पानी दिया जा सकता है । यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और इस मामले का निर्णय योजना आयोग की शिल्पिक समिति के परामर्श से किया जाएगा ।

नन्दीकोंड परियोजना भारत तथा आंध्र दोनों सरकारों के विचाराधीन है । आन्ध्र तथा हैदराबाद सरकारों द्वारा भेजे गए संयुक्त परियोजना प्रतिवेदन की योजना आयोग की शिल्पिक समिति द्वारा पड़ताल की गई थी और उसने कई सुझाव तथा टिप्पणियां दी हैं जिन पर विचार करना होगा । भारत सरकार ने आन्ध्र सरकार को कह दिया है कि वह शिल्पिक समिति द्वारा उठाये गये प्रश्नों के सुलझ जाने पर आन्ध्र और हैदराबाद सरकारों के परामर्श के साथ नन्दीकोडा परियोजना को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने को तैयार है । भारत सरकार ने एक और बात पर ज़ोर दिया है कि परियोजना प्रतिवेदन में जो वित्तीय आधार रखा गया है उसे नहीं छोड़ना चाहिये । इन शर्तों के साथ सरकार इन दो योजनाओं के लिये जो कुछ सम्भव है करने का प्रयत्न करेगी ।

श्री राघवाचारी ने कहा है कि तुंगभद्रा उच्च धरातल नहर योजना की सुविधाओं को अनन्तपुर जिला के लिये भी उपलब्ध किया जाए । अब स्थिति यह है कि कुछ समय पहले उस योजना का ८२ वीं मील तक अनुसन्धान किया गया था और उससे आगे आन्ध्र सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है । अनन्तपुर और धर्मवरम् ताल्लुकों को सिंचाई की सुविधाएं दी जा सकती हैं या नहीं, यह बात

[श्री दातार]

परियोजना के शिल्पिक अनुसन्धान पर अवलम्बित होगी ।

कालंगी नदी के विषय में कहा गया है कि नवीन योजना का वर्तमान सिंचाई अधिकारों पर कुप्रभाव पड़ेगा । आन्ध्र सरकार की नीति, जिसे भारत सरकार स्वभावतः अपना रही है, यह है कि जब तक शिल्पिक अनुसंधान यह सिद्ध न करे कि वर्तमान अधिकारों का अतिक्रमन किये बिना पानी उपलब्ध होग कोई परियोजना आरम्भ नहीं की जाएगी अतः,इस प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा । नन्दीकोंड परियोजना और कर्नूल कडप्पा नहर के सम्बन्ध में एक और बात की ओर ध्यान देना चाहिये । इन परियोजनाओं द्वारा किन क्षेत्रों को पानी दिया जाए, इसकी ओर सरकार का ध्यान लगा हुआ है और शिल्पिक समिति तथा योजना आयोग के परामर्श के साथ निर्णय किया जाएगा ।

कुछ और प्रश्न भी उठाये गये थे, एक प्रश्न आन्ध्र विश्वविद्यालय और तिरुपति वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में प्रचलित दोहरे अध्ययन क्रम के बारे में था। इस सम्बन्ध में सभा इस बात की ओर ध्यान देगी कि वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय रायलसीमा की जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिये स्थापित की गई थी, क्योंकि यह अनुभव किया गया था कि वाल्टेयर रायलसीमा से बहुत दूर है । वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने इस रूप में थोड़े दिनों से ही कार्यारम्भ किया है । इन परिस्थितियों के अधीन, कुछ मात्रा तक, कम से कम जहां तक निम्न अध्ययन-क्रमों का सम्बन्ध है, कुछ दोहरापन प्रायः अनिवार्य है । अन्यथा, यदि कुछ पाठ्य-क्रम निश्चित करने हैं, अर्थात् वाल्टेयर में, तो रायलसीमा के विद्यार्थियों को वहां जाने में असुविधा होगी, इसी प्रकार समुद्रतीय मिलों के विद्यार्थियों को नीचे जाना कठिन प्रतीत होगा । अतः इन प्रादेशिक विश्वविद्यालयों में इस प्रकार का दोहरापन किसी मात्रा तक अनिवार्य है, क्योंकि पहले वाले पाठ्य क्रमों को भी रखना पड़ता है । यह प्रश्न मुख्यतया स्नातकोत्तर पाठ्य क्रमों या ज्ञान अथवा विज्ञान आदि के विशेष विभागों के विषय में ही उत्पन्न होता है । इस विषय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आन्ध्र सरकार इस बात की ओर विशेष ध्यान देगी कि इन दोनों विश्वविद्यालयों का विभिन्न पाठ्य-क्रम निश्चित करने के मामले में योग्य मार्ग-दर्शन किया जाएगा सभा इस बात को अनुभव करेगी कि पाठ्यक्रम निश्चित करने का प्रश्न सम्बद्ध विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के अन्तर्गत है और इस मामले में सरकार केवल मार्ग दर्शन ही कर सकती है । इसलिये न राष्ट्रपति और न ही आन्ध्र सरकार किसी पाठय-क्रम विशेष को निश्चित करने के लिये आग्रह कर सकती है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय रायलसीमा की जनता के लिये अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी ने पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में यह कहा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् कर देने से कुशलता कम हो गई है । यह बड़ी विस्मयपूर्ण बात है । मूलभूत सिद्धान्तों के अनुसार इन दोनों शक्तियों का पृथक् होना अनिवार्य है और यदि इन दोनों शक्तियों के पृथक् होने से न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त किये गये हैं, तो ऐसे सभी मामलों में हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पुलिस की कुशलता कम न होने पाये और उचित मामले ही इन दंडाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाएं । मैं विश्वास करता हूं कि आन्ध्र की लोकप्रिय सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ।

मैं निषेध के विषय में यहां कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इस सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव की

अनुमति नहीं दी गई है । अत्यन्त विवादास्पद मामला होने के कारण इस पर अत्यन्त बारीकी से विचार करना होगा और सभा को विदित होगा कि योजना आयोग ने एक विशेष समिति बनाई है, जिसका सभापति इस सभा का सदस्य है । यह इस के सब पहलुओं पर विचार करेगी और इस अखिल भारतीय निकाय के प्रतिवेदन तथा सिफारिशों का आन्ध्र पर पूरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिये मैं अब इस प्रश्न पर अधिक नहीं बोलूंगा ।

श्री रघुरामैया आन्ध्र उच्च न्यायालय की वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं । आन्ध्र न्यायालय ५ जुलाई १९५४ को स्थापित हुआ था और आरम्भ में मद्रास उच्च-न्यायालय के तीन न्यायाधीश आन्ध्र उच्च न्यायालय में नियुक्त किये गये थे । तदुपरांत दो और न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं और वे १ नवम्बर १९५४ से कार्य कर रहे हैं । आन्ध्र के उच्चन्यायालय के लिये छः न्यायाधीश मंजूर हुए हैं और पांच न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं । छठे स्थान के लिये सरकार आन्ध्र सरकार की सिफारिश की प्रतीक्षा कर रही है । जिस समय सिफारिश आ गई, तुरन्त इस पद की पूर्ति के लिये कार्यवाही की जाएगी ।

श्री रघुरामैया (तेनालि) : क्या इस पद की पूर्ति वकीलों में से की जाएगी या सरकारी कर्मचारियों में से ?

श्री दातार : सरकार माननीय सदस्य की इस बात का ध्यान रखेगी । सरकार स्वभावतः चाहती है कि जिला न्यायाधीशों की श्रेणी में से अनुभवी न्यायाधीश उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहियें । अब इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाएगा । सरकार ऐडवोकेट न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारी-न्यायाधीशों दोनों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाना चाहती है । माननीय सदस्य की इस बात का ध्यान रखा जाएगा और यथाशीघ्र इस रिक्त स्थान की पूर्ति की जाएगा ।

श्री राघवाचारी ने अनन्तपुर में उच्च-न्यायालय का एक बैंच बिठाने के लिये कहा है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आन्ध्र उच्चन्यायालय को स्थापित हुए अभी छः महीने भी नहीं हुए हैं । इतनी जल्दी किसी अन्य स्थान पर उच्चन्यायालय का बैंच स्थापित करने की बात नहीं सोची जा सकती । ऐसा विचार करने से पूर्व, हमें इस बात का अनुभव प्राप्त करना चाहिए कि आन्ध्र उच्चन्यायालय किस प्रकार कार्य चला रहा है । इस प्रश्न पर आन्ध्र की लोकप्रिय सरकार ही विचार कर सकती है । अतः मैं उनसे कुछ समय तक प्रतीक्षा करने का निवेदन करूंगा ।

एक और बात कही गई है कि आन्ध्र सरकार के कार्यालयों को मद्रास से नहीं हटाया गया है । यह कर्नूल या अन्य किसी नगर में स्थान मिलने पर अवलम्बित है । इस पर विचार किया जा रहा है और यथा-सम्भव कार्यालयों को धीरे धीरे मद्रास से आन्ध्र राज्य में लाया जा रहा है ।

मैं समझता हूं कि मैंने वाद-विवाद के अन्तर्गत उठाई गई सब बातों का उत्तर दे दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी इन मांगों के सम्बन्ध में मतदान नहीं होगा, बल्कि ढाई बजे होगा जब विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा ।

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

[श्री पाटस्कर]

जैसा कि आप को ज्ञात है, १९५२ के अधिनियम में यह उपबन्ध किया गया था कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अन्तिम जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया जाय। किन्तु कुछ राज्यों के सम्बन्ध में, एक स्पष्ट गलती दिखाई दी थी। अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अन्तर्गत राष्ट्रपति का एक आदेश है और इस आदेश के अनुसार कुछ जातियों और समुदायों को अनसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां घोषित किया गया था। १० वर्षों तक के लिए उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त है। आदेश इस प्रयोजन के लिए जारी किया गया था।

वास्तव में १९४१ में एक पहली जनगणना हुई थी। १० वर्षों के बाद, १९५१ में एक और हुई थी। संविधान और परिसीमन अधिनियम दोनों के अन्तर्गत हमें निर्वाचन क्षेत्र अन्तिम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निश्चित करने हैं। अन्तिम जनगणना १९५१ में हुई थी। इस जनगणना में गिनने वालों ने केवल उन समुदायों के नाम दर्ज किये थे जिनका आदेश में उल्लेख किया गया था। देश के कुछ भागों में, उदाहरणतया पश्चिमी खांदेश जिले में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोंकना और कोंकने कहा जाता है। निर्वाचन याचिकाओं में कहा गया था कि जो लोग अपने आप को कोंकना कहते हैं, वे कोंकने आदिमजाति के नहीं हैं। वास्तव में यह एक ही नाम है और दोनों पर लागू होता है। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की गणना समानरूप से न हो सकी। जनगणना के समय उन्हें यह मालूम नहीं था कि बाद में परिसीमन अधिनियम पारित किया जायेगा जिसका प्रयोग इस बात के लिए किया जायेगा। हैदराबाद और सौराष्ट्र में इस कारण कुछ गलती हुई थी। उदाहरणतया हैदराबाद में यह कहा गया था कि यद्यपि जनसंख्या में तो वृद्धि हुई है, तथापि १९४१ की जनगणना के आंकड़ों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या में कमी हुई है। अतः इस मामले की जांच की जानी थी। जांच के बाद, उस राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की ठीक ठीक संख्या का पता लगाया जा कर इसे ठीक कर दिया गया था। इस आधार पर उन्हें कुछ अतिरिक्त स्थान मिले थे। सौराष्ट्र में भी ऐसे हुआ था। हो सकता है कि अन्य राज्यों में भी ऐसी गलतियां हुई हों। मैं नहीं कह सकता कि इस अधिनियम से सब गलतियां दूर हो जायेंगी।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है। यह एक बिल्कुल भिन्न मामला है। हम इस बात के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के साथ, जिन के लिए विशेष उपबन्ध किये गये हैं, कोई अन्याय न हो। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की बात की और सरकार का ध्यान दिलाया गया था। सम्भवतः कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ है। कुछ मामलों में सामग्री तुरन्त उपलब्ध भी है, जिससे यह सब कुछ ठीक किया जा सकेगा।

हम इस असंगति को दूर करना चाहते हैं। सहायता देने के लिए धारा ९ का क्या उपबन्ध रखा गया है।

धारा ८ में निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का आधार निर्धारित किया गया है। शद्धियां प्रकाशित की जायेंगी और उसके बाद सब कार्यवाही होंगी। प्रतीत होता है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश

में भी कुछ गलतियां हुई हैं। मैं अन्य राज्यों के मामले में भी जांच करूंगा। जहां पर अन्तिम आदेश जारी नहीं हुए इस संशोधन के द्वारा उन लोगों के प्रति न्याय किया जायेगा जिनके सम्बन्ध में ऐसी गलतियां हुई हैं। इस विधेयक का उद्देश्य इतना ही है। यह विधेयक अत्यावश्यक इसलिए है कि परिसीमन आयोग के काम में बहुत प्रगति हो चुकी है और यदि इसे बहुत शीघ्र पारित न किया गया, तो सारी व्यवस्था के बिगड़ जाने की शंका है। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसद् को इस विधेयक को प्रस्तुत करने का क्या अधिकार है और जनगणना प्राधिकार को संशोधन करने का क्या अधिकार है। यहां संविधान के अनुच्छेद ३४१ (२) के अन्तर्गत कोई पग उठाने का प्रयत्न नहीं किया गया। किन्तु यदि हमें कुछ अन्य जातियों या श्रेणियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों में सम्मिलित करना है, तो प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न होगी : हम केवल इतना करना चाहते हैं कि एक ऐसी असंगति को ठीक किया जाये, जिसके सम्बन्ध में जनगणना कार्यालय में रिकार्ड उपलब्ध हो सकता है। मैं ने हैदराबाद और सौराष्ट्र के उदाहरण पहले दिये हैं। इन से प्रकट होता है कि यह सूची में वृद्धि करने का मामला नहीं है, बल्कि उस चीज़ को ठीक करने का मामला है जिसे गलत दर्ज किया गया है। अतः हैदराबाद और सौराष्ट्र के मामले में जो कार्यवाही की गई है, उसमें कोई संवैधानिक कठिनाई नहीं है। अन्य राज्यों के मामलों में भी, जहां इस प्रकार की गलती को ठीक किया जा सकता है' हमारा ऐसी कार्यवाही करने का विचार है। मैं जानता हूं कि कुछ मामले ऐसे होंगे जिनमें इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस समस्या का हल एक भिन्न तरीके से और भिन्न स्तर पर करना पड़ेगा। अतः जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसके द्वारा हम यह कार्यवाही कर सकेंगे जो कि हम अन्तिम आदेश के कारण नहीं कर सकते थे। आयोग इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी कर सकेगा।

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा—उत्तर पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व) : वे कौन कौन से राज्य हैं, जिनमें अन्तिम आदेश अभी जारी नहीं किये गये ?

श्री पाटस्कर : सम्भवतः कुछ राज्यों को छोड़ कर अधिकतर राज्यों में अन्तिम आदेश जारी किये जा चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब एक अधिनियम पारित किया जा रहा है, तो इसे सब मामलों पर लागू क्यों न किया जाये ?

श्री पाटस्कर : मेरा विचार यह है कि जहां भी हम ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं जैसा कि हमने हैदराबाद और सौराष्ट्र में किया है—हम करेंगे। अन्य मामलों में यदि उचित जनसंख्या अभिलेखों को देखने के बाद त्रुटियां देखी गईं, तो हम और तरीकों से उन्हें दूर करेंगे, क्योंकि केवल परिसीमन आयोग के संशोधन से सारा उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता ; यह एक विस्तृत प्रश्न है। किन्तु इस समय इन उपबन्धों के संशोधन से जो कुछ किया जा सकता है, वह करना चाहिए। मेरे विचार में इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ गलतियां इस प्रकार हुई हैं। कुछ अनुसूचित जातियों ने अपने आपको हरिजन या अछूत बतलाया है। किन्तु हरिजन और अछूत ऐसे नाम नहीं जिन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया गया हो। और इसलिये इन्हें अनुसूचित जातियों में नहीं गिना गया। हैदराबाद में इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है। सम्भव है और किसी जगह भी गणकों ने ऐसी भल

[उपाध्यक्ष महोदय]

की हो और अछूतों तथा हरिजनों को न गिना हो। यदि उन गलतियों को अब गणना आयुक्त ठीक कर ले, तो उन्हें भी इस विधेयक के क्षेत्र में क्यों न सम्मिलित कर लिया जाये ? जहां कहीं भी यह हुआ हो, इसे ठीक करना चाहिये, चाहे यह विधेयक के पारित होने के पूर्व हो या बाद में। कोई भेद-भाव क्यों किया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : यह बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : या तो आप बिल्कुल कोई उपबन्ध न करें अथवा इसे केवल भविष्य के सम्बन्ध में करने का प्रयत्न करें और अतीत के सम्बन्ध में नहीं जहां कि यह चीज़ हो चुकी है। माननीय मंत्री इसका क्या कारण बताते हैं ?

श्री पाटस्कर : मैं इस सुझाव को मानने के लिये तैयार हूं। परन्तु विधेयक में केवल ये शब्द, लिखे हुए हैं 'प्रकाशन से पूर्व जहां कहीं कभी.....'

उपाध्यक्ष महोदय : आप 'अथवा पश्चात्' ये शब्द और जोड़ सकते हैं।

श्री पाटस्कर : हम इस पर विचार कर सकते हैं। अतः यदि एक छोटी सी प्रवर समिति का प्रस्ताव किया जाये, तो मैं उनके साथ बैठ कर इस बात पर विचार करने को तैयार हूं कि जहां कहीं सम्भव हो राहत दी जाये। मैं अभी यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार जो कोई भी राहत सम्भव होगी अवश्य पहुंचायेगी। परन्तु इसे दूसरे प्रश्न के साथ नहीं मिलाना चाहिये। अन्यथा इस प्रश्न को निबटाना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई और बातें भी उठ खड़ी हों।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं सरकार की किसी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, अथवा भूतकाल में जो कुछ हुआ है और भविष्य में जो हो सकता है उसके बीच भेद-भाव करने की इच्छा नहीं है और वह इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कार्यवाही सम्भव होगी करने का प्रयत्न करेगी। इस दृष्टि से मैं इस सुझाव को मानने के लिये तैयार हूं कि एक छोटी-सी प्रवर समिति इस विषय की परीक्षा करे।

जैसा कि मैंने बताया, १९५१ में कुछ ऐसी परिस्थितियों में जो कि सम्भवतः पहले ध्यान में नहीं आई थीं, यह जो गलती हुई है यह सद्भावपूर्ण गलती है। अतः मैं इस प्रश्न पर विचार करने को तैयार हूं। परन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है .....

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला भटिण्डा): एक सद्भावपूर्ण गलती अवश्य हुई थी। मुझे बताया गया है कि १७ राज्यों में अन्तिम आदेश दे दिये गये हैं और शेष राज्यों में सम्भवतः इस मास के दिनांक २३ या २४ तक दे दिये जायेंगे। अतः इस विधेयक से वे भी लाभ नहीं उठा सकेंगे। इस प्रकार यह विधेयक केवल एक या दो राज्यों पर लागू होगा। इसलिये हम इस सुझाव का स्वागत करते हैं कि इस विषय पर विचार करने के लिये एक छोटी सी प्रवर समिति नियुक्त की जाये।

श्री पाटस्कर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस सुझाव को मानने के लिये तैयार हूं। हम प्रवर समिति में इस पर विचार कर सकते हैं और जो कुछ भी राहत सम्भव हो हम देने को तैयार हैं। सरकार इस विषय में कोई भेद-भाव नहीं करना चाहती है। दो राज्यों में यह गलती हुई है। यदि कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ हो, तो हम प्रस्तावित प्रवर समिति में उन पर भी विचार करने और जो कुछ भी राहत सम्भव हो वह उन्हें देने और न्याय करने को तैयार हैं।

ये चीज़ थोड़े ही समय में पूरी हो जानी चाहियें। जैसा मेरे माननीय मित्र सरदार हुक्म सिंह कह रहे थे परिसीमन आयोग अपना कार्य समाप्त करने वाला है और इसके लिये भी कोई तिथि निश्चित करनी चाहिये, अतः हम कठिनाइयों को बढ़ाना नहीं चाहते। हम एक जगह बैठ कर इस सारे प्रश्न पर विचार कर सकते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : इस विधेयक का समय बढ़ाना नहीं चाहिए।

श्री पाटस्कर : मेरी ऐसा करने की इच्छा नहीं है। मैं समझता हूं कि हम एक छोटी सी प्रवर समिति बना लें जिसमें इन सब चीजों पर विचार किया जा सके और समिति सोमवार तक अपना निवेदन प्रस्तुत कर दे। जिन को इस विषय में रुचि है मैं उन सब के साथ बैठ कर इस सारी चीज़ पर निष्पक्ष भाव से विचार करने को तैयार हूं।

पंडित बालकृष्ण शर्मा : (जिला कानपुर—दक्षिण व जिला इटावा—पूर्व) : क्या इस प्रकार का कोई संशोधन कर सकना सम्भव होगा कि परिसीमन आयोग की सिफारिशें केवल तभी अन्तिम समझी जायेंगी जब संसद् उन्हें स्वीकार कर ले या कुछ संशोधनों के पश्चात् उनका अनुमोदन कर दे।

श्री पाटस्कर : यह स्पष्टतः इस विधेयक के क्षेत्र के बाहर होगा।

सरदार हुक्म सिंह : इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन हैं। अतः जब उन संशोधनों को लिया जाये उस समय इस प्रश्न पर चर्चा की जा सकती है और माननीय मंत्री अपनी प्रतिक्रिया बतला सकते हैं।

श्री पाटस्कर : धारा १० में विशेष कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें केवल कुछ लिपिकों की अशुद्धियों को ठीक करने का विचार किया गया है।

सरदार हुक्म सिंह : इससे यह स्पष्ट है कि गलती हुई है और इन गलतियों को ठीक करने के लिये ही हम इसे चाहते हैं।

श्री पाटस्कर : स विधेयक का उद्देश्य तो केवल उन अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के साथ जनगणना पंजिकाओं को तैयार करने में जो भूल से कुछ अन्याय हो गया है, उसे दूर करना है। परन्तु यह कहना कि कोई पुनरीक्षण प्राधिकारी होना चाहिये और आयोग अथवा संसद् को पुनरीक्षण की शक्ति दी जानी चाहिए इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर है। परन्तु यदि कभी इस दृष्टि से भी कुछ चीजों को करना आवश्यक समझा गया तो संसद् को उन पर विचार करने से कोई रोक नहीं सकता, परन्तु उन्हें इस विधेयक में रखना उचित नहीं है, क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस—पूर्व) : संविधान के अनुच्छेद ३४१ (२) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा घोषित अनुसूचित जातियों की सूची में कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन केवल संसद् द्वारा ही किया जा सकता है। मुझे इस बारे में पूर्ण विश्वास है कि सौराष्ट्र और हैदराबाद की पुनरीक्षित सूचियों और आंकड़ों में कतिपय ऐसी जातियां सम्मिलित कर दी गई हैं, जो न तो पर्यायवाची नाम हैं और न जाति के नाम हीं हैं। यदि ऐसी कोई चीज़ होती है—मुझे आशा है कि इस की जांच भी कर ली गई है—तो आयोग द्वारा सौराष्ट्र अथवा हैदराबाद का जो परिसीमन किया गया है, वह शक्ति के परे है क्योंकि संसद् ने उस सूची का संशोधन नहीं किया है।

श्री पाटस्कर : मैं इसका पुनःस्पष्टीकरण करता हूं। इस विधेयक में अनुच्छेद ३४१(२) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश में

[श्री पाटस्कर]

गिनाई गई जातियों की सूचियों में कुछ परिवर्धन करने का हमारा विचार नहीं है। अब प्रश्न यह है। मान लिया जाये कि हमने उस तरह का कुछ काम किया है और जनगणना आयुक्त के प्रशासनीय आदेश के द्वारा ऐसी कोई चीज़ हो गई है, तो क्या वह वैध मानी जायेगी ? यह प्रश्न उठाया गया है, और तर्क यह रखा गया है कि केवल संसद् द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है।

जहां तक मुझे ज्ञात है--मैंने जांच कर ली है--हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं की है। मान लिया जाये कि पूछे जाने पर कोई व्यक्ति अपने आपको हरिजन बताता है, जबकि हरिजन नाम की कोई जाति नहीं है। हरिजन एक जाति-नाम है, जिसमें विभिन्न उपजातियों के बहुत से व्यक्ति सम्मिलित हैं, चाहे वे इसमें सम्मिलित किये जायें अथवा नहीं। अतः सौराष्ट्र में या अन्य स्थानों में जहां भी हमारे अभिलेखों से ऐसा पता चलता है, वहां जाति ही सम्मिलित की जाती है। जाति में परिवर्धन जैसी कोई चीज़ हमने नहीं की है। यदि इस सम्बन्ध में ऐसी कोई गलती अथवा उसी जैसा वर्णन हो गया है, कि क्या कोई विशिष्ट व्यक्ति उसी जाति का है, जिसका राष्ट्रपति के आदेश में उल्लेख है, तो जहां तक हमारे अभिलेखों से पता चलता है हमने उसको मालूम करने तथा सुधारने की कोशिश की है। हमने इस प्रश्न के सम्बन्ध में पूर्ण जांच कर ली है और इस समय इसके शक्ति से परे घोषित होने का कोई अवसर नहीं है। राष्ट्रपति के आदेश में जो जातियां नहीं रखी गई हैं उनको जोड़ने का प्रश्न तो एक अलग विषय है अतः न्याय चाहने वाले सदस्यों से मेरा कहना है कि इन तीनों प्रश्नों को एक साथ मिला देना ठीक नहीं है। सूची का मामला भिन्न है। परिसीमन आयोग की क्या शक्तियां होनी चाहिएं, यह प्रश्न भी अलग है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (ज़िला प्रतापगढ़--पूर्व): किन्तु यही सूची तो इस सारे परिसीमन का आधार है।

श्री टी० एन० सिंह : मेरा तो केवल यह कहना है कि यदि जनगणना महा-पंजीयक के द्वारा दिये गये संशोधित आंकड़ों के अनुसार सूची में परिवर्तन किया गया है, तो इस विधि को पारित करने से हम संसद् के अधिकार छीनेंगे, क्योंकि सूची में वृद्धि अथवा घटौती करने का एकमात्र अधिकार संसद् को ही है।

श्री पाटस्कर : जो आंकड़े मुझे को दिये गये हैं, उन में मैं ऐसी कोई बात नहीं देखता। (अन्तर्बाधा)। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि वह सूचना पूर्णतः सही है। मेरी निवेदन केवल इतना है कि हमें इन प्रश्नों पर अलग अलग विभिन्न स्तर पर विचार करना चाहिए, और इस बारे में कतई चिन्तित नहीं होना चाहिए कि यदि कोई चीज़ गलती से हो गई है, तो सरकार उसको नहीं सुधारेगी। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, प्रवर समिति कुछ भी कहे, हम इस पर विचार करेंगे। किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि संवैधानिक संशोधन सम्बन्धी ये सारी चीज़ें इस विधेयक में ही सम्मिलित की जायेंगी क्योंकि ऐसी आशा करना सीमा के बाहर जाना होगा।

पंडित बालकृष्ण शर्मा : मैं एक बात बताना चाहता हूं। जनगणना आयुक्त ने केवल जाति सम्बन्धी शब्दों को ही नहीं जोड़ा है, अपितु कुछ विशेष उपजातियों को भी समाविष्ट कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप उन लोगों को विशेष तिनिधित्व दे दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर प्रदान करूंगा। पहले मुझे सभा के सामने प्रस्ताव रख लेने दीजिए। प्रस्ताव पास हुआ :—

"कि परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ मे अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित अनुसूचित जातियां) : में प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को श्री वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री रघुवर दयाल मिश्र, श्री नारायण सदोबा कजरोल्कर, श्री त्रिभवन नारायण सिंह, पंडित अलगू राय शास्त्री, श्री रेशम लाल जांगडे, श्री बहादुर भाई कुंठाभाई पटेल, श्री बी० एस० मूर्ति, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री जयपाल सिंह, श्री अवधेश्वर प्रताप सिंह, श्री एम० जी० उइके, श्री टी० संगण्णा श्री मंगलगिरि नानादास, श्री पी० रामास्वामी, डा० ए० कृष्णास्वामी, श्री पन्नालाल बारूपाल, श्री एन० राचैय्या, श्री सीतानाथ ब्रह्म चौधरी, श्री राम जी वर्मा, श्री निकुंज बिहारी चौधरी, सरदार हुक्म सिंह, श्री रामश्वर साहू, श्री अमर सिंह, सहगल श्री एच० वी० पाटस्कर, और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और इसे २२ दिसम्बर १९५४ को या उस से पूर्व अपना यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय कि वह विधेयक में संशोधन की सिफारिशें करें जिससे कि १९५१ की जनगणना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की किसी भी राज्य में हुई कम गणना को दूर किया जा सके और ऐसी जातियों अथवा आदिम जातियों को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके, और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में, जैसा कि समिति उचित समझे कठिनाइयों को भी दूर किया जा सके।"

श्री पाटस्कर : अन्तिम वाक्य के बारे में कुछ कठिनाई है, क्योंकि मेरे विचार में यह वाक्य बहुत लम्बा है। इसमें यह कहा गया है,

> ".....किसी भी राज्य में ऐसी जातियों अथवा उपजातियों को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में उचित प्रतिनिधित्व देने तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में जैसा कि समिति उचित समझे, अन्य कठिनाइयों को दूर करने।"

अतः इसका आशय सम्पूर्ण अधिनियम के संशोधन से नहीं है। जो कुछ परिणाम हो उसके अनुसार किया जा सकता है, किन्तु यह अत्यन्त अस्पष्ट है।

श्री कक्कन (मदुरै—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस समिति में मद्रास राज्य से कोई हरिजन नहीं लिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कक्कन का ही नाम क्यों न जोड़ दिया जाये ?

श्री बर्मन : मैं इस समिति में श्री कक्कन को भी सम्मिलित कर रहा हूं।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : दिल्ली का तो खास मामला है। इनमें पहले भी यह था कि दिल्ली की लिस्ट यूज़ नहीं की गई, पंजाब की लिस्ट यूज की गई है और साथ में दूसरी गलतियां भी हैं। में इस हाउस में इस मामले को पहले भी उठा चुका हूं लेकिन इस सेलेक्ट कमेटी के अन्दर दिल्ली का कोई मेम्बर नहीं लिया गया।

श्री बर्मन : वर्तमान विधेयक संवैधानिक तथा विधि सम्बन्धी उस कठिनाई को दूर करने के लिये है जो कि कतिपय राज्यों में कुछ गलतियों के मालूम होने से पैदा हुई है। हैदराबाद, सौराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के जनगणना सम्बन्धी आंकड़ों

[श्री बर्मन]

के बारे में जो गलतियां थीं वे कुछ सीमा तक ठीक कर ली गई हैं। सौराष्ट्र और हैदराबाद में इन्हें ठीक करने के लिये जो ढंग अपनाया गया उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। भाग 'ग' राज्यों में भी कुछ गलतियां ठीक की गई हैं और इनके सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया का वर्णन भी मैं करूंगा।

माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि हैदराबाद के मामले में १९५१ की जनगणना में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की जो संख्या दिखाई गई है उसके बारे में यह ज्ञात होते ही कि बावजूद इसके कि सारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, वह बहुत कम दिखाई गई है, तो उसको ठीक करने के लिये तुरन्त उपाय किये गये। मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसी ही गलतियां अन्य राज्यों के साथ भी हुई हैं। मध्यप्रदेश का ही उदाहरण लीजिए जहां पर सामान्य जनसंख्या में १९४०–४१ और १९५०–५१ के बीच ८·१५ प्रतिशत वृद्धि हुई, किन्तु अनुसूचित जातियों की जनसंख्या १२·४२ प्रतिशत कम हो गई। मैं सभा से यह पूछना चाहता हूं कि हैदराबाद के बारे में जो गलतियां मालूम हुई हैं और जो कि किसी प्रकार सुधारी जा रही हैं, क्या सरकार के लिये यह उचित नहीं है कि वह अन्य राज्यों में भी इन गलतियों को मालूम करने की कोशिश करे और उनको सुधारे ताकि उन राज्यों के साथ भी न्याय हो सके।

माननीय मंत्री ने कहा है कि अधिकांश राज्यों में परिसीमन हो चुका है और उनके पुनरीक्षण में बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। परन्तु मैं पूछता हूं कि यदि इन चार राज्यों के साथ साथ सरकार अन्य राज्यों में इस अन्याय को दूर करने की कोशिश नहीं करती तो उन राज्यों की जनता को सरकार क्या उत्तर देगी?

इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि परिसीमन आयोग द्वारा एक बार निर्वाचन क्षेत्रों के निश्चित हो जाने पर उनमें जल्दी ही कोई परिवर्तन करना कठिन होगा और माननीय मंत्री इस अवस्था में जो वचन दे रहे हैं, वे उनको पूरा नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि निर्वाचन क्षेत्रों का यह निर्णय कुछ समय के लिये टाल देना चाहिए और सारे भारत में सारी जातियों के साथ एक सा न्याय करना चाहिए। यदि कोई उपचुनाव होगा तो उसके लिये पुराने निर्वाचन क्षेत्र निश्चित ही हैं।

श्रीमान् मैं यह बताता हूं कि ये बातें कैसे हुईं। जनगणना पत्रों की संख्या ४ के पृष्ठ २ में यह दिया गया है कि जनगणना अधीक्षकों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दिये थे कि अनुच्छेद ३४१ और ३४२ के अधीन सूची में जिन जातियों के नाम नहीं दिये गये हैं गणना करते समय उनको 'अन्य जातियों' के वर्ग में रख दिया जाये। अतः राज्य के अधीक्षकों को हरिजनों, अछूतों, ढेबों इत्यादि की जाति लिखने अथवा न लिखने की स्वतन्त्रता थी किन्तु अधिकांश राज्यों में वे नहीं लिखी गई।

अब इन्हीं मामलों के बारे में बात उठती है। माननीय मंत्री कहते हैं कि हम एक छोटी प्रवर समिति बना सकते हैं और विधेयक में थोड़े परिवर्तन कर सकते हैं ताकि अन्य राज्यों के ऐसे मामले हम ले सकें। मेरा निवेदन यह है कि इस ढंग से कोई काम नहीं बन सकेगा और माननीय मंत्री अन्य राज्यों के साथ कोई न्याय नहीं कर सकेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन राज्यों में भी जहां अछूतों अथवा हरिजनों के नाम लिख लिए गये हैं उन्हें निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः परिसीमन और पुनरीक्षण करना पड़ेगा।

इस प्रकार कहीं पर भी बचने का उपाय नहीं है। एक बार काम प्रारम्भ कर देने पर उसको अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

जनगणना पत्र के पृष्ठ २ पर जो अनुदेश दिये गये हैं उनके अनुसार विभिन्न राज्यों में जो कुछ हुआ है वह संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है। आसाम में १९४१ और १९५१ के बीच सामान्य जनसंख्या में १७·६७ प्रतिशत वृद्धि हुई. किन्तु अनुसूचित जातियों की जनसंख्या केवल १२·४८ प्रतिशत ही बढ़ी। बम्बई में २१·८५ प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले अनुसूचित जातियों की जनसंख्या केवल १८·८८ प्रतिशत बढ़ी। मध्यप्रदेश के बारे में मैं बता ही चुका हूं। इन सब बातों का क्या जवाब है? क्या अनुसूचित जातियों पर इस बीच में कोई आपत्ति आई जिसके कारण केवल उनकी ही संख्या घट गई? यही बात हम बिहार और मद्रास में देखेंगे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री बर्मन : हां, श्रीमान्। मैं सभा को केवल इतना बताना चाहता हूं कि १९५१ की जनगणना के १९५३ में जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं उनके अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या १,९१,१६,४९८ है, जबकि १९४१ में उनकी सख्या २,४७,१२,००० थी। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह बिना अतिरिक्त खर्च के इस गलती को सुधारे या परिसीमन आयोग से फिर से काम करने के लिये कहे। मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार को परेशानी का बिलकुल भी ख्याल नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार भी हो, इस सम्बन्ध में न्याय होना ही चाहिए। मेरा सुझाव तो यह है कि सामान्य जनसंख्या में जितनी वृद्धि हुई है, उसी अनुपात से अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में वृद्धि कर देनी चाहिए। यही सबसे सीधा और सरलतम उपाय है। वैसे सरकार जो उपाय उचित समझे करे, किन्तु किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए अन्यथा उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बर्मन : श्री नवल प्रभाकर का नाम भी सूची में सम्मिलित कर लिया जाय।

सभापति महोदय : हां।

श्री टी० एन० सिंह : श्री एच० एन० मुकर्जी का नाम भी सम्मिलित कर लिया जाय।

सभापति महोदय : क्या प्रस्तावक को कोई आपत्ति है?

श्री बर्मन : जी नहीं।

सभापति महोदय : श्री मुकर्जी का नाम भी सम्मिलित किया जाता है। संशोधन प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को श्री वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री रघुवीर दयाल मिश्र, श्री नारायण सदोबा कजरोलकर, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, पंडित अलगू राय शास्त्री, श्री रेशम लाल जांगड़े, श्री बहादुर भाई कुंठाभाई पटेल, श्री बी० एस० मूर्ति, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री जयपाल सिंह, श्री अवधेश्वर प्रतापसिंह, श्री एम० जी० उर्हेके, श्री टी० संगण्णा : श्री मंगलगिरि नानादास, श्री पी० राभस्वामी, डा० ए० कृष्णस्वामी, श्री पन्नालाल बारूपाल, श्री एन० राचैय्या, श्री सीतानाथ चौधरी, श्री राम जी वर्मा, श्री निकुंज बिहारी चौधरी, सरदार हुक्म सिंह, श्री रामेश्वर साहू, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री पी० कक्कन, श्री नवल प्रभाकर, श्री एच० एन० मुकर्जी, श्री एच० वी० पाटस्कर और

[सभापति महोदय]

प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे २२ दिसम्बर, १९५४ को या उससे पूर्व अपना यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय कि वह विधेयक में संशोधनों की सिफारिशें करें जिससे कि १९५१ की जनगणना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की किसी भी राज्य में हुई कम गणना को दूर किया जा सके और ऐसी जातियों अथवा आदिम जातियों को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके, और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में, जैसा कि समिति उचित समझे अन्य कमियों को भी दूर किया जा सके।"

अब संशोधन संख्या ७ है, क्या प्रस्तावक इसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को श्री एच० वी० पाटस्कर, पंडित ठाकुर दास भार्गव, डा० लंका सुन्दरम्, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, डा० ए० कृष्णस्वामी, श्री दीवान चन्द शर्मा, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह, सरदार अमर सिंह सहगल, सरदार हुक्म सिंह, श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका, श्रीरामजी वर्मा, श्री नारायण सदोबा कजरोलकर, श्री जयपालसिंह, हर हाईनेस राजमाता कमलेन्दुमति शाह, श्री भीखा भाई, श्री ए० एम० थामस, श्री डोडा तिम्मय्या, श्री निकुंज बिहारी चौधरी, श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री पन्नालाल पंडित बालकृष्ण शर्मा, श्री एन० राचैय्या, श्री बहादुर भाई कुंठाभाई पटेल, डा० सत्य नारायण सिंह, श्री एम० जी० उइके, श्री बी० एस० मूर्ति, श्री रामेश्वर साहू, श्री टी० संगण्णा, श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन और श्री रघुवीर दयाल मिश्र (प्रस्तावक) की प्रवर समिति को सौंपा जाय और १ मार्च १९५५ को या उससे पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का यह अनुदेश दिया जाय कि वह मूल अधिनियम की किन्हीं अन्य धाराओं में संशोधनों की सिफारिशें करें जो कि इस विधेयक में न आई हों यदि उक्त समिति की राय में ऐसे संशोधन आवश्यक हों।

सभापति महोदय : इसके बाद सरदार ए० एस० सहगल का संशोधन संख्या १० है।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि विधेयक को श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री नारायण सदोबा कजरोलकर, श्री आर० एल० जांगड़े, श्री बी० एन० तिवारी, श्री टी० एन० सिंह, श्री अलगू राय शास्त्री, श्री रघुवीर दयाल मिश्र, श्री निकुंज बिहारी चौधरी, सरदार हुक्म सिंह, डा० ए० कृष्णस्वामी, श्री रामजी वर्मा, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री बालकृष्ण शर्मा, श्री एच० वी० पाटस्कर, श्री पी० कक्कन, श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी, और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और इसे २२ दिसम्बर, १९५४ को या उससे पूर्व अपना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये।"

सभापति महोदय : श्री बर्मन का संशोधन तो पहले प्रस्तुत किया जा चुका है। अब मैं इन दोनों संशोधनों को प्रस्तुत करता हूं। संशोधन प्रस्तुत हुए।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के हेतु पूछना चाहता हूं कि श्री बर्मन का संशोधन तो प्रस्तुत हो ही चुका है। इसके होते हुए क्या दूसरे माननीय सदस्य

का उसी कार का संशोधन प्रस्तुत करना उचित है ? मेरे विचार में ऐसा नहीं होना चाहिये ।

सभापति महोदय : यदि ये एक समान हो तो मैं एक को अवरुद्ध कर देता, किन्तु ये नों अलग अलग हैं, अतः दोनों रहें ।

पंडित ाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : केवल नामों में ही अन्तर है । सके अतिरिक्त विषय में बहुत थोड़ा अन्तर है । यदि नों सहमत होकर नामों की सूची देते तो ीक रहता अब मतदान में कि नाई होगी ।

श्री पाटस्कर : यदि यह बात उन सब सदस्यों को स्वीकार है, जिन्होंने प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के ऐसे संशोधनों की सूचना दी है । श्री उपाध्याय का संशोधन स्वीकार किया जाये । मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं । यदि कोई इसमें और नाम बढ़ाना चाहे, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : यदि प्रस्तावक सहमत होते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । चर्चा चलनी चाहिए ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलुरु) : श्रीमान्, मेरा भी एक संशोधन है ।

सभापति महोदय : वह तो वैसे प्रस्तुत हो चुका है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : कुछ और नामों का सुझाव दिया जा रहा है, मैं उन्हें स्वीकार कर लूंगा ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : यह संशोधन क खंड के बारे में है और इस समय नहीं लिये जा रहे हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : श्रीमान्, मैंने अपना संशोधन पढ़ कर सुना दिया है, अब मैं इसका सार दोहराता हूं ।

एक माननीय सदस्य : इसका क्षेत्र क्या है ; और कौनसी हिदायतें दी जानी हैं ?

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैंने सारी बातें पढ़ दी हैं । सभा के समक्ष यह जो विधेयक है, इसका क्षेत्र बड़ा सीमित है । इससे केवल उत्तर प्रदेश को ही कुछ लाभ हो सकता है । उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम आदेश जारी किए गए प्रतीत नहीं होते । अतः आयोग अब पुनरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वहां के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा । जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में अन्तिम आदेश जारी हुए कई मास व्यतीत हो चुके हैं और आयोग को उनकी कोई मामूली सी गलती भी ठीक करने का अधिकार नहीं है । किन्तु केवल उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में ही ऐसा हो सकता है ।

केवल यही कठिनाई नहीं है । मुख्य कठिनाई राष्ट्रपति के आदेश की वाक्यावलि है । उसमें अनुसूचित जातियों की एक बड़ी लम्बी चौड़ी अनुसूची है जिसका जनगणना के समय ध्यान रखा जायेगा । पिछली जनगणना में, राष्ट्रपति के आदेशानुसार मामलों की सूची का ध्यान रखा गया था और उसी के आधार पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या निर्धारित की गई थी । इस पुनरीक्षण के बाद कई अन्य जातियां भी अनुसूचित मान ली गई हैं इसलिए उनकी संख्या बढ़ गई है अर्थात् लगभग चार लाख का अन्तर पड़ गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : कहां ?

डित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : उत्तर प्रदेश में । मेरी प्रार्थना यह है कि यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक राष्ट्रपति के आदेश का संविधान के अनुच्छेद ३४१ (१) के

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

अनुसार पुनरीक्षण नहीं किया जाता । यदि इस अन्तर के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो अब उसका कोई उत्तर नहीं है । मैं पुनः यह प्रार्थना करता हूं कि इसका पुनरीक्षण किया जाये और केवल राष्ट्रपति ही उस सूची को बदल सकते हैं ।

यदि उन लोगों को भी गिना जाये जो अब अछूत, हरिजन और ठेवों की श्रेणी में रखे गये हैं तो गणना भिन्न होगी । वास्तव में ये लोग अनुसूचित जातियों के हैं । उन्हें तब तक सम्मिलित नहीं किया जा सकता जब तक संसद् के अधिनियम द्वारा सूची को बदला नहीं जाता और आदेश में परिवर्तन नहीं किया जाता ।

सभापति महोदय : किन्तु इस समय बात यह है कि उन्हें अनुसूचित जाति आदेश में तो सम्मिलित किया गया है, किन्तु केवल गलती से उनकी गणना नहीं गई है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : जब तक उन्हें सूची में नहीं रखा जाता तब तक उन्हें अनुसूचित जातियों के रूप में नहीं लिया जा सकता । इसी प्रकार अनुच्छेद ३४१ में इस सम्बन्ध में उपबन्ध किया जा चुका है । इसलिए अनुसूचित जातियों के जो आंकड़े होंगे, वे ठीक आंकड़े नहीं होंगे । भले ही अनुसूचित जातियों के दृष्टिकोण से वे ठीक हों, किन्तु यदि वैधानिक दृष्टि से देखा जाये तो ये गलत हैं ।

मैं यह बात मानता हूं कि यदि इससे किसी राज्य को कोई लाभ हो सकता है, तो वह केवल उत्तर प्रदेश ही है, किन्तु मैं यह भी कहूंगा कि अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति के लोग क्यों इस लाभ से वंचित रहें ? किन्तु मैं तो यह समझता हूं कि इससे उत्तर प्रदेश को भी कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचता । इन आंकड़ों की गलतियां कोई गलतियां नहीं थीं, किन्तु वे तो जान बूझ कर छोड़े गये थे । भारत की जनगणना के पृष्ठ २, पत्र संख्या ४, १९५३ से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है । इन लोगों को इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि ये राष्ट्रपति के आदेश में सम्मिलित नहीं थे । इसलिए इसे कोई गलती नहीं कहा जा सकता । मेरे विचार में यह बात उत्तर प्रदेश के बारे में भी उठेगी और मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ किया जाये तो उसी प्रकार से सभी राज्यों के बारे में किया जाना चाहिये ।

दूसरी बात हैदराबाद और सौराष्ट्र राज्यों के सम्बन्ध में है । उनका आदेश भी अवैध है, क्योंकि वहां भी आंकड़ों का पुनरीक्षण उसी प्रकार से किया गया है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में किया गया था । वहां भी कुछ ऐसे लोग छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की सूची में उनके नाम नहीं थे । इसलिये उस प्रकार के आधार को लेकर पुनरीक्षण वैध नहीं है । और इन राज्यों के बारे में भी अन्तिम आदेश जारी किए जाने अनुचित होंगे । यह बात तीन राज्यों के बारे में उत्पन्न होती है क्योंकि शेष राज्यों के बारे में अन्तिम आदेश दिये जा चुके हैं । अन्तिम आदेश पुनरीक्षित आंकड़ों के आधार पर नहीं दिये गए । आरम्भिक आंकड़ों में ये अनुसूचित जातियां सम्मिलित नहीं थीं । मुझे खेद है कि इनमें से कोई भी वैध आदेश नहीं हैं ।

सभापति महोदय : यद्यपि मैंने कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है, किन्तु मैं फिर भी माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त करें ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं अभी एक या दो मिनट ही लगाऊंगा । आयोग वालों ने स्वयं माना है कि जब तक आदेश का पुनरीक्षण नहीं किया जाता तब तक यह

सम्भव नहीं है कि स्थान निश्चित किये जा सकें और निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन हो सके। उन्होंने इस बारे में श्री एन० बी० तिवारी को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने उसमें लिखा है कि केवल संसद् ही इसे ठीक कर सकती है।

श्री पाटस्कर : इस विधेयक में यह नहीं किया जा सकता।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यह ठीक है कि इस विधेयक में ऐसा नहीं किया जा सकता, अतः हमें चाहिये कि एक पृथक् विधान बना कर इस विषय को ठीक करें और सभी राज्यों को लाभ पहुंचायें।

सभापति महोदय : किन्तु माननीय सदस्य के इस प्रस्ताव द्वारा ऐसा नहीं हो सकता।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैंने माननीय मंत्री से बात की थी। उन्होंने कहा था कि वे अभी केवल इतना ही स्वीकार कर सकते हैं। और जो कठिनाइयां हैं यदि वे उन्हें बताई जायें तो वे उन पर विचार करेंगे और बाद में दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री आर० डी० मिश्र : यह जो बिल इस हाउस के सामने है मैं इसका स्वागत करता हूं और वह इसलिये कि जो ज्यादती मेरे सूबे के शेडयूल्ड कास्ट भाइयों के साथ हुई थी उस ज्यादती को यह बिल दूर करना चाहता है। हमने डिलिमिटेशन कमीशन इसलिये बनाया था कि वह तमाम कांस्टिट्यूएंसीज़ का बंटवारा कर दे और क्योंकि आबादी बढ़ रही थी इस वास्ते इस कमीशन को अख्तियार दे दिया गया था कि वह कांस्टिट्यूएंसीज़ को रिएडजस्ट कर दे और उनको ठीक ठाक कर दे। इतना ही काम इस कमीशन के सपुर्द किया गया था। इस बीच में कुछ गलतियां सामने आईं और सन् १९५० में प्रेज़ीडेंट का ऑर्डर जारी हुआ और उस ऑर्डर में कुछ जातियों के नाम लिखे गये कि फलां फलां जगह पर फलां फलां जातियों को शिड्यूल्ड कास्ट जातियां माना जायेगा। बदक़िस्मती से गवर्नमेंट के काम कुछ इस तरीक़े से चलते हैं कि मैं ने तो उनकी तारीफ़ ही कर सकता हूं और न बुराई ही। हम सब जानते हैं कि इस देश के अन्दर भंगी अछूत होते हैं, मोची अछूत होते हैं और मेहतर भी अछूत होते हैं। लेकिन प्रेसीडेंट के ऑर्डर में उत्तर प्रदेश में न भंगी अछूत हैं न मोची अछूत हैं और न ही मेहतर अछूत समझे जाते हैं। इन जातियों को शिड्यूल्ड कास्ट सिर्फ़ इस वास्ते नहीं माना जाता क्योंकि उनका प्रेसीडेंट के ऑर्डर में कोई ज़िक्र नहीं है। सन् १९५१ में हिदायतें दे दी गईं कि जिन्होंने अपने नाम के साथ बाल्मीकि लिखवाया हो उनको शिड्यूल्ड कास्ट समझा जायेगा इसलिये जिन्होंने अपने नाम के साथ भंगी या खाकरोब या मेहतर लिखवाया था उनको शिड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। हम जानते हैं कि उस वक्त ये लोग अपने आप को भंगी या खाकरोब या मेहतर के नाम से पुकारा जाना नहीं चाहते थे और अपने आप को हरिजन या बाल्मीकि कहते थे। महात्मा गांधी ने भी इन को हरिजन का नाम दिया था। कहने को तो वे हरिजन हो गये लेकिन उनका काम चमार, मेहतर और मोची का ही रहा। लेकिन प्रेसीडेंट के ऑर्डर के मुताबिक़ सिर्फ़ उन का नाम ही शिड्यूल्ड कास्ट में रखा गया जिन्होंने अपने नाम के साथ बाल्मीकि ही लिखवाया और मोची मेहतर वगैरह को इन की गिनती में शुमार नहीं किया गया। मैं कह रहा था कि प्रेसीडेंट का वह ऑर्डर गलत था इसलिये ज़रूरत इस बात की है कि प्रेसीडेंट के उस ऑर्डर को बदला जाये। प्रेसीडेंट का ऑर्डर सिवाये पार्लियामेंट के कोई नहीं बदल सकता और यह बात हमारे सामने आ चुकी है। अभी माननीय उपाध्याय जी ने वह पत्र पढ़ कर

[श्री आर० डी० मिश्र]

सुनाया है जो कमीशन ने श्री बी० एन० तिवारी को लिखा है। उसमें कमीशन ने यह बात साफ़ कर दी है कि जो फ़िगर्ज़ रजिस्ट्रार जनरल ने नेशनल रजिस्टर की बिना पर भेजी हैं जिसमें वह लोग शामिल किये गये हैं जिन्होंने सैन्सस के समय अपनी वह जाति लिखाई है जिसका ज़िक्र ऑर्डर में नहीं है। कमीशन का कहना है रजिस्ट्रार जनरल को शिड्यूल्ड कास्ट को इस प्रकार ठीक करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ़ पार्लियामेंट ही इस प्रेसीडेंट के ऑर्डर को बदल सकती है। तो ऐसी सूरत में ज़रूरत इस बात की हो जाती है कि पहले उस ऑर्डर को बदला जाये चाहे इस ऐक्ट के ज़रिये से या दूसरे ऐक्ट के ज़रिये। प्रेसीडेंट साहब के गलत ऑर्डर के कारण जितनी भी गलतियां अछूत भाइयों की गणना के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान में हुई हैं, उनको न सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में या हैदराबाद में या सौराष्ट्र में बल्कि सभी स्टेटों में उन तमाम गलतियों को हटा दिया जाना चाहिये। इसके लिये मैं यह देखता हूं कि इस बिल में कोई गुंजाइश नहीं है। इस बिल के तो सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों को यह हक़ मिल जाता है कि उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनको ठीक किया जा सके और चूंकि कमीशन ने जो बात सौराष्ट्र और हैदराबाद में ठीक समझी वह उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में ठीक नहीं मानी। इसलिये यह बात पार्लियामेंट के सामने आई है। यह ठीक है कि इससे उत्तर प्रदेश को दो तीन सीटें और मिल जायेंगी। लेकिन इस बिल के ज़रिये तमाम हिन्दुस्तान के अछूतों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वह दूर नहीं हो सकती हैं। इस बात का मैं स्वागत करता हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है वहां के अछूत के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करने की यह बिल कोशिश करता है लेकिन दूसरी स्टेटों के बारे में नहीं। हमारे माननीय मन्त्री जी ने मुझे यक़ीन दिलाया है कि और स्टेटों में जहां कहीं ज्यादतियां हुई हैं उनको भी दुरुस्त करने के लिये वह तैयार हैं। मैं उनके इस आश्वासन का भी स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो ज्यादतियां अछूत भाइयों के साथ हुई हैं उनको दूर करने के लिये जब यह बिल सिलैक्ट कमेटी में जायेगा हर मुमकिन कोशिश की जायेगी और उनके साथ न्याय किया जायेगा।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि पार्लियामेंट ने जो ऐक्ट पास किया है, डिलिमिटेशन एक्ट, उसकी दफ़ा ९ में कहा गया है कि जो कुछ कमीशन तै करेगा, छप जाने के बाद वह लॉ हो जायेगा और किसी अदालत में भी उसके मुताल्लिक सवाल नहीं उठाया जा सकता और उसका इस पार्लियामेंट में आने का सवाल भी नहीं है। बहुत से ऐसे मामलात हमारे सामने आये हैं कि जिन में कमीशन ने जान बूझ कर गलती की है और कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल्स ८१ और १७० के खिलाफ गया है। जो हिदायतें दफ़ा ८ डिलिमिटेशन ऐक्ट सब क्लाज़ (ई) में दी हुई हैं और जो मैंडेट्री हैं और जिनको माना जाना चाहिये कमीशन उनके खिलाफ गया है और इसने उनको नहीं माना है। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल ८१ में दिया हुआ है कि साढ़े सात लाख की आबादी के पीछे एक मैम्बर पार्लियामेंट में आये सारे हिन्दुस्तान में प्रतिनिधित्व का अनुपात एक रहे लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया है और कहीं पर थोड़े लोगों को एक नुमाइन्दा इस हाउस में भेजने के लिए कमीशन ने क्षेत्र बनाया है और कहीं से बहुत ज्यादा लोगों को एक नुमाइन्दा चुनने का क्षेत्र बनाया है। इसके लिए एक मैयार होना चाहिये जो कि तमाम हिन्दुस्तान के लैंग्थ और ब्रैड्थ पर लागू हो। फाइनल सैंसस

में ७,२७,००० पर एक कैंडिडेट आता है और इस अनुपात से ही कमीशन को चुनाव क्षेत्र बनाने चाहियें थे, लेकिन कमीशन ने इस अनुपात का ठीक ध्यान नहीं रखा है। उसने ऐसा नहीं किया। कुर्ग, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में उसने इस तरीक़े की नुमायन्दगी दी कि दिल्ली में १७ लाख के ऊपर तीन सीटें। दूसरी जगह पर हिमाचल प्रदेश में १० लाख की आबादी पर दो सीटें। भोपाल को ८.६ लाख पर दो सीटें और कुर्ग को २·२९ लाख पर एक सीट। उसने आर्टिकल ८१ के बिल्कुल खिलाफ़ काम किया है कि जिसके मुताबिक़ सारे मुल्क में एक एवरेज होना चाहिये। इसका उसको कोई क़ानूनी हक़ नहीं था।

दूसरी बात यह कि डिलिमिटेशन ऐक्ट के सेक्शन ८ में यह दिया हुआ है कि वह रिएडजस्टमेंट करेंगे। यहां पर उन को यह अख्तियार नहीं दिया गया है कि वे अज़ सरे नो सारी कांस्टीट्यूएंसीज बनायेंगे। उन को सिर्फ यह अख्तियार दिया गया है कि वे रिऐडजस्टमेंट करेंगे। इस का मतलब यह है कि अगर कहीं की आबादी बढ़ गई है तो वहां सीट बढ़ा दें, या उस कांस्टीट्यूएंसी के कुछ हिस्से को निकाल दें, या अगर किसी कांस्टीट्यूएंसी की आबादी घट गयी है तो उसमें कुछ और हिस्सा शामिल कर दें। लेकिन अगर किसी इलाक़े में या स्टेट में जहां पर कोई आबादी नहीं बढ़ी है वहां ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में ५२ ज़िले हैं। वहां पर सात ज़िलों में आबादी बढ़ी है और सात ज़िलों में घटी है। तो इन्हीं ज़िलों पर आबादी के घटने या बढ़ने का असर पड़ना चाहिये। बाक़ी जितने और ज़िले बचते हैं उनमें रिऐडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन कमीशन ने इसके खिलाफ़ किया और जहां रिऐडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी वहां भी फ़र्क़ कर दिया।

सेक्शन ८ ई० में दिया गया है कि कमीशन इस बात का ख्याल रखेगा कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट न तोड़ा जाय। लेकिन मैंने देखा है कि उसने ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तोड़ दिये हैं। मेरे ज़िले में कोई आबादी नहीं बढ़ी है सिर्फ सौ आदमियों का फ़र्क़ पड़ा है। यहां से दो सीटें हैं। वह पार्लियामेंट की सीट में तो कोई तबदीली नहीं कर सके, वहां तो १५ लाख की आबादी है। लेजिस्लेटिव असेम्बली की सीट की संख्या में भी कोई फ़र्क़ नहीं कर सके। लेकिन उसने एक परगने को एक तहसील में से निकाल कर दूसरी तहसील में डाला है और दूसरी में से निकाल कर तीसरी में डाला है। इस तरह से उसने ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तोड़े हैं। ऐसा करने की कमीशन को ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसने समझ लिया कि हमको तो कुछ तोड़ फोड़ करनी है। न डिलिमिटेशन ऐक्ट उसको इसका अख्तियार देता है न कांस्टीट्यूशन अख्तियार देता है। लेकिन वह अपनी जगह जो उसके मन में आता है कर लेता है। मैंने अपने इलाक़े में यह चीज़ देखी। उससे मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब सिर्फ़ सात ज़िलों में आबादी बढ़ी है और सात में घटी है, और बाक़ी में कोई खास फ़र्क़ नहीं पड़ा है, तब तमाम सूबे में गड़बड़ी करने की क्या ज़रूरत है। क़ानून के मुताबिक सारी स्टेट में आबादी का मेयार बांध लेना चाहिये था। अगर कहीं रास्ते की दिक्कत हो या तनासुब की दिक्कत हो तो थोड़ा बहुत फ़र्क़ किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उसने यह किया कि तमाम उत्तर प्रदेश का अनुपात न रख कर ज़िलेवार अनुपात निकाल कर प्रत्येक ज़िले को असेम्बली की नुमायन्दगी दे दी है जिससे बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसने यह भी ख्याल नहीं किया कि जहां आबादी कम और रक़बा ज्यादा है उसमें कुछ फर्क करे जैसे गढ़वाल

[श्री आर० डी० मिश्र]

ज़िले में जहां एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का रास्ता नहीं है, रेल नहीं है बीच में नदियां पड़ती हैं यहां आबादी बहुत कम है। लखनऊ या फैजाबाद में जहां पर बहुत घनी आबादी है वहां छोटे से एरिया में बहुत बड़ी तादाद हो जाती है इनमें कुछ अन्तर होना चाहिये था। उसने इस बात का कोई ख्याल नहीं किया कि कहां बीच में पहाड़ पड़ता है, कहां दरिया पड़ता है या नहीं पड़ता है। जो धुन आयी उसके मुताबिक़ उसने कांस्टीट्यूएंसी बना दी। इसका नतीजा यह होता है कि एक जगह तो दस मील के अन्दर एक कास्टीट्यूएंसी बन जाती है और दूसरी तरफ़ एक ऐसी कांस्टीट्यूएंसी बन जाती है कि जहां मेम्बर को थोड़े से आदमियों को यह बतलाने में कि मैं खड़ा हुआ हूं बहुत वक्त लगता है। जैसे कि गढ़वाल में है जहां कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में सात सात दिन लग जाते हैं। इसलिये हमको अपने कमीशन से कहना चाहिये कि यह ठीक नहीं है कि आप बड़े जज हैं, आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन चूंकि आपके ऑर्डर फाइनल हैं इसलिये आप यह तो समझिये कि मेंनडेटरी आज्ञाओं का मतलब क्या है, लफ्ज़ "शैल" के मतलब क्या हैं और सेक्शन ९ ई० में जो रिऐडजस्टमेंट का लफ्ज़ दिया गया है उसका मतलब क्या है, और कांस्टीट्यूशन में जो आर्टिकल ८१ और दूसरे आर्टिकल दिये गये हैं उनको देखिये। क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया है मैं यह समझता हूं कि अगर उसने कहीं तो दो लाख की आबादी पर एक सीट दे दी है और कहीं ५ लाख की आबादी पर। हमारा कांस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कहता है, डिलिमिटेशन ऐक्ट ऐसा नहीं कहता है। और इसका कोई ईलाज नहीं है। अगर हम अदालत में जाना चाहें तो सैक्शन ९ के मुताबिक़ नहीं जा सकते हैं। न सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं न हाईकोर्ट में जा सकते हैं। हम पार्लियामेंट में ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिये भी आपने रास्ता बन्द कर रखा है यह कह कर कि हमने उसको अख्तियारात दे दिये हैं। अगर आप अख्तियारात देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिये लेकिन उससे कहिये कि वह इंडिपेंडेंटली और ठीक तौर पर काम करें वरना कोई न कोई आथारिटी होनी चाहिये जो कमीशन की इस नाजायज़ कार्यवाही को जो कि वह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ़ डिलिमिटेशन ऐक्ट के खिलाफ़, डिलिमिटेशन ऐक्ट की मेनडेटरी प्रावीजन्स के खिलाफ़, करता है देख सके। चाहे वह अथारिटी हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई मिनिस्टर हो, या पार्लियामेंट की कोई कमेटी हो, जो कि अगर कमीशन शिड्यूल्ड कास्ट वालों के साथ ज्यादती करे या और कोई गलती करे तो उसको देखे। कमीशन ने सौराष्ट्र में जो कुछ किया, हैदराबाद में किया वही उसको उत्तर प्रदेश में करना चाहिये था मैं आया और उससे कहा गया कि आप इस तरह से कीजिये जो आपने वहां सौराष्ट्र और हैदराबाद में किया है वही यहां भी कीजिये तो कमीशन ने कहा कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मेम्बर तो पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि हम कांस्टीट्यूशन को जानते हैं और उन्होंने कमीशन को कांस्टीट्यूशन सिखाना शुरू किया। तो कमीशन ने कहा कि पार्लियामट में जाओ। हमने बड़ा ज़ोर लगाया, पार्टी के लीडर के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रखा, मिनिस्टर के पास भेजा, जब कमीशन ने भी इस बात को मान लिया कि इस गलती को पार्लियामेंट ठीक कर सकती है तब बड़ी मुश्किल से यह कार्यवाही चली और गवर्नमेंट इस बिल को लेकर आई है लेकिन इस बिल से कुछ नहीं होगा। आपको चाहिये कि आप पेरेंट ऐक्ट में तरमीम करें और इस पार्लियामेंट को अख्तियार दीजिये कि वह उसकी गलत कार्यवाही को बदल सके।

कोई न कोई तो उसकी गलतियों को देखने के लिये होना चाहिये । लेकिन मैं यह पसन्द नहीं करता कि कमीशन के मेम्बर चाहे कुछ करे और पार्लियामेंट उसमें कुछ न कर सके । मैं इस मामले को इसीलिये पार्लियामेंट के मेम्बरान के सामने रख रहा हूं और कहना चाहता हूं कि आप पार्लियामेंट के मेम्बर हैं । जो ज्यादती आपके हल्के में होती है अगर उसको आप दूर नहीं करा सकेंगे तो कौन दूर करा सकेगा । इसलिये मैं कहता हूं कि आप कोई कमेटी बनायें जो कि इन चीजों को देख सके । मैं यह नहीं कहता कि खुद पार्लियामेंट ही इस अख्तियार को ले ले । लेकिन किसी को तो रखिये । आप हाईकोर्ट को ही यह अख्तियार दीजिये ।

अभी हमारे भाई मुनीश्वर दत्त जी ने अमेंडमेंट दिया । मुझे उसे देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ । मेरी समझ में उनका अमेंडमेंट नहीं आया । उसमें सिलेक्ट कमेटी के लिये कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है । अभी अभी क्रिमिनल प्रोसीज्योर पास हो चुका है । उसमें ज्वाइंट कमेटी को इंस्ट्रक्शन दिये थे । इस अमेंडमेंट से हम सिर्फ़ कमेटी में जा कर इस बिल पर ही बातचीत करेंगे । वहां से लौट कर आने पर कहा जायगा कि इससे बाहर नहीं जा सकते । श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय के अमेंडमेंट का यह नतीजा होगा कि हम यहां से जाकर वहां बैठे रहेंगे क्योंकि उसमें कोई इस्ट्रक्शन नहीं है । और उत्तर प्रदेश के सिर्फ़ तीन ही मेम्बर रह जायेंगे । सिलेक्ट कमेटी इससे बाहर नहीं जायगी । उत्तर प्रदेश में शिड्यूल्ड कास्ट के सिर्फ़ तीन ही मेम्बर रह जायेंगे । हम चाह रहे थे कि जो लोगों के साथ पहाड़ों में और दूसरी जगह ज्यादतियां हुई हैं उनको दूर कर दिया जाय और हम अपने क़ानून को ऐसा बनायें कि जिससे किसी के साथ अन्याय न हो । इसीलिये मैंने अपना अमेंडमेंट मूव किया है । मैं चाहता हूं कि पेरेंट ऐक्ट में तबदीली होनी चाहिये । लेकिन मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट की मैशीनरी कैसे चलती है । हम यहां पार्लियामेंट में आ गये लेकिन यहां भी हम अपना काम नहीं कर पाते हैं । हम अपने इलाक़े में गलती होते देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी कांस्टीट्यूऐंसी का सत्यानाश हुआ जा रहा है, अब अगर हम उस गलती को दूर नहीं करा सकेंगे तो कौन करा सकेगा । तो मैं चाहता हूं कि पेरेंट ऐक्ट में तबदीली की जाय । हम चाहते हैं कि अगर हम इन गलतियों को ठीक नहीं कर सकते हैं तो कोई कमेटी उनको दूर करे । डिलिमिटेशन कमीशन ने जो गलतियां की हैं उन पर कमेटी गौर करे और इस हाउस के सामने मुनासिब बिल लाये तो मैं समझता हूं कि उसकी रिपोर्ट को गवर्नमेंट मंजूर करेगी, हाउस मंजूर करेगा और मिनिस्टर साहिब मंजूर करेंगे । अगर कहीं ज्यादती है तो उसको दूर कीजिये अगर नहीं है तो दूर न कीजिये । मेरा कहना आप साहबान से यह है कि आपके साथ और आपके हल्क़े के साथ जो ज्यादती हो रही है उस ज्यादती को दूर कराने के लिये क़दम उठायें । यह चुनाव का मामला है, डिलिमिटेशन का मामला है, मैं इस मामले में वक़ालत की बात नहीं करना चाहता लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि यह जो कमीशन को अख्तियार दिया गया है वह डेलीगेट ऐथारिटी है और उसका अख्तियार से बाहर का हुक्म कहां तक ला हो सकता है, मैं उसे डाउटफुल समझता हूं । कमीशन का ऑर्डर लॉ भी होगा या नहीं होगा, इसमें यह साफ़ नहीं होता है । मैं अपने अमेंडमेंट में सिर्फ़ यही बात रख रहा हूं कि पेरेन्ट ऐक्ट को अमेंड करने के इंस्ट्रक्शंस सिलैक्ट कमेटी को दे दिये जायें, वहां पर भी आप ही उसको करने वाले हैं, अगर वहां पर कमेटी यह देखे कि कोई गलत बात दूर होनी चाहिये तो वह उसके लिये इस बिल की दफ़ा में ऐसी बात रख दें जिससे वह गलती दूर हो जाये जैसे कि प्रेसीडेंट का ऑर्डर बदलना

[श्री आर० डी० मिश्र]

चाहिये । प्रेसीडेंट के आर्डर के मुताल्लिक़ जो बाज़ शिकायतें हुई हैं उनको रफ़ा करने के लिये इस बिल की किसी दफ़ा में ऐसे साफ़ इंस्ट्रक्शंस रख दीजिये कि कमीशन को जहां गलतियां मालूम पड़ें, उन गलतियों को वह दुरुस्त कर सके और यह भी आप देखें कि कमीशन की गलतियां कोई एथोरिटी देखो अब

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उस काम के लिये आप चाहें तो पार्लियामेंट के लिये यह एथारिटी रख दीजिये कि वह उसकी गलतियों को देखे । इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछली मर्तबा जब डिलिमिटेशन ऑफ कांस्टीटूएन्सीज़ के बारे में यहां पर डिस्कशन हुआ था तो उस मौक़े पर तमाम जगह के मेम्बरान चिल्लाते थे, अपोज़िट पार्टी के मेम्बर चिल्लाते थे, सरदार हुक्म सिंह और डा० लंका सुन्दरम् को मैंने चिल्लाते देखा था । जितनों से मैंने बातचीत की मैंने यही पाया कि हर आदमी डिलिमिटेशन कमीशन के काम से परेशान है । मैं और ज्यादा न कह कर अपने मिनिस्टर साहब से आशा करता हूं कि वह मेरा अमेंडमेंटह मंजूर कर लेंगे लेकिन अगर वह बर्मन साहब का संशोधन स्वीकार कर लें तो मैं उस पर इक्तफ़ा करने के लिये तैयार हूं ।

श्री पाटस्कर : क्या मैं चर्चा को अधिक कम करने के लिये एक क्षण के लिये हस्तक्षेप कर सकता हूं ? डित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है और उससे जो कुछ सम्बन्धित है मैं उस पर विचार करने के लिये तैयार हूं यद्यपि सम्पूर्ण परिसीमन अधिनियम में सब प्रकारकी कठिनाइयों की मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं । यदि इससे माननीय सदस्यों को सन्तोष हो तो मैं इसका अर्थात् "इस विधेयक के उपबन्धों तथा तत्संबधी विषयों आदि" शब्दों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं ।

किन्तु मेरे माननीय मित्र यह अनुभव करेंगे कि वर्तमान विधेयक परिसीमन आयोग के काम के परिणामस्वरूप उत्पन्न समस्या के एक भाग को सुलझाने तक ही सीमित है । मान लीजिये कि हैदराबाद में कुछ कहा गया है । जहां कहीं भी सम्भव हो इस विधेयक के संशोधन से कुछ किया जा सकेगा । सरकार का यह आशय नहीं है कि वह राज्यों के बीच तथा व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव करे । अतः मैं इस विषय में अपने मित्रों को आश्वासन देने के लिये तैयार हूं और "इस विधेयक के उपबन्धों तथा तत्सम्बन्धी विषयों आदि" शब्द जोड़ने के लिए तैयार हूं ।

परिसीमन आयोग के काम के बारे में उत्पन्न सामान्य शिकायत के सम्बन्ध में यह निश्चय ही इस विधेयक के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है किन्तु जहां कहीं न्यायपूर्ण शिकायत हो वहां सदस्यों को उचित दृष्टिकोण सामने रखने के लिए कोई रोकटोक नहीं है । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि सरकार उचित दृष्टिकोण से सभी सम्बन्धित हितों को दृष्टि से, उन सभी बातों पर विचार करेगी । यह किसी की भी इच्छा नहीं है कि किसी व्यक्ति के अधिकार अमान्य किये जायें या किसी को असुविधा हो । किन्तु ऐसे विधेयक में जिसका आशय सीमित हो मैं कुछ करने का आश्वासन नहीं दे सकता हूं । उस सम्बन्ध में मेरे कुछ मित्र कदाचित यह सोचते हैं कि सम्भवतः कुछ छोड़ दिया जायगा, किन्तु मैंने कहा है कि वह सब किया जायगा । इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं । यदि इस पर हम कोई निर्णय करके इसे पारित कर दें तो उससे बड़ी सहायता मिलेगी क्योंकि ऐसा ही दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक अनर्हता निवारण विधेयक है जो

अवश्य पारित किया जाना चाहिये उस में समय नहीं लगेगा, किन्त इस वर्ष के अन्त के पहले ही उसे पारित करना है। अतः मैं आशा करता हूं कि सभा इस प्रस्ताव के लिए सहमत होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस कथन को दृष्टि में रखते हुए कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है क्या यह आवश्यक है कि मामले पर अग्रेतर चर्चा की जाय ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यह संशोधन प्रस्तुत किया जाय।

श्री कजरोल्कर (बम्बई नगर—उत्तर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय द्वारा प्रस्तावित संशोधन में,

शब्द "to report" ["प्रतिवेदना करना"] के पश्चात् "on the provisions of the Bill as well as matters connected therewith ["विधेयक के उपबन्धों तथा तत्सम्बन्धी विषयों पर"] शब्द प्रविष्ट किये जायें।

श्री पाटस्कर : इसके परिणामस्वरूप यदि अन्य किसी धारा पर भी विचार करना आवश्यक हो तो मैं उस पर विचार करूंगा। किन्तु जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, कोई बात ऐसी नहीं है जो मेरे ध्यान में न आयी हो।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा संशोधन क्या है ? माननीय सदस्य उसे सभापति को दे दें। मैं सूचना की बात को रद्द कर रहा हूं क्योंकि विधेयक के प्रस्तावक ने उसे स्वीकार कर लिया है। अन्यथा मैंने सूचना दिये जाने की बात पर जोर दिया होता।

अब मैं पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय द्वारा प्रस्तावित संशोधन में श्री कजरोल्कर का यह संशोधन सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, शब्द "to report" ["प्रतिवेदना करना"] के पश्चात् "on the provisions of the Bill as well as matters connected therewith" ["विधेयक के उपबन्धों तथा तत्सम्बन्धी विषयों पर"] शब्द प्रविष्ट किये जायं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय का संशोधन संशोधित रूप में प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन, सरदार अमरसिंह सहगल, श्री नारायण सदोबा कजरोल्कर, श्री आर० एल० जांगड़े, श्री वी० एन० तिवारी, श्री टी० एन० सिंह, पंडित अलगूराय शास्त्री, श्री रघुवर दयाल मिश्र, श्री निकुंज बिहारी चौधरी, सरदार हुक्म सिंह डा० ए० कृष्णस्वामी, श्री राम जी वर्मा, श्रीमती सुचेता कृपालानी, पंडित बालकृष्ण शर्मा, श्री एच० वी० पाटस्कर, पंडित एम० डी० उपाध्याय, श्री पी० कक्कन, श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी, श्री बी० एस० मूर्ति, डा० माणिकचन्द जाटव वीर, श्री रामेश्वर साहू, श्री एम० जी० उइके, श्री राम अर्जुन बोरकर, श्री टी० संगण्णा की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और उसे २२ दिसम्बर,

[उपाध्यक्ष महोदय]

१९५४ को या उससे पूर्व विधेयक के उपबन्धों तथा तत्सम्बन्धी विषयों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया है। परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में अन्य सभी संशोधन अवरुद्ध हैं।

१९५४-५५ के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें--आन्ध्र

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं अनुपूरक मांगें सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा। मैं अब तक प्रस्तावित सभी कटौती प्रस्ताव भी मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।

तत्पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या ८,११, १४, १५, १७, २४, २५, २७, ३४, ३६, और ३७ मतदान के लिए प्रस्तुत की गयीं तथा स्वीकृत हुईं।

अनुपूरक अनुदानों की निम्न मांगें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की गयीं।

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
८	सिंचाई	६,१०,००० रुपये
११	जिला प्रशासन तथा विविध	१०० रुपय
१४	पुलिस	२५,००० रुपये
१५	शिक्षा	७,५०,१०० रुपये
१७	लोक स्वास्थ्य	८९,२०० रुपये
२४	असैनिक निर्माण—कार्य	४,००,००० रुपये
२५	असैनिक निर्माण--संस्थापन तथा औजार तथा संयंत्र विद्युत	५१,६०० रुपये
२७		१,७२,३०० रुपये
३४	सिंचाई पर पूंजी व्यय	६४,५०,००० रुपयें
३६	असैनिक निर्माण पर पूंजी व्यय	८,३८,००० रुपये
३७	विद्युत योजनाओं पूंजी व्यय	५,२४३०० रुपये

आन्ध्र विनियोग विधेयक

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में व्यय के लिए आन्ध्र राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० सी० शाह : मैं विधेयक* को पुरःस्थापित करता हूं और प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में व्यय के लिए आन्ध्र राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए एक विधेयक पर विचार किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित तथा प्रस्तावित।

उपाध्यक्ष महोदय : खंडवार चर्चा। प्रश्न यह है :

"कि खंड १, २, और ३, अनुसूची, नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, २ और ३ अनुसूची, नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल द्वितीय संशोधन विधेयक

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अनर्हता निवारण (संसद् और भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) अधिनियम १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

इस विधेयक का इतिहास बहुत सरल है। संविधान के अनुच्छेद १०२ में कहा गया है कि

"(१) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा—

(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, अन्य कोई लाभ का पद धारण किये हुए है;"

जैसा कि हम सभी को विदित है, इस विषय पर अनेक बार चर्चा हुई है। "लाभ का पद" की ठीक ठीक परिभाषा करना बहुत कठिन है। इसलिए जब यह अनुच्छेद संविधान में पुरःस्थापित किया गया तो उन्होंने यह उपबन्ध बनाया कि "ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है"। यह विषय बहुत समय से विचाराधीन है। हमने सर्वप्रथम अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५३ पारित किया था। तब हमने यह घोषित किया था कि कतिपय पद स्थायी रूप से अनर्ह न होंगे। कुछ पद ऐसे भी थे जिनके सम्बन्ध में यह उपबन्ध किया गया कि अनर्हता न होगी क्योंकि हमें सन्देह था कि उन पदों के लिए अनर्हता होगी अथवा नहीं।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

एक उपबन्ध बनाया गया जिसके द्वारा समय सीमा निर्धारित की गयी। अब उस अवधि को ३१ दिसम्बर, १९५५ तक बढ़ाना आवश्यक हो गया है। यहां मैं यह कह सकता हूं कि इंग्लैण्ड में भी संसद् की एक समिति इस प्रश्न पर चर्चा कर रही है और वह किसी निश्चित निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं यह नहीं कहता कि हम इंग्लैण्ड की नक़ल करें और ऐसे अधिनियम सदा के लिए लागू करें। वास्तव में सरकार ने एक व्यापक विधेयक तैयार किया है जिसे वह पुरःस्थापित करना चाहती है। सभा को ज्ञात है कि इस बीच अध्यक्ष महोदय ने लाभ के पद के प्रश्न पर विचार करने के लिए दोनों सदनों के सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की थी। विधेयक की एक प्रति उसे भेजी गयी थी। उसने सुझाव दिया था कि इस सम्बन्ध में ठीक ठीक विधान बनाने के लिए सभी संभव

[श्री पाटस्कर]

अवस्थाओं की जांच करने का वह भी प्रयत्न करेगी । उसने यह भी सुझाव दिया था कि अवधि बढ़ा कर यह विधेयक पारित किया जा सकता है । खंड ४ में वर्तमान उपबन्ध एक वर्ष अवधि बढ़ाने के लिए है, इस बीच उस समिति का प्रतिवेदन सम्भवतः तैयार हो जायगा । हम उस प्रतिवेदन पर भी विचार करेंगे और तब उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करेंगे । इन विचित्र परिस्थितियों में सरकार ने यह ठीक समझा कि वह प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करे और तब उस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करे । अतः इसी कारण विधेयक को प्रस्तुत करने में हमने शीघ्रता नहीं की । इसी दृष्टिकोण से यह संक्षिप्त विधेयक वर्तमान अधिनियम की धारा ४ में उल्लखित पदों के सम्बन्ध में अनर्हता निवारण के लिए प्रस्तुत किया गया है । इस विधेयक में यह उपबन्ध है कि "३१ दिसम्बर, १९५५" शब्द रखे जायं और वर्तमान अधिनियम की धारा ४ में वे सदा जुड़े हुए समझे जायेंगे । १९५४ के बजाय हम १९५५ चाहते हैं । केवल यही परिवर्तन प्रस्थापित है । मेरे विचार से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति उस पर विचार कर रही है । यदि आवश्यक हुआ तो हम समिति की सिफारिशें व्यापक विधेयक में शामिल करेंगे जिससे कि और कई मदें अधिनियम में सम्मिलित की जा सकें । मैं आशा करता हूं कि समिति का प्रतिवेदन शीघ्र ही तैयार हो जायगा और हम कदाचित् इस वर्ष के अन्त से पूर्व ही एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत कर सकेंगे । अतः मैं आशा करता हूं कि यह अविवादास्पद विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित किया जायगा ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मैं जानना चाहता हूं कि अब तक इस समिति ने कितनी प्रगति की है । क्या राज्य सरकारों से इसके सम्बन्ध में परामर्श किया गया है, और यदि हां तो उन्होंने इस प्रकार के विधान के विरुद्ध किस सीमा तक आपत्तियां उठाई हैं ।

श्री पाटस्कर : मैं आशा करता हूं कि उक्त समिति दो तीन मास में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

जहां तक राज्यों से परामर्श करने का प्रश्न है मेरा अनुमान है कि हम यह विधान संसद् के लिये तथा भाग 'ग' के राज्य विधान मण्डलों के लिये अधिनियमित कर रहे हैं । अन्य राज्य विधान मण्डल अपने अपने विधान स्वयं तय्यार करेंगे । इस लिये यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : राज्यों के अधिनियमों के कुछ संविहित उपबन्धों के अनुसार कुछ निकायों में सदस्य विधान मण्डल से नियुक्त करके भेजे जा सकते हैं । क्या इस अधिनियम के अनुसार उनकी अनर्हता का भी निवारण किया जाने वाला है ? इस के सम्बन्ध में जांच करके कोई निर्णय करना है । परिणाम निकालना है ।

श्री पाटस्कर : माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है उस पर यथोचित विचार किया जायेगा ।

श्री धुलेकर (जिला झांसी—दक्षिण) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । यह समिति "लाभ के पद" शब्दों की परिभाषा को प्रभावित करने वाले विषयों की जांच करने के लिये बनाई गई थी । इस के सम्बन्ध में जो प्रथायें इंगलिस्तान में लागू हैं उनको भारत में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इंगलिस्तान के सारे इतिहास में सम्राट् तथा संसद् में बराबर संघर्ष होता रहा है जिसमें सम्राट् अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यों को कभी कभी विभिन्न

प्रकार के पदों पर नियुक्त कर दिया करता था। इसका परिणाम यह होता था कि यद्यपि उस पद का कोई पारिश्रमिक नहीं होता था फिर भी चूंकि उस पद के साथ कुछ ऐसी शक्तियां होती थीं जिससे वह सदस्य अन्य व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त कर सकता था या व्यापार की रियायतें दे सकता था इस लिये हाउस ऑफ कामन्स द्वारा इसका विरोध किया जाता था।

हमारे देश में ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी जनतन्त्र को इस विकार से बचाने के लिये उपाय करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में यदि एक ओर यह खतरा है कि कहीं ऐसा न हो कि संसद् सदस्यों को लाभ के पद पर नियुक्त किया जाये जिससे कि वे व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली हो जायें और जनतन्त्र के लिये एक प्रकार का जोखिम पैदा हो जाये, तो दूसरी ओर खतरा यह है कि योजना आयोग के अन्तर्गत इतनी योजनायें पंचायत स्तर से लेकर ऊपर तक चालू की जा रही हैं कि उनमें संसद् सदस्यों का भाग लेना आवश्यक है और कुछ स्थान तो ऐसे हैं जो कि यद्यपि बहुत बड़े और महत्वपूर्ण हैं फिर भी संसद् सदस्यों को उनसे अलग रखना कठिन होगा। इसलिये यही उचित समझा गया कि लाभ के पदों की जल्दी में कोई अनुसूची न बनाई जाये वरन् अनर्हता निवारण की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जाये। उतने समय में समिति भी और अधिक समुचित रूप में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और जिस पर विचार करने के पश्चात् एक उचित विधान तय्यार किया जाये।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : चूंकि समिति ने अभी अपना कार्य समाप्त नहीं किया है इसलिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जहां तक अनर्हता का सम्बन्ध है हम बहुत दूर तक चले गये हैं। कुछ बातों के सम्बन्ध में अब भी सन्देह है। उदाहरण के लिये यदि कोई संसद् सदस्य किसी निजी समदाय का संचालक हो जाये, जिस को सरकार से कोई अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता हो तो वह सदस्य भी अनर्ह समझा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। हां, उन समवायों के सम्बन्ध में अवश्य यह बात विचार करने योग्य है जिनको प्रत्यक्ष रूप से सरकार से सहायता प्राप्त होती है। श्री धुलेकर अभी इंगलिस्तान के सम्बन्ध में बता रहे थे। इंगलिस्तान की संसद् के सदस्यों के सामने भी 'पियर' या 'नाइट' की उपाधि से विभूषित किये जाने का लोभ सदा बना रहता है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी जहां तक हो सके हमें अनर्हता को उस सीमा तक दूर रखना चाहिये जहां तक कि हमें ऐसा कोई कार्य करने के लिये पर्याप्त समय मिले जो कि सरकार से अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होने पर भी हमें कोई वास्तविक लाभ न पहुंचता हो। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं इसका समथन करता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब चेयरमैन साहब, आपके सामने यह मसला पेश है। उस कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से जिसको कि स्पीकर साहब ने एपाइंट किया है मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे सामने जो मसला है वह निहायत दक़ीक़ है।

अभी चौधरी साहब ने फ़रमाया कि प्राईवेट फ़र्म्स के डाइरेक्टरों को क्या मिलता है और उनको किस तरह से इनफ्लूएंस किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सी कमेटियों की लिस्ट आई हैं और हमको देखना होगा कि हर कमेटी में होने से किस को क्या फ़ायदा मिल सकता है। हमारे सामने जो उसूल है वह यह है कि हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंट का कोई भी मेम्बर ऐसा हो कि जो गवर्नमेंट से किसी उम्मीद में अपनी राय को इनफ्लूएंस हो जाने दे। हमारे मिनिस्टरों की तादाद रोज़ बढ़ती जाती है। हमारी यह कोशिश होगी कि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मेम्बरों पर गवर्नमेंट का डाइरेक्ट इनफ्लूएंस न पड़ने पाये। पिछले दिनों मैंने जो वनस्पति का बिल पेश किया था उसमें पापुलर वाइस रखने वालों की तादाद ४९ थी और गवर्नमेंट की तरफ से ५२ मेम्बर खड़े हो गये थे। अगर उन मेम्बरों को जो खड़े हुए थे अपनी राय देने का हक होता तो ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि मेरे बिल के फ़ेवर में ५२ या उससे ज्यादा मेम्बर होते और ४९ खिलाफ़ होते। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क़ायदा यह है कि गवर्नमेंट के हाथ में कोई ऐसी चीज न रहे जिससे कि किसी मेम्बर का इंडिपेंडेंस मार हो जाय। लेकिन साथ साथ हमारी मुसीबत यह है कि इस हाउस में ऐसे गिने चुने आदमी पब्लिक लाइफ़ से आते हैं कि जिनकी तादाद देश में थोड़ी होती है और जिनके बगैर हमारे काम अच्छी तरह से नहीं हो सकते हैं। इसलिये हमको ऐसा तरीका अख्तियार करना होगा कि उन आदमियों से हम काम भी ले सकें और उनके इंडिपेंडेंस पर भी गवर्नमेंट का कोई असर न पड़े। मुझे उम्मीद है कि हाउस के सारे मेम्बरान इस काम में हमारी मदद करेंगे। इस कमेटी में कुछ मेम्बरान काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उस कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से वक़ाया मेम्बरान से अर्ज करता हूं कि वे वहां तशरीफ लायें और हमारी मदद करें ताकि हम अपने मुल्क के लिये एक अच्छा क़ायदा बना सकें। मैं विलायत के उसूलों का क़ायल नहीं हूं। मैं तो इस बात का कायल हूं कि जो चीज हमारे देश के वास्ते मुनासिब हो उसको हम रख सकें। हमें उम्मीद है कि हम एक साल के अन्दर पूरी कोशिश से ऐसा एक फ़ार्मूला आपके सामने रख सकेंगे जिससे कि मेम्बरान को पूरी तसल्ली हो जायगी और गवर्नमेंट जो बिल लायेगी वह इस कमेटी की सिफ़ारिश के मुताबिक लायेगी। इसलिये मैं इस बिल को जोर के साथ सपोर्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो अर्सा आपने दिया है उसमें यह कमेटी अपना काम पूरा कर सकेगी।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन): जनाब चेयरमैन साहब, मेरा इस मसले पर बोलने का इरादा नहीं था। लेकिन मेरे दोस्त पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो कुछ कहा मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वनस्पति बिल पर जो राय दी गयी उसमें ५२ मेम्बरों ने गवर्नमेंट की तरफ़ से राय दी, और ऐसा उन्होंने गवर्नमेंट के इनफ्लूएंस की वजह से किया। मैं ऐसा नहीं समझता कि पार्लियामेंट के मेम्बर इस तरह से गवर्नमेंट के असर में आ जायेंगे। हम इस बिल को इसलिये लाये हैं ताकि पब्लिक के दिमाग में यह बात न आ सके कि मेम्बर पार्लियामेंट किसी तरह से नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि मेम्बर पार्लियामेंट के लिये आप कहें कि अगर उसको कहीं पर रख लिया गया है तो उसकी वजह से वह अपनी आत्मा को बेच देगा और गलत राय दे देगा।

मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

श्री पाटस्कर: मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं संसदीय समिति के विचारों को ध्यान में रख कर ही हमने यह संशोधन रखा है। दोनों सभाओं की समिति द्वारा जो भी सिफ़ारिशें रखी जायेंगी उन पर सरकार यथोचित रूप से ध्यान देगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस आश्वासन के पश्चात् यह प्रस्ताव पारित कर दिया जायेगा।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग "ग" राज्य विधान मंडल) अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २—१९५४ के अधिनियम संख्या १ की धारा ४ का संशोधन

सभापति महोदय : अब हम इस विधेयक के एक एक खण्ड पर विचार करेंगे। यह खंड २ का संशोधन है जो श्री तुषार चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक की अवधि केवल छै मास के लिये बढ़ाई जाये। यह कहा जाता है कि समिति अभी तक यह निश्चय नहीं कर पाई है कि लाभ के पद कौन कौन से हैं। परन्तु यह ऐसा कोई जटिल विषय नहीं है जिस पर विचार करने के लिये डेढ़ वर्ष का समय लगाने की आवश्यकता पड़े। मैं समझता हूं कि इसके लिये छै मास का समय पर्याप्त है।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री पाटस्कर : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव पर आग्रह न करें। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने एक विधेयक का प्रारूप तय्यार भी कर लिया था। अब जो भी समय लगेगा वह केवल दोनों सभाओं की संसदीय समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में लगेगा। वह सिफारिशें जैसे ही प्राप्त हो जायेंगी, सरकार एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेगी।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पाटस्कर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चाय (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चाय अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाये।"

चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४ (३) में इस बात का उपबन्ध किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा ४(१) के अन्तर्गत स्थापित किये गये चाय बोर्ड में संसद सदस्यों के प्रतिनिधि नियुक्त किये जायें। परन्तु इस प्रकार की नियुक्ति के कारण संविहित निकाय की सदस्यता से अनर्हता उत्पन्न होती है। अनर्हता निवारण (संसद तथा भाग 'ग' राज्य विधान मण्डल) अधिनियम, १९५३ के द्वारा इस अनर्हता का निवारण केवल ३१ दिसम्बर, १९५४ तक होता है। जो विधेयक अभी पारित किया गया है इस के द्वारा भी यह विमुक्ति केवल एक वर्ष के लिये दी गई है। परन्तु इस प्रकार की अनर्हता का स्थायी रूप से निवारण किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि चाय बोर्ड का कार्य सफलतापूर्वक चलाया जा सके। दोनों सभाओं द्वारा जो कहवा तथा रबड़ विधेयक पारित किये गये हैं उनमें ऐसा ही उपबन्ध बनाया गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : संसद् सदस्य विभिन्न बोर्डों में काम कर सकें

[श्री ए० एम० थामस]

इसके लिये उपबन्ध तो बनाया गया है परन्तु सरकार इस बात का कोई प्रयत्न नहीं करती है कि बोर्ड के उद्घाटन तथा उसकी सामान्य बैठक के पहले जब विभिन्न उपसमितियां चुनी जाती हैं तो हमारे द्वारा चुने गये सदस्य इन बोर्डों की कार्यवाही में भाग ले सकें। सरकार इतनी देर करती है कि इन महत्वपूर्ण उपसमितियों के चुनाव हो जाने के बाद ही इस सभा या राज्य सभा के सदस्य इन बोर्डों की कार्यवाही में भाग ले पाते हैं। मैं आशा करता हूं किसरकार इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देगी।

श्री एन० एम० लिंगम् (कोयम्बटूर) : चाय बोर्ड को बने हुये एक वर्ष हो चुका है परन्तु अभी तक सरकार ने चाय अधिनियम के अनुसार इन बोर्डों में संस_ सदस्यों को नियुक्त करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया है। फिर भी जो कुछ किया जा रहा है वही सही। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता ।

श्री करमरकर : मैंने दोनों सदस्यों के सुझावों को नोट कर लिया है। यथा समय मेरा मंत्रालय इन पर विचार करेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ तथा २

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बन।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

संशोधन प्रस्तुत किये गये :

विधेयक के नाम में, 'to amend' ["संशोधन करने के लिये"] शब्दों से पहले शब्द 'further' ["अग्रेतर"] रखा जाये

पृष्ठ १, पंक्ति ३ में, शब्द "amendment" ["संशोधन"] के पश्चात् "Second amendment" ["द्वितीय संशोधन"] शब्द रखे जायें।

—[श्री करमरकर]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का नाम संशोधित रूप में, तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ संशोधित रूप में, विधेयक का संशोधित रूप में, तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विश्वविद्यालयों के स्तर के समन्वय तथा निर्धारण का उपबन्ध करने तथा इस प्रयोजन के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान को आयोग स्थापित करने का उपबन्ध करने

वाले विधेयक को दोनों सभाओं को ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें से इस सभा के यह ३० सदस्य श्री एन० वी० गाडगील, श्री वी० वी० गांधी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी, श्री आर० बी० धुलेकर, श्री बीरबल सिंह, श्री अलगू राय शास्त्री, श्री श्यामनन्दन सहाय, श्री टी० एस० अविनाशलिंगम चेट्टियार, श्री एस० सिन्हा, श्री टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी, श्री ए० एम० थामस, श्री एन० राचय्या, श्री दीवानचन्द शर्मा, ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफ़िर, श्री राधेलाल व्यास, श्री मुल्ला तेहेरअली, मुल्ला अब्दुल्ला भाई, श्री कृष्णाचार्य जोशी, श्री लिंगराज मिश्र, डा० मनमोहन दास, श्री रामेश्वर साहू, श्री जयपाल सिंह, श्री एच० एन० मुकर्जी, श्री के० एम० वल्लाथरास, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी, च० च० महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह देव, श्री बी० एच० खर्डेकर, प्रो० मेघनाथ साहा, श्री शिवमूर्ति स्वामी, श्री पी० एन० राजभोज तथा प्रस्तावक हों, तथा राज्य सभा के पन्द्रह सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति ३० अप्रैल, १९५५ तक अपना प्रतिवेदन सभा के समक्ष प्रस्तुत कर देगी ;

कि अन्य बातों के सम्बन्ध में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम, ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ जो कि अध्यक्ष द्वारा किये जायें लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफ़ारिश करती है कि राज्य सभा कथित संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और इस सभा को उन सदस्यों के नामों से सूचित करे जिनको कि राज्य सभा संयुक्त समिति में नियुक्त कराना चाहती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : वे अपना भाषण जारी रखेंगे या मैं यह प्रस्ताव तत्काल ही सभा के समक्ष प्रस्तुत करूं ?

डा० एम० एम० दास : मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) श्रीमान्, प्रवर समितियों में साधारणतः ४९ सदस्य लिये जाते हैं फिर इसमें ४५ ही क्यों रखे गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अब हम दूसरा विषय लेते हैं।

अध्यक्ष के पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस संकल्प पर चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, मुझे इस बारे में कुछ निवेदन करना है। आपने इस चर्चा के लिये दो घंटे निश्चित किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां ३–३० से ५–३० तक।

श्री जवाहरलाल नेहरू : साधारणतया आप समय को उचित अनुपात में बांट देते हैं किन्तु इस विषय में सरकारी सदस्यों की अपेक्षा विरोधी दल वालों को अधिक समय दिया जाना चाहिये। हम अधिक समय नहीं लेना चाहते हैं और मुझे आशा है कि इस ओर के सदस्य भाषणों में अधिक समय नहीं लेंगे। हम तो वही कह देंगे जो हमें करना है। अतः उन्हें अधिक समय दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका ध्यान रखूंगा। श्री वी० मिश्र पहले संकल्प को

स्तुत करेंगे ।

श्री बी० मिश्र (गया उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसको मूव करता हूं :

> "कि यह सभा, स्थगन प्रस्तावों पर सहमति देने, प्रश्नों को अस्वीकार करने, आदि के बारे में सभा के अध्यक्ष के आचरण पर विचार करने पर यह समझती है कि उन्होंने सभा के सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त करने के लिये आवश्यक निष्पक्ष रवैया बनाये रखना बन्द कर दिया है; कि अपने पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण वह सभा के सदस्यों के अधिकारों का ध्यान नहीं रखते हैं और इन अधिकारों का हनन करने वाली घोषणायें और निर्णय देते हैं; कि वह सभी विवादग्रस्त मामलों में संसद् के दूसरे सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना के मुक़ाबले में सरकारी प्रवक्ता की बात का खुला समर्थन करते हैं ; कि इन सब कार्यों से इस सभा का कार्य उचित रूप से संचालन करने के लिये और जनता की शिकायतों को अच्छी तरह प्रकट करने के लिये ख़तरा पैदा हो गया है, और इसलिये सभा संकल्प करती है कि उनको उनके पद से हटा दिया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एस० एस० मोरे : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ यह भाषण करना पड़ रहा है । किन्तु मैं अपना कर्त्तव्य समझ कर ऐसा कर रहा हूं। हम अपने प्रजातंत्र को इंगलैण्ड के प्रजातन्त्र की भांति बनाना चाहते हैं किन्तु यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि सभा के दोनों पक्ष सुव्यवस्थित रूप से कार्य न करें। हम विरोधी दल के सदस्यों में भी बड़े बड़े आदरणीय व्यक्ति विद्यमान हैं और हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं।

सभा के नेता ने यह कहा है कि यह संकल्प अनुचित है । हमें इसकी सत्यता पर शान्त रूप से विचार करना है । हमें आप से बाहर हो जाना शोभा नहीं देता है । देशवासी हमारे लिये क्या कहेंगे। मैं सभा के अध्यक्ष-पद को बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूं । यदि हम इंगलैण्ड के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होगा कि वहां पर प्रारम्भ में अध्यक्ष को सम्राट् के प्रतिनिधि की भांति समझा जाता था और वह सम्राट् का पक्ष लेता रहता था । इस का परिणाम यह निकला कि एक सम्राट् को वहां की जनता ने फांसी दे दी और एक अन्य सम्राट् को देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा । अतः वहां पर बड़े संघर्ष के बाद अध्यक्षता का विकास हो पाया है । इसी प्रकार हमें अपने देश में भी यह देखना है कि अध्यक्ष सरकार के हाथ में कठपुतली की भांति न रहे बल्कि विरोधी दल की बातों पर भी निष्पक्ष रूप से विचार करे । मैं आप से पूछता हूं कि क्या हमारे अध्यक्ष महोदय निष्पक्ष हैं ? कदापि नहीं । चाहे हमारी संख्या कम हो और सरकारी दल अपने बहुमत के कारण हमारी एक भी नहीं चलने दें किन्तु न्याय की आंखों में इस प्रकार धूल नहीं झोंकी जा सकती है । इस बात को जो कोई भी सुनेगा वह यह महसूस किये बिना नहीं रह सकता है कि जब इतने विभिन्न दलों के सदस्यों ने एकमत होकर अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध आवाज़ उठाई है तो अवश्य ही कुछ दाल में काला है और अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से हमारे विश्वास के पात्र नहीं हैं । हम चाहे संख्या में कम हों किन्तु हम स्वेच्छाचारिता का विरोध किये बिना नहीं रहेंगे ।

महात्मा गांधी के जीवन का भी यही आदर्श था ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने आपको संविधान का अभिरक्षक बताया है किन्तु क्या उन्होंने संविधान का ठेका ले रखा है ? हम सब संविधान के रक्षक हैं । यह एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां अध्यक्ष को उसका निर्वाचन करने का अधिकार सौंप दिया गया है और वह जो अर्थ भी बता देते हैं उसे हम नियम मान लेते हैं । यह अनुचित है । यदि आप संविधान के अनुच्छेद १०५ पर ध्यान दें तो ज्ञात होगा कि दोनों सभाओं के अधिकार सदस्यों पर निर्भर करते हैं, अध्यक्ष पर नहीं । संसद् सचिवालय के लिये संसद् स्वयं नियम बनाती है किन्तु हमने ऐसा नहीं किया है ।

अब मैं संकल्प के उस भाग को लेता हूं जिसमें यह कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय विरोधी दल के प्रस्तावों को ठुकरा देते हैं । हम लोगों का यह कर्त्तव्य होता है कि जिन निर्वाचन-क्षेत्रों के हम निवासी हैं वहां यदि कोई गड़बड़ हो तो हम उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें और ऐसी दशा में यदि सरकार उस पर ध्यान न दे तो कितना असन्तोष फैल जाता है ।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई वास्तविक आरोप होने चाहियें ।

श्री एस० एस० मोरे : यहां तो मैं यह बता रहा हूं कि हमें स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है । पहले भी ऐसा अधिकार हमें प्राप्त था । सन् १९३५ में कांग्रेस ने ३४ स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे । उनका उद्देश्य क्या था ? उनका उद्देश्य शासन की बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित कराना ही था । इस वर्ष हमने ८९ स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये । उनमें से ८६ प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार ही नहीं किये । हमने बहुत धीरज रखा किन्तु कुछ दिन पूर्व श्री गुरुपादस्वामी के प्रस्ताव के प्रति जो व्यवहार किया गया उससे तो हम अधीर हो गये । सरकार के प्रतिवेदन को आप चाहे मान्यता दें किन्तु सदस्यों को भी अपनी बात कहने का अधिकार होता है । पुलिस की रिपोर्ट को इतना ऊंचा स्थान नहीं दिया जाना चाहिये । जब हम किसी औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में खड़े होते हैं तो प्रश्न को सुनने से पहले ही अध्यक्ष महोदय हमें बैठ जाने का आदेश दे देते हैं । क्या किसी अध्यक्ष को इतना स्वेच्छाचारी होना चाहिये ? उसका स्थान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है जो कोई निर्णय देने से पहले विषय को ध्यानपूर्वक सुनता है । हमने अपने देश में अनेक योग्य अध्यक्षों को देखा है । श्री विट्ठलभाई पटेल उनमें से एक थे । अध्यक्ष का कार्य निष्पक्ष रूप से कार्यवाही को संचालित करना होता है ।

मुझ एक बात और कहनी है । वह यह है कि हम विरोधी दल वालों के लिये जो असभ्य भाषा का व्यवहार किया जाता है वह अवांछनीय है । हम सब उत्तरदायी सदस्य हैं । हमारे साथ इस प्रकार का कटु व्यवहार नहीं होना चाहिये । हम प्रजातन्त्र के हित के लिये यहां एकत्र हुए हैं । हमें सर्वथा पृथक् समझ कर पक्षपात की भावना को नहीं बढ़ाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोपालन इस पक्ष के एक अथवा दो वक्ताओं के भाषण के पश्चात् बोलना चाहते हैं परन्तु उन्हें यह ज्ञात होना चाहिये कि आरोप क्या हैं ।

श्री ए० के० गोपालन : संसद् में जनता की कठिनाइयों का दिग्दर्शन कराया जाता है तथा इसीलिये हम उसके प्रतिनिधि चुनाव के

[श्री ए० के० गोपालन]

पश्चात् यहां उपस्थित हैं। लगभग ८५ स्थगन प्रस्ताव विरोधी पक्ष ने प्रस्तुत किये तथा इन प्रस्तावों के विषय के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि विपक्षी दल का एक भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जो यह कह सके कि उनमें जनता की कठिनाइयां व्यक्त नहीं की गई थीं। जहां तक स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति का प्रश्न है वह एक अलग प्रश्न है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत उदाहरण हमारे सम्मुख हैं जिनमें अध्यक्ष महोदय अपक्षपाती रहे हों। उन्होंने कई बार यह कहा है कि वह एक दल के सदस्य हैं। मैं एक समाचार-पत्र का उद्धरण देता हूं।

> "श्री मावलंकर ने अध्यक्ष-पद पर चुने जाने के पश्चात् भूतपूर्व अध्यक्षों के मार्ग का अनुकरण न करते हुए घोषणा की वह अभी भी एक दल के सदस्य हैं तथा अध्यक्ष सम्मेलन में भी जिस बात ने उनका ध्यान आकर्षित किया वह आने वाले चुनाव में कांग्रेस दल के द्वारा उनका नाम निर्देशन था"

सबसे पहला आरोप यह है कि संसदीय व्यवस्था के अनुसार अध्यक्ष को किसी भी दल का सदस्य नहीं होना चाहिये। परन्तु जब वह एक दल के सदस्य हैं तो वह अपने दल का पक्ष अवश्य लेंगे। इसलिये उनको किसी भी दल का सदस्य नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर मतभेद हो सकता है कि भारत में इसके लिये क्या नियम होना चाहिये। हमने अभी ऐसी कोई पद्धति नहीं बनाई है कि अध्यक्ष को किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिये अथवा उसकी क्या परिसीमा होनी चाहियें। इस विषय में भी उन्होंने यह दो वर्ष पूर्व कहा था तो आपको यह प्रस्ताव दो वर्ष पूर्व ही प्रस्तुत करना चाहिये था। सम्भवतः यह ठीक भी हो तो क्या मुझे उस प्रश्न पर अब विचार करना है ?

श्री ए० के० गोपालन : पहले आप मेरे भाषण को सुनें तो सही, और उसके पश्चात् कहें कि इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के कोई कारण हैं या नहीं। यदि आप एक वाक्य को सुन कर यह कहने लगें कि क्या यही कारण है तो इसका मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं।

अन्य देशों में कोई भी व्यवस्था हो सकती है परन्तु हमें भविष्य के लिये इसे भी निश्चित करना है। परन्तु अन्य देशों में यही संसदीय व्यवस्था प्रचलित है कि अध्यक्ष किसी दल का सदस्य नहीं होगा।

मेरे माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने एक स्थगन प्रस्ताव एक संसद् सदस्य के द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर प्रस्तुत किया था। उस प्रस्ताव पर गृह-मंत्री ने एक वक्तव्य दिया जिस पर श्री गुरुपादस्वामी ने कहा कि उन्होंने एक संसद् सदस्य की सूचना के आधार पर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वह संसद् सदस्य उस स्थान पर उपस्थित थे तथा उनको वहां कठिनाई का सामना भी करना पड़ा था। उस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आपके दल का इसमें स्वार्थ है अतः :जो कुछ सरकारी पक्ष ने कहा है वह ठीक है। अन्य भी कुछ प्रस्तावों के सम्बन्ध में उन्होंने एक ही पक्ष की सम्मति को ठीक माना तथा यही कहा कि आपके दल का उसमें स्वार्थ है। मैं कहता हूं कि दोनों दलों का ही उससे लगाव है। हम भी जनता के हितों के लिये कार्य कर रहे हैं। हमारा दल संसद् के समक्ष जनता की कठिनाइयों को व्यक्त करता है इसलिये हमारा इसमें निश्चय ही स्वार्थ है। इसी प्रकार मैं कह सकता कि माननीय गृह मंत्री को भी उससे लगाव है।

मैंने एक स्थगन प्रस्ताव कुरनूल गोली कांड के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था। उस समय गृह मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया था। दूसरे दिन गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया परन्तु मुझ को कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दी गई। मुझ से केवल यह कहा गया कि मैं उसकी आवश्यकता अथवा राजनैतिक महत्व के सम्बन्ध में ही कुछ कहूं। गृह मंत्री ने प्राधिकारियों के द्वारा भेजे गये वक्तव्य को यहां पढ़ दिया। यदि मुझे अवसर दिया गया होता तो मैं बताता कि वह विवरण गलत था। उन्होंने बताया था कि साम्यवादी कांग्रेसियों की बस्ती से एक जलूस निकाल रहे थे तथा वहां साम्यवादियों ने गालियां दीं तथा छतों पर चढ़ कर पत्थर बरसाये। मेरी समझ में नहीं आता कि वे एक ही समय में किस प्रकार जलूस में भी जा रहे थे तथा छतों पर चढ़ कर पत्थर भी बरसा रहे थे। दोनों दलों में टक्कर हुई होगी तथा जो मकानों में रहते होंगे उन्होंने पत्थर बरसाये होंगे। जलूस वाले मकानों पर चढ़ ही नहीं सकते थे क्योंकि दूसरे पक्ष वालों ने अपने मकानों पर चढ़ने से रोका होगा। सच तो यह है कि पुलिस के सिपाहियों ने जलूस पर गोली नहीं चलाई बल्कि मकान मालिकों ने गोली चलाई।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, क्या यह घटना संकल्प के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् हुई थी ? क्या बाद की घटनाओं का निर्देश किया जा सकता है ?

श्री ए० के० गोपालन : यह प्रस्ताव मैंने एक संसद् सदस्य के द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर प्रस्तुत किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न यह है कि क्या संकल्प प्रस्तुत किये जाने के बाद की घटनाओं का निर्देश आरोप लगाने के लिये किया जा सकता है।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : भूतलक्षी प्रभाव से।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से संकल्प ४ तारीख को प्रस्तुत किया गया था तथा कुरनूल गोली कांड पर स्थगन प्रस्ताव ४ तारीख के पश्चात् प्रस्तुत किया गया था। आशा की जाती है कि माननीय सदस्य इस संकल्प से पूर्व के स्थगन प्रस्तावों अथवा प्रश्नों की ओर ही निर्देश करेंगे। इस संकल्प के बाद के स्थगन प्रस्तावों तथा प्रश्नों का वर्णन करना उपयुक्त नहीं है। माननीय सदस्य को अन्य उदाहरण ज्ञात होंगे और वह उनका निर्देश कर सकते हैं।

श्री ए० के० गोपालन : यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि संकल्प के प्रस्तुत किये जाने से पूर्व के स्थगन प्रस्तावों तथा प्रश्नों का निर्देश किया जाये। प्रश्न यह नहीं है कि ये स्थगन प्रस्ताव अथवा प्रश्न उससे पूर्व के हैं अथवा पश्चात् के हैं। प्रश्न तो यह है कि इन स्थगन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा अन्तिम निर्णय है। जिन माननीय सदस्यों ने न्यायालयों में कार्य किया है वह इस व्यवस्था को जानते हैं।

आचार्य कृपालानी : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने अपना असन्तोष प्रकट कर दिया परन्तु तब भी अध्यक्ष महोदय का व्यवहार वैसा ही रहा यह बताने के लिये हम उदाहरण दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां कार्य व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये हूं। मैं यह नहीं कह सकता कि यह आरोप ठीक है अथवा गलत। यह तो सभा को ही निश्चित करना है। प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाये गये हों वह उन्हीं प्रश्नों के लिये उत्तरदायी होता है जो कि आरोप लगाये

[उपाध्यक्ष महोदय]

जाने से पूर्व उत्पन्न हुए हों। इसलिये इनका भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता है। यह इसी कार है जैसे कि कोई माननीय सदस्य यह कहे कि यदि आपका व्यवहार इन १४ दिनों में ठीक हो गया तो हम इस संकल्प को वापस ले लेंगे। यह कोई जांच नहीं है। इसलिये मैं इसकी स्वीकृति नहीं दे सकता हूं।

आचार्य कृपालानी : यह कोई दण्ड न्यायालय नहीं है। यहां तो उसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रश्न है जो कि पीठासीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आरोप संकल्प प्रस्तुत किये जाने से पूर्व हुई घटनाओं पर आधारित हों।

श्री एस० एस० मोरे : आपके इस निर्णय का प्रभाव संविधान के अनुच्छेद ९४ पर हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य अनुच्छेद ९४ की ओर निर्देश करते हैं तो उसके अनुसार तो अध्यक्ष के पद से हटाये जाने के प्रश्न पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिये। परन्तु एक अन्य अनुच्छेद का भी निर्देश किया गया है जिसमें दिया है कि संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है तथा इस प्रकार की चर्चा में अध्यक्ष महोदय भी भाग ले सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि संकल्प निश्चित होना चाहिये तथा निश्चित आरोप लगाये जाने चाहियें। मैं माननीय सदस्यों को पहले ही बता चुका हूं कि इसी लिये मैंने इस संकल्प की स्वीकृति दी है। प्रश्न केवल यह है कि क्या संकल्प प्रस्तुत किये जाने के बाद की घटनायें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं अथवा नहीं। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाये जा रहे हैं उसके लिये उत्तर देना कठिन हो जायगा क्योंकि वह इन सब को पहले से ही पूर्व कल्पना नहीं कर सकता है। इसी लिये मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ए० के० गोपालन : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहा गया था कि हम एक माननीय सदस्य के द्वारा दी गई सूचना को ठीक न मान कर माननीय मंत्री के द्वारा कहे गये कथन को ठीक समझते हैं। यदि वह माननीय सदस्य उस दिन यहां होते तो निश्चय ही यह कथा बिल्कुल उल्टी होती। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारा उस घटना में स्वार्थ था। क्या गृह मंत्री का उससे कोई लगाव नहीं था? उनको भी उससे लगाव था। वह प्राधिकारियों को बचाना चाहते थे। वह जनता को बताना चाहते थे कि कुछ भी नहीं हुआ था। जनता ने स्थगन प्रस्ताव तथा उस से सम्बन्धित गृह मंत्री के वक्तव्य को पढ़ा। मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं। उनके दल का सभा में बहुमत है। परन्तु यदि मतदाताओं की संख्या देखी जाये तो हम अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। (अन्तर्बाधा)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं कि यदि किसी सदस्य के साथ अपक्षपातपूर्ण व्यवहार न किया गया हो तो उसे शिकायत हो सकती है और अन्य सदस्य भी समर्थन करते हैं। उन्हें दलों की स्थिति नहीं बतानी चाहिये।

श्री ए० के० गोपालन : सभा में यही तो प्रश्न है कि बहुमत वाला दल शासन कर रहा है तथा अल्पमत को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। किसी माननीय सदस्य को मारा पीटा जाता है वह दूसरे माननीय सदस्य को इसकी सूचना देता है तथा उसको इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में जनता गृह मंत्री के वक्तव्य को ही ठीक समझेगी। यदि स्थगन प्रस्तावों

की अनुमति न भी दी जाती तो कम से कम सरकार के वक्तव्य के पश्चात् प्रस्तावक को कुछ कहने का अवसर तो मिलना ही चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने २५ मिनट श्री मोरे को दिये तथा श्री गोपालन को २० मिनट दे चुका हूं। वह १५ मिनट तक बोल चुके हैं। श्री गुरुपादस्वामी ने दो और नाम दिये हैं। उनके अतिरिक्त अन्य सदस्य भी हैं फिर सभा नेता हैं तथा अन्य दल हैं। श्री फ्रेंक एन्थनी ने भी अपना नाम भेजा है ।

श्री ए० के० गोपालन : प्रश्न संख्या ५४८ की स्वीकृति नहीं दी गई। अन्य महत्व-पूर्ण प्रश्न जैसे हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी तथा टैलीफ़ोन उद्योग, डी० वी० सी, आदि के सम्बन्ध में पूछे गये थे, सभी की स्वीकृति नहीं दी गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य कृपलानी ।

आचार्य कृपलानी : आपने कहा था कि आप अन्य सदस्यों से बोलने के लिये कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों को अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध आपत्ति है उन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है, पहले उन्हें बोलना चाहिये । सभा के नेता ने बता भी दिया है कि उन व्यक्तियों को अधिक समय दिया जाये। इसलिये उन्हीं को बोलना चाहिये।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का प्रस्ताव हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। मैं १९४८ से पहले किसी विधान सभा का सदस्य नहीं था इसलिये मेरा यह प्रथम अनुभव था। परन्तु फिर भी मैंने अपने इस थोड़े से अनुभव में अध्यक्ष महोदय श्री मावलंकर को किसी स्थगन प्रस्ताव पर अथवा किसी प्रश्न पर पक्षपात-पूर्ण व्यवहार करते नहीं पाया। मुझे तो इस संकल्प में केवल एक ही चीज़ मिलती है कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है तथा वह कांग्रेस दल से सम्बद्ध हैं। जब उन्होंने यह वक्तव्य दिया था उस समय मुझे भी बुरा लगा था क्योंकि हम सबने उस समय यह सोचा था कि वह एक दलके सदस्य हैं। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि उसके पश्चात् उन्होंने कभी भी हमको यह अवसर नहीं दिया कि हम उनके किसी भी व्यवहार को पक्षपातपूर्ण कह सकें ।

अभी तक जो कुछ भी आरोप उन पर लगाये गये हैं उन सभी को मैंने सुना है, तथा उनमें से एक यह भी है कि उन्होंने प्रश्नों की स्वीकृति नहीं दी। मेरे विचार से उन्होंने सबसे अधिक मेरे प्रश्नों को अस्वीकृत किया है, परन्तु मुझे उन से कोई असन्तोष नहीं है। केवल इसी कारण से तो मैं नहीं कह सकता कि अध्यक्ष महोदय का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है। जनतन्त्र के पूर्ण रूप से सफल होने के लिये यह आवश्यक है कि अधिकार एक व्यक्ति को दिये जायें। यदि उसी प्रकार का कोई प्रश्न अन्य सदस्य द्वारा दे दिया गया है तो मेरे उस प्रश्न की क्या आवश्यकता रह जाती है। अध्यक्ष महोदय ने एक बार बताया था कि बहुधा एक ही सदस्य एक ही प्रश्न को दुबारा भेज देता है। ऐसे मामले में क्या उन्हें उसे अस्वीकृत नहीं कर देना चाहिये। हमें जो साठ मिनट यहां पर मिलते हैं उनमें हम बीस तीस प्रश्न ही पूछ सकते हैं। यदि सभी प्रश्नों की जांच की जाये और इसी प्रकार से मामला चलता रहे तो निस्सन्देह इस सभा को कार्य चलाना कठिन हो जाये। इसके साथ ही कोई ऐसा उदाहरण भी नहीं दिया गया है जहां यह बताया गया हो कि अमुक प्रश्न नियमित था और उसकी स्वीकृति नहीं दी गई। वहां भी यह सिद्ध करना होगा कि यह स्वीकृति इसलिए नहीं दी गई, क्योंकि अध्यक्ष का बर्ताव पक्षपातपूर्ण था। केवल इतना ही कहना कि बहुत से प्रश्न अस्वीकृत कर दिए गए हैं, पर्याप्त नहीं है।

[सरदार हुक्म सिंह]

इसके बाद स्थगन प्रस्तावों का मामला है। वास्तव में बहुत से स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए हैं अर्थात् लगभग ८६ स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए हैं। यहां पर इंग्लैण्ड का उदाहरण भी दिया गया है जहां एकात्मक राज्य सरकार है। किन्तु भारत में भिन्न प्रकार की सरकार है। यहां पर राज्य सरकारें स्वायत्त हैं और कोई भी उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके साथ ही माननीय मित्रों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की, किन्तु उन्होंने स्थगन प्रस्तावों की ही चर्चा की है। उन्हें चाहिए था कि वे सिद्ध करते कि अध्यक्ष ने पक्षपात से काम लिया है, किन्तु वे कोई प्रमाण नहीं दे सके। केवल यही कहा गया ह कि गोली चली इत्यादि।

श्री ए० के० गोपालन : यदि मुझे समय मिलता तो मैं अवश्य उदाहरण देता।

सरदार हुक्म सिंह : तब दूसरे मित्र इसका उत्तर देते, किन्तु अब तक जो कहा गया है उससे हम आगे नहीं जा सकते। स्थगन प्रस्तावों के बारे में केवल यही कहा गया कि गोलियां चलाई गईं—वास्तव में इस बात की यहीं आवश्यकता नहीं थी—यहां तो यह सिद्ध करने की आवश्यकता थी कि अध्यक्ष ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है।

एक ही बात यहां पर इस सम्बन्ध में कही गई है—वह यह है कि अध्यक्ष ने गृह-मंत्री के वक्तव्य को सच्चा माना और सदस्य की बात को अस्वीकार कर दिया। अध्यक्ष ने माननीय सदस्य को बोलने का अवसर न दिया। मुझे उस समय का स्मरण है। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सरकार के पास जानकारी एकत्रित करने के अधिक संसाधन हैं और पहले वह सरकार द्वारा दी गई जानकारी ही स्वीकार करेंगे—यह भी मान लीजिये कि यह गलती थी और मैं यह मानता हूं, किन्तु फिर भी एक ही बात इस प्रकार का प्रस्ताव रखे जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल एक बार गलत निर्णय दिया जाना ही इस बात का प्रमाण नहीं है कि अध्यक्ष पक्षपात करते हैं। मेरे विचार में यह निष्कर्ष न्याय्य नहीं है। अध्यक्ष भी तो आखिर में मनुष्य ही है और सभी लोग गलती करते हैं।

इसलिए तब तक हम किसी बात को नहीं मान सकते जब तक यह प्रमाणित न कर दिया जाये कि ये बातें जान-बूझ कर की गई हैं। सभी यह जानते हैं कि हमें इनसे योग्य और कुशल अध्यक्ष नहीं मिल सकते।

हम केवल इस बात से यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि अध्यक्ष ने कई बातों के निर्णय हमारे विरुद्ध दिये इसलिये वह निष्पक्ष नहीं है।

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं स्वतन्त्र संसदीय दल की ओर से बोल रहा हूं। हमारे दल ने इस संकल्प का विरोध करने का निर्णय किया है। मुझे आशा है कि हमारे मित्र हमें गलत नहीं समझेंगे।

हमारा दल अध्यक्ष का अन्धाधुन्ध अनुमोदन नहीं करता। वास्तव में कई बार हमने उन्हें लिखा भी है। हम यह मानते हैं कि कई बार अध्यक्ष महोदय थोड़े कठोर और दृढ़ भी हुए हैं, किन्तु इन सब बातों के होते हुए भी वह अपनी कठोरता में भी निष्पक्ष रहे हैं। कई बार सम्भवतः वह कांग्रेस वालों से भी अधिक कठोरतापूर्ण व्यवहार करते रहे हैं। आखिरकार इससे कोई पक्षपात नहीं टपकता।

हमने श्री मोरे और श्री गोपालन द्वारा निर्दिष्ट दो मामलों के बारे में अध्यक्ष को लिखा था, किन्तु हमने अनुभव किया कि वास्तव में नियमों का दोष है। मैं सदैव से यह

कहता आया हूं कि जब इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों के अतिक्रमण का मामला हो तो हम सब को एक साथ मिल कर कार्य करना चाहिए और सारी सभा को ही दुखी होना चाहिए ।

मेरे विचार में इस संकल्प के बारे में पर्याप्त भ्रम हैं। कई सदस्य तो स्थगन प्रस्तावों की शिकायत करते हैं और कई औचित्य प्रश्नों के सम्बन्ध में। किन्तु वास्तव में इन्हें अस्वीकार करने में अध्यक्ष का कोई दोष नहीं है । दोष वास्तव में हमारा है और इन नियमों का है । यद्यपि इस संसद् की अवधि समाप्त होने के निकट आ पहुंची है फिर भी हमने अपने प्रक्रिया नियम बनाने का निर्णय नहीं किया है । मैं समझता हूं कि औचित्य प्रश्नों और स्थगन प्रस्तावों के बारे में जो नियम हैं वे असन्तोषजनक हैं । श्रीमान्, आपको स्मरण होगा कि मैं आपसे औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में लड़ा भी था । मैं सदैव से यह विचार करता आया हूं कि लोकतन्त्रात्मक संसदीय प्रजातन्त्र के उचित संचालन के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक समय औचित्य प्रश्न उठाने का अधिकार होना चाहिये । हमें यह अधिकार पहली केन्द्रीय विधान सभा ने दिये थे और १९५२ तक यह अधिकार रहे । इसके बाद एक नया नियम बना । किन्तु हमने उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया । वह नियम अध्यक्ष को स्वविवेक देता है और उससे चाहे वह किसी प्रश्न की आज्ञा दे अथवा न दे । इसलिए हम अध्यक्ष को उसके लिए दोष नहीं दे सकते ।

मैं इस समय सभी सदस्यों को सम्बोधित कर रहा हूं। उनका यह पूरा पूरा कर्तव्य है कि वे देखें कि हमारे नियम ठीक हैं। इसमें अध्यक्ष का क्या दोष है ? मैं तो यह कहता हूं कि सभा के प्रत्येक सदस्य को औचित्य प्रश्न पूछने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। इस कार का अधिकार हाउस आफ कामन्स में भी है इससे अध्यक्ष सतर्क रहेगा । यदि अध्यक्ष किसी औचित्य प्रश्न उठाने वाले सदस्य को अपने स्थान पर बिठा सकता है, तो मेरे विचार में, यह सदस्यों के विशेषाधिकार का गम्भीरतम उल्लंघन है ।

माननीय मित्रों ने स्थगन प्रस्तावों के बारे में भी कहा है । पहले भी और अब भी विधान सभा के प्रधान तथा अब अध्यक्ष को यह पूरा अधिकार है कि वह चाहे तो स्थगन प्रस्ताव की आज्ञा दे और चाहे न दे । पुराने नियमों के अधीन प्रधान का यह कर्तव्य था कि वह स्थगन प्रस्ताव अवश्य पढ़ कर सुनाए । इसीलिए मैं नियमों के सम्बन्ध में शिकायत करता हूं । स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है । मैं इस तर्क को भी नहीं मानता कि हमारे पास अन्य बहुत से अधिकार हैं । स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सभा को संतोषजनक नियम बनाने चाहियें । मैं तो यह चाहता हूं कि इन के बारे में एक प्रथा होनी चाहिए । पिछली विधान सभा में भी प्रधान एक प्रथा के अनुसार ही चलता था । वास्तव में प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव सभा में पढ़ा जाता था चाहे वह कैसा भी क्यों न हो । हमें यह अधिकार लेने के लिए ज़ोर देना चाहिये । स्थगन प्रस्ताव सभा में अवश्य पढ़ा जाना चाहिये और यह पर्याप्त न होना चाहिये कि कोई उसे वैसे ही अनियमित घोषित कर दे । यह ठीक है कि स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना एक सदस्य का विशेषाधिकार है, किन्तु उसका सभा में पढ़ा जाना भी आवश्यक है, ताकि सभा यह जान जाये कि वास्तव में स्थगन प्रस्ताव में क्या लिखा है । इस प्रकार सभा अध्यक्ष के एकपक्षी आचरण पर एक प्रकार की रोक लगा सकती है और वह भी यों ही किसी बात का निर्णय बिना सोचे समझे नहीं दे सकता ।

मेरी प्रार्थना है कि यदि उन्हें शिकायत है तो नियमों में संशोधन होना चाहिये ।

[श्री फ्रैंक एंथनी]

दूसरे मैं यह समझता हूं कि यह जो आरोप लगाया गया है वह अत्यन्त गम्भीर आरोप है और आरोप भी अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पर। इसलिए मैं सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस संकल्प पर जोर न दें, बल्कि इसे वापस ले लें क्योंकि इस आरोप में कोई सार नहीं है। अन्यथा यहां का वातावरण दूषित हो जायगा। यदि वे इस संकल्प पर जोर देंगे तो स्वयं ही इस आचरण वे अध्यक्ष को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वह निष्पक्ष न रह सकेगा और उसे एक दल का पक्ष लेना पड़ेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हमारे अध्यक्ष इन सब बातों से ऊपर हैं और वह सदैव निष्पक्ष होकर कार्य चलायेंगे।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं इस बात से सहमत हूं। मैं यह नहीं कहता कि वह ऐसा करेंगे ही। किन्तु यदि इससे मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला जाये तो इस बात की सम्भावना हो सकती है और वे निस्सन्देह अध्यक्ष की अवस्था इस प्रकार की बना रहे हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसी वैसी गलतियां हुई होंगी और अध्यक्ष भी कई बार अनुचित रूप में कठोर रहे होंगे, किन्तु इन सब बातों से इस प्रकार का गम्भीर प्रस्ताव न्याय्य नहीं हो सकता। मैं सरदार हुक्म सिंह से सहमत हूं कि अध्यक्ष का आचरण बहुत स्वतन्त्र सा रहा है। माननीय मित्र यह बात स्वीकार करेंगे कि अध्यक्ष महोदय ने संसदीय प्रजातन्त्र को पुष्ट करने के लिए कई प्रथायें चलाई हैं। उदाहरणस्वरूप वचनों सम्बन्धी समिति का मामला आपके सामने है।

इसलिए मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

डा० एन० बी० खरे : यद्यपि आज प्रातः सभा में काफी गर्मागर्मी रही है क्योंकि सभा के नेता का वक्तव्य बड़ा आक्रामक और तेज था, किन्तु मैं बड़े ठंडे ढंग से सारी बातें कहूंगा।

इसी मास की १५ तारीख को मैं यह जानने के लिए उठा था कि मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह बात उस समय के बाद की है जब यह संकल्प प्रस्तुत किया जा चुका था।

डा० एन० बी० खरे : आप गलत हैं। उस समय अध्यक्ष ने कहा था.....

उपाध्यक्ष महोदय : कौनसी तारीख है ?

डा० एन० बी० खरे : १५ दिसम्बर।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी कहा है कि केवल उन्हीं मामलों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये जो कि उस संकल्प के प्रस्तुत होने के पूर्व के हैं।

श्री पुशूस : यदि हमें उनके आचरण के विरुद्ध इस संकल्प के बाद कुछ शिकायतें हों, तो क्या हम उसके लिये दूसरा संकल्प रखें ?

डा० एन० बी० खरे : १५ दिसम्बर को अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मैं सदस्य की उपस्थिति की परवाह नहीं करता। किसी के बारे में भी ऐसे वाक्य सुनना बड़ा दुःखदायक है। कुछ विचार न करने वाली बहुसंख्या के बल पर उन्होंने ऐसे शब्द कहने का साहस किया। मैं तो इसे एक बड़ी भारी धृष्टता कहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सदस्यों पर आरोप क्यों लगाते हैं। आप माननीय सदस्यों के बारे में सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग करें।

डा० एन० बी० खरे : इस प्रकार के शब्द कह कर सदस्य की मानसिक हत्या ही की जाती है और यह उसी के बराबर है—यह सारे निर्वाचकगणों का ही अपमान है, जिन्हों ने

उसे यहां भेजा—किन्तु मैं तो ईसा के शब्दों में यह कहूंगा कि भगवान् उसे क्षमा करें, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि वह यह सत्ता प्राप्त करके अन्धा हो चुका है।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह मेरा अधिकार है कि मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में किये गये निर्णय को सभा में सुन सकूं।

जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है, उन्हें भी बड़े पक्षपातपूर्ण ढंग से स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। इस सत्र में मेरे बहुत से प्रश्नों की आज्ञा नहीं दी गई? मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का आचरण अनुचित है। इस संकल्पपर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। इस प्रकार अध्यक्ष के आदेश का अपमान करना ठीक नहीं है।

डा० एन० बी० खरे : मुझे इसके लिए खेद है—किन्तु मैं आगे कहूंगा। मेरे इतने प्रश्नों को इसलिए अस्वीकार किया गया है, क्योंकि उनसे सरकार के विरुद्ध कई बातें कट होतीं। यही मेरा आरोप है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैंने इस वाद विवाद को सुना है .....

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : विशेषाधिकार के रूप में मैं श्रीमान्, यह पूछना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के इतने सदस्यों ने इस संकल्प को रखा है, किन्तु अभी तक हम यह नहीं समझ पाये कि वे कहना क्या चाहते हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक दल के नेता को बोलने का अवसर दिया जाये ताकि हम यह समझ सकें कि वे क्या कहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, स्पष्टतः कार्यवाही नहीं समझ पाये हैं। उन व्यक्तियों की ओर से श्री मोरे बोले हैं। उन्होंने मुझे श्री एस० एस० मोरे, श्री ए० के० गोपालन, आचार्य कृपलानी तथा डा० एन० बी० खरे के नाम दिये थे। जब मैंने आचार्य कृपलानी से बोलने को कहा, तो उन्होंने कहा कि वे दूसरों के भाषण सुनना चाहते हैं। इसके बाद मैंने दूसरे पक्ष से सरदार हुक्म सिंह और श्री फ्रैंक एन्थनी को अवसर दिया।

आचार्य कृपालानी : मैंने उस समय भाषण देना इस कारण स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं देखता हूं कि पहले से संकल्प का क्षेत्र काफी सीमित कर दिया गया है। आप मुझ से यह आशा नहीं कर सकते कि मैं इस बात का विचारपूर्वक वर्णन करूं कि अमुक समय अध्यक्ष महोदय ने क्या किया। मैं केवल सामान्य प्रवृत्ति के बारे में कुछ कह सकता हूं किन्तु आपका कहना यह है कि हमको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अतः यदि आप मुझ को अन्त में अवसर देना चाहें तो मैं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही निर्णय दे दिया है कि सामान्य निन्दा की अनुमति उस समय तक नहीं दी जा सकती, जब तक विशिष्ट उदाहरणों का उल्लेख नहीं किया जाता। मैंने पंडित ठाकुर दास भार्गव को भाषण के लिये बुलाया है और यथा समय मैं सभा के नेता से भी बोलने का निवेदन करूंगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने अपने माननीय मित्रों के भाषणों को शान्तिपूर्वक सुना। मुझे इस बात का खेद है कि वे अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा सके, जिससे सभा इस मामले में कुछ कर सकती। मुझे इस बात से दुःख है कि इन सज्जनों ने जो कि पहले उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कांग्रेस के नेता और अध्यक्ष थे इतनी क्षुद्रता-पूवक सभा के समक्ष इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं यह जानता था कि इस सम्बन्ध में कोई भी वैध आरोप अथवा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मुझे इस सम्बन्ध में पूरा विश्वास था और अब भी है। ३ दिसम्बर को सभा में जो कुछ हुआ, उसे मैं सभा के समक्ष पढ़ कर सुनाऊंगा। उससे सभा को यह पता चलेगा कि अध्यक्ष महोदय का व्यवहार पूर्णत: संगत तथा निष्पक्ष था और जिन सदस्यों ने उस दिन की चर्चा में भाग लिया वे बहुत गलत थे। श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने सत्याग्रहियों के सम्बन्ध में सभा के सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसके प्रस्तुत होने के बाद अध्यक्ष महोदय ने गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री से पूछा कि वे उसके सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं। डा० काटजू ने सभा को बताया कि प्रस्ताव की भाषा बड़ी कलापूर्ण है और वहां आतंक आदि कुछ भी नहीं हुआ है। तब उन्होंने अध्यक्ष महोदय को सुझाव दिया कि एक अल्प-सूचना प्रश्न की अनुमति दी जाये, किन्तु अध्यक्ष महोदय ने उसकी अनुमति इस सद्भावना से नहीं दी कि वैसा करने से स्थगन प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा नहीं हो सकेगी और माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रहेगा। अब मैं यह पूछता हूं कि यह पक्षपात है अथवा निष्पक्षता?

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने माननीय मंत्री से पूछा कि वे अपना भाषण कब देंगे। इस पर माननीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली और मनीपुर में काफी दूर का फासला है, अत: इसके लिये उन्हें कम से कम दो दिन का समय मिलना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक बात और बता दूं कि जहां तक इन स्थगन प्रस्तावों का सम्बन्ध है, वे पहले सचिव, अध्यक्ष महोदय और सम्बद्ध मंत्री के पास भेज जाते हैं और उसके बाद अध्यक्ष महोदय जब तक अपनी स्वीकृति नहीं दे देते, कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह एक सामान्य नियम है और कई वर्षों से चलित है। श्री फ्रैंक एन्थनी के कथनानुसार यह नियम केवल यहीं नहीं है।

फिर यह कहना भी बिल्कुल गलत है कि श्री गुरुपादस्वामी को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। श्री गुरुपादस्वामी ने भाषण दिया और उसमें उन्होंने बताया कि 'कुछ तथ्यों के बारे में मुझे तार मिले हैं। मैं यह तथ्य माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं ताकि उनके आधार पर वे अपना भाषण दे सकें। श्री रिशांग किशिंग पीटे गये, और सिर से रक्त बहने पर भी खींच कर उनको नाली में डाल दिया गया तथा बाद में पकड़ लिया गया। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सब सच है।' मैं सभा से पूछता हूं कि क्या यह भाषण नहीं है। इसके बाद माननीय सदस्य ने कहा कि २५ दिसम्बर को उन्हें अपने दल के सम्मेलन में सम्मिलित होना है, अत: उनका निवेदन है कि माननीय गृह मंत्री परसों अपना भाषण दे दें। इस पर डा० काटजू ने अस्वीकारात्मक रूप में अपना सिर हिलाया और अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया कि यदि ऐसी स्थिति है तो दो दिन के बाद जब माननीय सदस्य वापिस आ जायेंगे, तो इस मामले पर विचार किया जायेगा। क्या यह पक्षपात है अथवा निष्पक्षता?

दूसरे अवसर पर जब यह मामला सभा के सामने आया तो गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया और बताया कि श्री रिशांग किशिंग नहीं पकड़े गये। सभा को ज्ञात है कि नियम २५७ के अधीन यदि कोई

भी पदाधिकारी किसी सदस्य को बन्दी बनाता है तो उसे उसकी सूचना सभा को भेजनी चाहिए । अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न कभी किसी वक्तव्य में यह कहा गया कि श्री रिशांग किशिंग पकड़े गये । अतः, मैं स्थगन प्रस्ताव में वर्णित मुख्य तथ्यों का उल्लेख करूंगा । डा० काटजू द्वारा जब सारे तथ्य बताये गये, तो स्थगन प्रस्ताव में वर्णित सारे तथ्य गलत सिद्ध हुए। उन्होंने अपने वक्तव्य म बताया कि न कोई सत्याग्रह हुआ और न वहां कोई आतंकवादी ही थे । १८ नवम्बर को लाठी प्रहार वाली बात भी गलत बताई गई ।

श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : डा० काटजू ने जो वक्तव्य दिया था वह गलत था क्योंकि अब मैं यहां स्वयं उपस्थित हूं और सारी बात जानता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर विवाद यह नहीं है कि वक्तव्य सही था अथवा ग़लत अपितु यह है कि अध्यक्ष महोदय की क्या स्थिति थी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जो माननीय सदस्य अन्तर्बाधा उपस्थित कर रहे हैं, उनको यह नहीं मालूम है कि वस्तुतः विवाद की बात क्या है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिए कि हम यह बात तय नहीं कर रहे हैं कि श्री रिशांग किशिंग पकड़े गये थे अथवा नहीं, और माननीय मंत्री का वक्तव्य सही था अथवा गलत । प्रश्न यहां पर यह है कि उन परिस्थितियों में अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ किया वह क्या पक्षपात-पूर्ण था ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि यह सत्य है कि श्री रिशांग किशिंग पकड़े गये, तो उनके साथ मुझे पूरी सहानुभूति है और सरकार उनकी सहायता करने को बाध्य है । किन्तु यहां पर प्रश्न ही दूसरा है । यदि वे पकड़े भी गये और सरकारी वक्तव्य भिन्न है, तो अध्यक्ष महोदय उसी के अनुसार कार्य कर सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में सभा के समक्ष अनेक निर्णय प्रस्तुत कर सकता हूं जो कुछ उस दिन हुआ वह इस प्रकार है । जब माननीय मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य पढ़ा, तो श्री गुरुपादस्वामी ने कुछ कहने के लिये निवेदन किया । इस पर अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि क्या आपको कुछ व्यक्तिगत जानकारी है । माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे पास तार आये हैं । तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं तारों की बात पर विश्वास नहीं करता । जो कुछ सरकारी सूचना प्रस्तुत की गई है, वह निस्सन्देह अधिक विश्वसनीय है और मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि इस स्थगन प्रस्तताव की स्वीकृति दी जाये ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या यह पक्षपात नहीं है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि माननीय सदस्य इसको पक्षपात कहते हैं, तो उन्हें अपने दिमाग का इलाज करवाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय पूर्व उदाहरणों से बाध्य हैं । इस सभा के तीन पूर्व उदाहरण हैं कि किसी भी मामले में सरकारी वक्तव्य ही अन्तिम माना जायेगा । यदि डा० काटजू ने इस सभा में वक्तव्य दिया जो कि श्री रिशांग किशिंग के कथनानुसार गलत है, तो सभा इसके लिये मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रख सकती है, किन्तु जहां तक अध्यक्ष महोदय का प्रश्न है वे सरकारी वक्तव्य को मानने के लिये बाध्य हैं। मैं अब इस सम्बन्ध में पूर्व उदाहरण उपस्थित करता हूं। १९४० में एक मामले में उत्तर प्रदेश के कुछ पटवारी हमारे नेता का भाषण सुन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आये और वे पदच्युत कर दिये गये। इस पर श्री मोहनलाल जी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय ने उस मामले को सरकार के पास भेजा और सरकार ने बताया कि वे उस कारण से पदच्युत नहीं किये गये अपितु उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया था। यही वक्तव्य अन्तिम मान लिया गया और स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी गई। १९४३ में जब सर अब्दुर्रहीम अध्यक्ष थे तो ईदगाह के सम्बन्ध में यह शिकायत पेश की गई थी कि सरकारी फौजों ने उस पर अधिकार जमा लिया है। सरकारी सूचना यह थी कि यह बात सत्य नहीं है। एक तार भी प्रस्तुत किया गया, और सर अब्दुर्रहीम पर सब तरह से दबाव डाला गया किन्तु वे सरकारी वक्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सके। इसी प्रकार १९५० में इस सभा में एक मामला पेश किया गया था कि पाकिस्तान की सीमा पर कुछ फौजों का जमाव है। उस सम्बन्ध में सरकार ने जो सूचना दी, अध्यक्ष महोदय उसका उल्लंघन नहीं कर सके।

अध्यक्ष महोदय के यह निर्णय देने के बाद, कि मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देना आवश्यक नहीं समझता, सारी कार्यवाही बन्द हो जानी चाहिए थी, जैसा कि नियम है, किन्तु हुआ यह है कि श्री गुरुपादस्वामी ने खड़े होकर कहा कि सरकारी सूचना सही नहीं है। और यह एक पक्षीय तथा दुर्भावनापूर्ण है। जो माननाय सदस्य इस तरह सरकारी वक्तव्य को एकपक्षीय बता सकते हैं, उन्हें अपने आपको सुधारने की आवश्यकता है। फिर, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मैं माननीय सदस्य को इस बात की आज्ञा नहीं दे सकता कि सभा में ऐसी सूचना का प्रसार करें, जिसका सम्भवतया कोई आधार न हो। पत्रों और तारों के मुकाबले में सरकारी सूचना निस्संदेह अधिक विश्वसनीय है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो कुछ वे कहते हैं, सही है किन्तु इस सभा स्थल का उपयोग प्रचार हेतु नहीं किया जा सकता।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : औचित्य प्रश्न के हेतु, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य को यह कहने का अधिकार है कि मेरा दल इस सभा स्थल का उपयोग प्रचार हेतु करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा है। क्या अन्य पक्ष यह नहीं कह सकता कि यह सब प्रचार हेतु किया जा रहा है और इसमें कुछ भी तत्व नहीं है ? मेरे विचार में इसमें औचित्य प्रश्न की कोई बात नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रत्येक बार जब अध्यक्ष महोदय कोई निणय देने को खड़े होते हैं तो अनेक सदस्य खड़े हो जाते हैं, जैसे कि मानों वे उनका विरोध कर रहे हैं। क्या यह उचित है ? हमें अध्यक्ष महोदय में पूरा विश्वास रखना चाहिए। इसके बाद श्री अशोक मेहता उठे और उन्होंने कहा, "क्या मैं एक बात कह सकता हूं ?" अध्यक्ष महोदय ने कहा, "मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं देता।" अध्यक्ष महोदय ने दूसरी बार अपना निर्णय दिया। तब श्री अशोक मेहता ने कहा कि हमारे एक साथी, जो कि इसी सभा के सदस्य हैं, इस मामले में संलग्न हैं और पूछा कि क्या मैं उनके बारे में बता सकता हूं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं प्रत्यक्ष रूप से सरकारी वक्तव्य को ही महत्व देता हूं। इसके बाद श्री अशोक मेहता ने कहा कि वह हमारा साथी इस सभा का सदस्य है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। उन्होंने यह बात ठीक ही कही। एक सदस्य का वक्तव्य

सरकारी वक्तव्य को खत्म करने के लिये प्रर्याप्त नहीं है। इसके बाद श्री गुरुपादस्वामी ने कहा कि इसमें सरकार का भी हित निहित है। तब अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विधि और व्यवस्था कायम रखना सरकार का काम है। तब श्री मोरे ने जो अध्यक्ष को प्रजातन्त्र की संस्था का केन्द्र बताते हैं चिल्ला कर यह पूछा कि "क्या यही प्रजातन्त्र है ?" माननीय सदस्यों ने जो उद्दण्डता दिखाई उस पर अध्यक्ष महोदय ने बड़ी शान्ति से उत्तर दिया—"वह चाहे कुछ भी हो, मैं इस विषय पर और अधिक नहीं सुनना चाहता।" जब विषय समाप्त कर दिया गया तो भी श्री राघवाचारी ने कुछ कहने के लिये अनुमति मांगी। इस पर श्री फ्रैंक एन्थनी ने सभापति महोदय द्वारा कक्ष में बात करने के लिये कहे जाने पर कक्ष की खिल्ली उड़ाई गई। इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा बारम्बार मना करने पर भी श्री गुरुपादस्वामी ने औचित्य प्रश्न उठाया। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम ३७६ में यह लिखा हुआ है कि औचित्य प्रश्न केवल निर्वचन अथवा नियमों को लागू करने के सम्बन्ध में ही उठाया जा सकता है। जेनिंग्स की पुस्तक के अनुसार जब अध्यक्ष अपना कोई निर्णय दे दे तो औचित्य प्रश्न पर न तो चर्चा की जा सकती है और न सभा में उस पर आलोचना ही की जा सकती है। वर्तमान विधि यही है।

इसी प्रकार श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा—"क्या आप औचित्य प्रश्न को नियम विरुद्ध घोषित कर सकते हैं ?" क्या इसी प्रकार माननीय सदस्यों को व्यवहार करना चाहिये ? इस पर अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया—"यहां कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।" और मेरा भी कहना यह है कि यह औचित्य प्रश्न था भी नहीं।

प्रथम बार ही अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वह स प्रस्ताव के लिये अनुमति देने को तैयार नहीं हैं। इस पर श्री ए० के० गोपालन बोल पड़े कि उन्हें औचित्य प्रश्न को सुनना ही चाहिये। इसका उत्तर देते ही श्री मोरे ने प्रश्न किया—"किस नियम के अन्तर्गत आप ऐसा कर रहे हैं ?"

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। हस्ताक्षर करने वाले एक माननीय सदस्य डा० खरे ने सदैव की भांति इसका भी स्वांग बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया किन्तु यह स्वांग का विषय नहीं है क्योंकि इसमें शोक का भी कुछ अंश है। सभा यह भली भांति जानती है कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और क्या निश्चय करने जा रहे हैं। वास्तव में हम निर्णय चाहे जैसा करें किन्तु यह स्पष्ट है कि जो कुछ हो चुका है वह वापस लौटाया नहीं जा सकता। बढ़िया चीनी के बर्तन को एक बार तोड़ कर फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता।

मैं बहुसंख्यक दल के नेता की हैसियत से अगर नहीं तो कम से कम इस सभा के नेता की हैसियत से कुछ कहना चाहूंगा। जहां तक बहुसंख्यक दल का सम्बन्ध है, मैं उन्हें यह कह देना चाहता हूं कि इस विषय में उन पर सचेतक अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई बन्धन नहीं है। यह कोई दल का मामला नहीं है इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को दल का विचार छोड़ कर इस पर विचार करना चाहिये। यह मामला इस सारी सभा का है। संसद् के सम्मान का जहां तक सम्बन्ध है, यह विषय बड़ा गम्भीर हो जाता है। अध्यक्ष के विषय में जो कुछ कहा और किया गया है वह सब हम लोगों के ऊपर ही लौट आता है, जो अपने को इस सभा का माननीय सदस्य कहते हैं। इस प्रश्न के सभा के सम्मुख आते ही मुझे अत्यधिक दुःख हुआ, मैं चाहता हूं कि सदस्यों को इसका पता लग जाये। हम अध्यक्ष को बहुत वर्षों से जानते हैं, काम करते देखते हैं और सम्भव है हम में से कुछ लोगों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

की सम्मति उनके विषय में ठीक वैसी ही न हो जैसी कि अन्य लोगों की है। हुआ यह है कि हममें से कुछ लोगों ने, चाहे वे विरोधी दल के हों अथवा इस दल के उनके निर्णय अथवा विनिश्चय को पसन्द नहीं किया है उनके विनिश्चय से सहमत न होना एक चीज़ है और जो कुछ हो चुका है उस पर नाराज़ भी हुआ जा सकता है। ऐसी चीज़ हो जाया करती है, किन्तु ऐसे व्यक्ति के सद्भाव को चुनौती देना एक दूसरी चीज़ है। हम उनके सद्भाव को चुनौती देकर अपने देश-वासियों और संसार के सम्मुख अपने आपको धोखा देते हैं कि हम तुच्छ व्यक्ति हैं और यही चीज़ बड़ी गम्भीर है। इसका निर्णय तो हमारे हाथ में है क्योंकि हम दुनियां को और अपने देश को यह बता रहे हैं कि हम तुच्छ और झगड़ालू व्यक्ति हैं और इसके परिणाम पर ध्यान दिये बिना ओछेपन में अपने को फंसाना जानते हैं।

कुछ समय पूर्व आपने कहा था कि आप सामान्य निन्दा के लिये अनुमति नहीं देंगे। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई व्यक्ति इसलिये सामान्य निन्दा करे कि वह उन्हें पसन्द नहीं करता अथवा उनके बोलने के ढंग आदि को पसन्द नहीं करता। यह बात इतनी विशिष्ट, जान-बूझ कर कही गई अथवा स्पष्ट होनी चाहिये कि जिससे कोई उसकी अवहेलना न कर सके। (सभा में मध्यान्होत्तर) श्री मोरे ने अपने कोमलकण्ठ से बहुत सी कटु बातें कहीं और बताया कि १७वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड के सम्राट् की क्या दशा हुई थी। उन्होंने ब्रिटेन के २०० वर्ष पूर्व के हाउस आफ कामन्स की प्रथायें आदि भी बताईं। मैंने बड़े आश्चर्य के साथ ये बात सुनीं। आज तो २०वीं शताब्दी है जबकि भारत में लोकतन्त्र है। ऐसी दशा में मध्य युग में इंग्लैण्ड में क्या हुआ यह बताने से कोई लाभ नहीं। यद्यपि यह सत्य है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की बहुत सी प्रथाओं के अनुसार हम कार्य करते हैं, किन्तु यह भी सच है कि १७ वीं शताब्दी में जो कुछ हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन प्रथाओं का पालन आज नहीं हो रहा है। किन्तु इसके अतिरिक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या हुआ इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा सम्बन्ध तो अपने सम्मान, संसद् के सम्मान तथा उस व्यक्ति के सम्मान से है जो संसद् प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। मैं यह नहीं कहता कि अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव नहीं रखा जाना चाहिये। संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। ऐसा प्रस्ताव रखने के लिये विरोधी दल अथवा सभा के किसी भी सदस्य के अधिकार को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। चूंकि संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है इस कारण मैं इस अधिकार को अस्वीकार भी कैसे कर सकता हूं। यह वैधानिक अधिकार की बात नहीं है किन्तु इसको करने की वांछनीयता का प्रश्न है।

हो सकता है कि इस मामले में अध्यक्ष से कुछ त्रुटि हो गई हो किन्तु मैं नहीं समझता कि इसमें उनसे कोई त्रुटि हुई है। वह शत-प्रतिशत सही हैं। इस मामले विशेष में उनसे यहां अथवा अन्य कहीं पर यदि कोई त्रुटि बता दी तो मैं जानूं। यदि कोई भी दूसरा सदस्य अध्यक्ष पद पर होता तो वह भी ठीक यही करता जैसा उन्होंने किया है। बात यह नहीं कि यह तथ्य सम्बन्धी प्रश्न नहीं था। यह सभा न्यायालय नहीं है जहां प्रमाण को ही प्रधानता दी जाती है। इस सभा से तो स्थगन प्रस्तावों अथवा प्रश्नों के द्वारा कुछ तथ्य पहले सभा की जानकारी में लाये जाते हैं और उसके पश्चात सम्पूर्ण देश के सम्मुख। इसके बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है और कुछ अन्य प्रकार से उनका अनुसरण किया जा सकता है। प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिये जाते हैं। हो सकता है कि

जानबूझ कर अथवा गलती से उत्तर गलत दे दिया जाय। जो कुछ भी हो इस पर तर्क नहीं किया जा सकता है।

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी यही बात है और जिसे दूर नहीं किया जा सकता तथा मैं समझता हूं कि श्री गोपालन ने भी इस बात को मान लिया है कि अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम निर्णय होना चाहिये। आपत्ति यह उठाई गई थी कि उन्होंने विरोधी दल को कुछ कहने का अवसर दिये बिना ही अपना निर्णय दे दिया था। यह ऐसा मामला था जिसको पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यथोचित रूप से निबटा दिया है। किन्तु प्रथम अवसर पर माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया था और इसके पश्चात् सरकार की ओर से गृह-कार्य मंत्री से तथ्य बताने के लिये कहा गया था। उन्होंने तथ्यों को बताया था। अब यह मामला यहीं पर समाप्त हो जाता है क्योंकि शेष तो तर्क ही रह जाता है। इसको किसी दूसरी प्रकार पूछा जा सकता है, किन्तु उसी समय चर्चा नहीं की जा सकती। प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा दिये गये तथ्यों को यदि चाहे तो चुनौती दे सकता है और जो चाहे कार्यवाही कर सकता है, किन्तु उसी समय ऐसा नहीं हो सकता। अध्यक्ष को कुछ और भी करना होता है।

श्री एन्थनी ने नियमों आदि के विषय में कहा। नियम अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी मैं नहीं जानता। हम यहां पर नियमों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो नियमों के अनुसार इस समय कैसी स्थिति है, इस पर विचार कर रहे हैं किन्तु जब श्री एन्थनी अथवा कोई सदस्य किसी प्रक्रिया अथवा प्रथा के उल्लंघन अथवा स्थगन प्रस्तावों और प्रश्नों के प्रति अध्यक्ष के कड़ा रुख अपनाने की बात कहते हैं तो मुझे दुःख तो है और मुझे यह आशंका होने लगती है कि क्या मैं यह सब ठीक सुन रहा हूं और यह विषय पर कहा जा रहा है। सारी दुनियां की संसदों के सम्बन्ध में यदि विस्तारपूर्वक सूचना एकत्र की जाये और स्थगन प्रस्तावों की सूची बनाई जाय और पूछे गये प्रश्नों की संख्या इकट्ठी की जाये तो यह हमारे लिये बहुत लाभ की वस्तु होगी। जहां तक हाउस आफ कामन्स का सम्बन्ध है, मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं, किन्तु उसके विषय में कुछ पता अवश्य है.....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे पास इसके पूरे आंकड़े हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं इन्हें बता सकता हूं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह नहीं चाहता; वह इसको बाद में कर सकते हैं; किन्तु यह साल में एक बार या दो बार होता है। यहां पर यह चीज़ दिन में तीन तीन बार होती है। यह बात प्रश्नों के साथ भी है। सम्भवतः कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमारे यहां प्रश्नों का अभाव रहता है। वस्तुतः उन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि बीस या तीस हजार प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एकत्रित करने में कितना समय और धन खर्च होता है? सरकार की सारी व्यवस्था इस तरह काम कर रही है। तथ्य मालूम करने के लिये देश भर में प्रतिदिन अनेक तार भेजे जा रहे हैं। अब कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि वे दबाये जाते हैं, और डा० खरे के प्रश्नों की इजाजत नहीं दी जाती है। जैसा कि श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा और मैं भी उनसे पूर्णतया सहमत हूं, स्थगन प्रस्ताव का अधिकार महत्वपूर्ण है। किन्तु प्रत्येक महत्वपूर्ण अधिकार का इस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, जिससे उसका कोई महत्व ही न रहे। यदि आप उस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तो आप उसका महत्व घटाते हैं । यहां एक विशेष बात है जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रयोग विशेष अवसर पर एक विशेष प्रयोजन के लिये किया जाता है और जब इसका इस प्रकार प्रयोग होता है, तो देश उस ओर आकर्षित होता है । आजकल क्या होता है ? एक दिन में तीन स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं और इसकी ओर कोई आकर्षित नहीं होता ।

एक माननीय सदस्य : तीन साल में ८९ ।

श्री एस० एस० मोरे : अतीत में कांग्रेस दल ने कहीं अधिक स्थगन प्रस्ताव रखे थे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : एक विदेशी सरकार के विरूद्ध ।

श्री एस० एस० मोरे : हम ऐसा एक निरंकुश दल के खिलाफ कर रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, मैं इनकी चर्चा नहीं करता । मैं कहता हूं कि इसका कोई विशेष महत्व नहीं है कि अध्यक्ष कौन है । उसको यदि निष्पक्ष रूप से काम करना है तो वह उसी प्रकार काम करेगा, जैसा कि वर्तमान अध्यक्ष महोदय करते हैं ।

मैंने विरोधी पक्ष के अनेक भाषण सुने और मैं कोई कठोर शब्द नहीं कहना चाहता किन्तु जिस प्रकार का प्रदर्शन विरोधी पक्ष की ओर से किया गया है उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। यह प्रदर्शन उनकी अयोग्यता, क्षुद्रता और सारहीनता का द्योतक है ।

यह बार बार कहा जाता है और श्री मोरे इतिहास की सतरहवीं और अठारहवीं शताब्दियों की बात करते ह.....

श्री एस० एस० मोरे : केवल विश्व इतिहास की झलक ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं माननीय सदस्य को सुझाव देता हूं कि वे इस प्रसिद्ध पुस्तक को सावधानीपूर्वक पढ़ें । आचार्य कृपालानी ने कहा कि वे किसी विशिष्ट विषय पर न बोल कर केवल सामान्य निन्दा की ही बात कर रहे हैं । भारतीय गणतन्त्र की लोकसभा के अध्यक्ष के साथ, जो कि अत्यन्त नम्र हैं, बर्ताव करने का क्या यही तरीका है?

आचार्य कृपालानी : मैंने सामान्य निन्दा नहीं कहा था, अपितु 'सामान्य प्रवृत्ति' कहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर यह आक्षेप नहीं है ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : मेरे ख्याल में आचार्य कृपालानी ने यह कहा था कि सामान्य प्रवृत्ति बुरी है, अनुचित है, पक्षपातपूर्ण है अन्यथा वे उस लेख्य पर हस्ताक्षर न करते ।

आचार्य कृपालानी : बिल्कुल ठीक ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं विरोधी पक्ष के उन सदस्यों से, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किये हैं और जिन्होंने कर्तव्यबद्ध होकर इसका समर्थन किया है, निवेदन करता हूं कि वे उस चीज़ को पढ़ें जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किये हैं, वह चीज़ बड़ी बुरी है । मुझे इसमें सन्देह है कि हस्ताक्षर करने से पूर्व आप लोगों ने उसको पढ़ा भी है । यदि वे इसको पढ़ते, तो इस पर हस्ताक्षर करने में उनको सौ बार संकोच होता ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या हम मंत्री हैं, जो बिना पढ़ें हस्ताक्षर कर दें ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं साम्यवादी दल की बात छोड़ता हूं क्योंकि उनसे मुझे उत्तरदायित्वपूर्ण होने की बिल्कुल आशा नहीं है, किन्तु मैं यह आशा करता हूं कि वे प्रजातन्त्र अथवा प्रजातन्त्रीय सरकार में विश्वास नहीं करते ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता--दक्षिणपूर्व): बिल्कुल गलत ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : तो क्या आप प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं ?

श्री ए० के० गोपालन : हम आपसे प्रजातन्त्र लेने आये हैं, जो आपकी जेब में है। (अन्तर्बाधा) ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं आशा करता हूं कि श्री गोपालन प्रतिदिन प्रातःकाल इसको दोहरायेंगे ताकि शनैः शनैः उनके विचार और कार्य तदनुसार हो सकें ।

मैं सभा से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का प्रस्ताव, जो कि सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, असाधारण है और यह अत्यधिक गम्भीर परिस्थितियों में ही युक्ति संगत माना जा सकता है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। मुझे दूसरे स्थानों के बारे में विशेष जानकारी नहीं है किन्तु अन्य स्थानों में, जहां तक मैं जानता हूं, यह चीज़ बड़ी गम्भीर मानी जाती है और बहुत कम होती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हाउस आफ कामन्स में गत १३० वर्षों में ऐसा प्रस्ताव एक बार भी नहीं प्रस्तुत किया गया।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसके प्रस्तुत करने के ढंग तथा इसकी भाषा को देखकर भी यदि कोई इस सभा में किसी से इसके समर्थन के लिये कहता है, तो यह उसकी महान् मूर्खता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, स्थगन प्रस्तावों पर सहमति देने, प्रश्नों को अस्वीकार करने, आदि के बारे में सभा के अध्यक्ष के आचरण पर विचार करने पर यह समझती है कि उन्होंने सभा के सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त करने के लिये आवश्यक निष्पक्ष रवैया बनाये रखना बन्द कर दिया है; कि अपने पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण वह सभा के सदस्यों के अधिकारों का ध्यान नहीं रखते और इन अधिकारों का हनन करने वाली घोषणायें और निर्णय देते हैं; कि वह सभी विवादग्रस्त मामलों में संसद् के दूसरे सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना के मुकाबले में सरकारी प्रवक्ता की बात का खुला समर्थन करते हैं; कि इन सब कार्यों से इस सभा का कार्य उचित रूप से संचालन करने के लिये और जनता की शिकायतों को अच्छी तरह प्रकट करने के लिये खतरा पैदा हो गया है, और इसलिये, संकल्प करती है कि उनको उनके पद से हटा दिया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोकसभा सोमवार २० दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगत हुई ।